खण्ड-236, अंक-1
बुधवार, 25 आश्विन, शक संवत् 1884
(17 अक्टूबर, 1962 ई0)

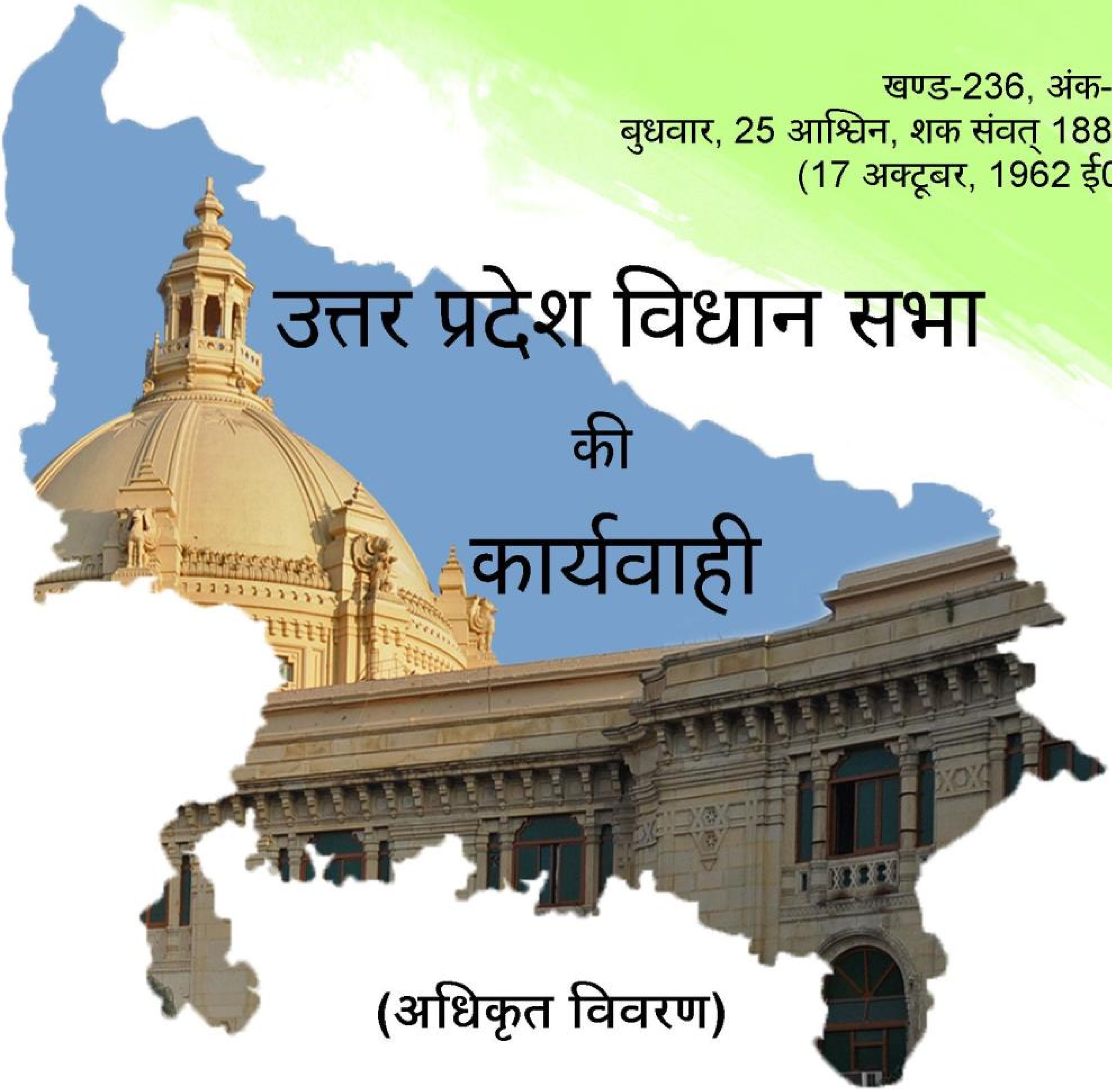

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
जनसंघ के प्रदर्शनकारियों द्वारा विधान भवन में आने में बाधा डालने के सम्बन्ध में सदस्यों की शिकायतें	५
प्रश्नोत्तर	६–३६
चीन द्वारा भारत सीमा के अतिक्रमण के संबंध में प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६–३८
रामपुर इंजिनियरिंग कम्पनी के मजदूरों की भूख हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना	३८
यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही के मजदूरों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३८–३९
भावी कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी	३९–४०
प्रश्न के संबंध में जानकारी	४०
प्रस्ताव पर, कि विधेयक पर विचार किया जाय, विचार जारी	
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (जारी)	४१–८७
नत्थियाँ	८८–९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतज़ा हुसैन श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्प्रेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियमतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
विपिनबिहारी तिवारी श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतीलालसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनरायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजाराम श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
रा न्द्रि ाद , श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम ालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नाय , श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री

सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

जनसंघ के प्रदर्शनकारियों द्वारा विधान भवन में आने में बाधा डालने के सम्बन्ध में सदस्यों की शिकायतें

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर आरम्भ करने से पहले मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि मैं अभी जब सदन में आ रहा था तो जनसंघ के वालंटियर्स ने पशुबल से मुझे अन्दर आने से रोका और बड़ी मुश्किल से मैं अन्दर आ सका। पुलिस वाले खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि हमारी सहायता नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि करेंगे। लेकिन, की नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दे दीजिये।

श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, अभी मैं जब अन्दर आ रहा था तो मुझे भी रोका गया।

श्री अध्यक्ष—आप भी लिख कर दे दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—लिख कर देने का सवाल नहीं है। मैंने आपकी नोटिस में यह बात ला दी, अब आप उसकी व्यवस्था करें।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं भी अभी उस गेट से आ रहा था तो वहाँ लाइन लगा कर लोग खड़े हो कर अन्दर आने वालों को रोकते हैं और कहते हैं कि बिल का विरोध कीजिये तो जाने देंगे वरना नहीं और जनसंघियों को आने देते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था लेकिन मुझे वह अंग्रेजी की कहावत याद आ गयी कि "The lady is protesting too much." तो लिख कर दें माननीय सदस्य, आप देखें। और हमारा तो आन्दोलन चल ही रहा है। हम विरोध करने के लिये कहते हैं। परन्तु यह भी जरा ध्यान रखें कि "The lady is protesting too much" बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेजी की।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ अक्तूबर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

केन्द्रीय चाइल्ड वेलफेयर कौन्सिल

*१—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई Society for Welfare of Children स्थापित (खोली) की है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—जी नहीं ।

*२—श्री भगवानसहाय—क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये बारह लाख रुपये का अनुदान दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके Budget details की एक कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*३—श्री भगवानसहाय—क्या इस Council के लिये कोई नियुक्तियाँ की गई हैं ? यदि हाँ, तो कौन-कौन, किस-किस पद पर और किस वेतन व भत्ते व और अन्य सुविधाओं पर ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवानसहाय—केन्द्रीय सरकार ने चिल्ड्रेन वेलफेयर के लिये कुछ रुपया दिया और ऐसी कोई सोसाइटी स्थापित हुई है जिसका नाम यह न हो कर कुछ फर्क के साथ हो सकता है । इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अभी तक दिया तो नहीं । एक योजना चल रही है जिसके ऊपर पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार से चल रहा है ।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र का हवाला देते हुये कुछ डिटेल्स बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जब तक कुछ निश्चित न हो जाय उस समय तक सदन के अन्दर कुछ बताना मेरे लिये कठिन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चिल्ड्रेन वेलफेयर की जो योजना है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—उस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की माँग ७ लाख रुपये की है । अभी तक केन्द्रीय सरकार ५ लाख तक पहुंच सकी है । अन्तिम निर्णय क्या हो यह अभी कहा नहीं जा सकता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना जो केन्द्रीय सरकार से माँगी गयी है किन किन जिलों में और किस किस कार्य के लिये रखी गयी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जैसा कि मैंने निवेदन किया, अभी तो इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चाइल्ड वेलफेयर के नाम से आज कुछ सोसाइटियाँ जिलों के अन्दर चल रही हैं और प्रान्तीय सरकार वीमेन वेलफेयर के नाम पर उन सोसाइटीज को सहायता के रूप में कुछ दे रही है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—राज्य सरकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय चाइल्ड वेलफेयर कौंसिल के नाम से एक संस्था काम कर रही है। उसकी ब्राच उत्तर प्रदेश में भी है जिसके अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय हैं और जिसकी एक कमेटी है। उसी कमेटी के अन्तर्गत जिला-स्तर पर बाल समाज कल्याण समिति कुछ जिलों में काम कर रही है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—यह योजना किन किन जिलों में चालू की गई है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कहा कि अभी निश्चित नहीं है।

श्री रामायण राय—श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने एक योजना का जिक्र किया है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—श्रीमन्, मैंने जिस योजना का जिक्र किया है, प्रश्नकर्ता की योजना उससे भिन्न है, लेकिन जिसकी मैंने चर्चा की है उसकी एक बड़ी लिस्ट है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं बता सकूंगी। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से जो ५ लाख रुपये का अनुदान मिला है वह जो योजना चालू है उसमें खर्च किया जा रहा है या कोई नई योजना चालू की जायगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अभी मिला नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न।]

वाराणसी कमिश्नरी में चेचक उन्मूलन योजनान्तर्गत परिगणित जाति के कर्मचारी

*१—श्री हरिगैन राम (जिला वाराणसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कमिश्नरी के जिन जिलों में चेचक उन्मूलन योजना जारी की गई है, उसके अन्तर्गत कितने वैक्सीनेटर तथा दूसरे कर्मचारी रक्खे गये हैं और उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्म सिंह)—वाराणसी कमिश्नरी के ४ जिलों, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया में चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत रक्खे गये कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

श्रेणी	कुल संख्या	परिगणित जाति
१—पैरा मेडिकल एसिस्टेन्ट	४	०
२—हेल्थ एजूकेटर	८	१
३—स्माल पाक्स इन्स्पेक्टर	७९	४
४—वैक्सीनेटर	४७४	२५

श्री हरिगैन राम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस आंकड़े को देखते हुये १८ प्रतिशत पर ध्यान दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये कोशिश तो की गई है ।

ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर दोहाई

*२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेन्टर दोहाई में ट्रेनिंग पाने वाली ग्राम सेविकाओं को कितना स्टाइपेन्ड मिलता है और २० रुपया खाने में और ५ रुपया क्रापट के और हर माह कुछ जुर्माना काटने के बाद एक ग्राम सेविका को कितना रुपया बचता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेन्टर में ट्रेनिंग पाने वाली ग्राम सेविका को ३५ रुपया प्रतिमाह के हिसाब से स्टाइपेन्ड मिलता है ।

क्रापट का ५ रुपया प्रति माह नहीं काटा जाता है और न प्रतिमाह कोई जुरमाना काटा जाता है । भोजन के २०) रुपया देने के बाद १५ रुपया बच जाता है ।

*३—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि उस सेन्टर में जब खाने का मेस सिस्टम है और खर्चा फी खुराक पड़ता है तो २० रुपये मासिक क्यों काटे जाते हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—प्रत्येक प्रशिक्षार्थिनी से २० रूपया पूरे मास की खूराक का काटा जाता है । प्रति खूराक की दर से मूल्य निर्धारित नहीं है न उसके अनुसार कटौती ही दी जाती है । सात दिन से कम समय के लिये अनुपस्थित रहने पर खूराक के मूल्य में कमी नहीं की जाती, किन्तु सात दिन या उसके अधिक समय की अनुपस्थिति में अनपात से खूराक का मूल्य लौटा दिया जाता है ।

*४—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि ५ रुपये हर ग्राम सेविका के क्रापट में काटे जाने के बाद भी उन स्त्रियों को आवश्यकतानुसार सुई और कपड़ा वगैरह क्यों नहीं मिलता जिसके फलस्वरूप उन गरीब स्त्रियों को अपने पास से खरीदना पड़ता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—प्रारम्भ में क्रापट का ५ रु० लिया जाता है । उससे खरीदा हुआ सामान प्रशिक्षणार्थिनियों को ही दे दिया जाता है । उससे वे जो वस्तुयें तैयार करती हैं वे भी उन्हें ही दे दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता होती है तो उनको पुनः सामान खरीदना पड़ता है ।

श्री रियासत हुसैन—श्रीमान्, मेरी सूचना यह है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में मामूली बातों पर जुरमाना डालकर वसूल किया जाता है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहली अप्रैल से अब तक कितना रुपया जुरमाने की शक्ल में चाहे किसी चीज में हो, इन ग्राम सेविकाओं से वसूल किया गया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगी ।

श्री रियासत हुसैन—श्रीमान्, ३५ रुपये स्टाइपेंड देने के बाद २० रुपये काट लिये जाते हैं तो १५ रुपये बचते हैं, उसमें भी उनकी तरफ कपड़ा वगैरा के अन्य बहुत से खर्चे लगाये गये हैं । क्या मंत्री जी ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं कि इन १५ रुपयों में से कोई खर्चा उनके ऊपर न पड़े और हर चीज सरकार से मिले ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इस बात को देखते हुए कि इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग होती है और उनको स्टाइपेंड मिलता है, सरकार ने एक और योजना के अन्तर्गत सोशल वेलफेयर के ए० डी० ओज० की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी है और प्रदेश में नैनी, बख्शी का तालाब आदि अन्य स्थानों में शुरू की है, उनके लिये सरकार ने स्टाइपेंड की कोई व्यवस्था नहीं की है तो क्या मंत्री जी उसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—काहे की व्यवस्था ? इसको जरा स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री ऊदल—यह ट्रेनिंग सरकार ने शुरू कर दी है । हर ब्लाक में एक महिला सोशल वेलफेयर ए० डी० ओ० की नियुक्ति सरकार ने की है । उसकी भी ट्रेनिंग सरकार ने शुरू कर दी है । उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता और अन्य प्रदेशों में मिलता है । उसी के संबंध में जानना चाहता हूं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अगर इसके विषय में माननीय सदस्य कोई प्रश्न करेंगे तो वह भी उत्तर दे दूंगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि वहाँ हर महीने में जुर्माना तो नहीं होता लेकिन जुर्माना लेने के लिये आदेश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं और उसके लिये एक निश्चित तरह के आचरण बनाये गये हैं ? अगर हाँ, तो उक्त आदेश क्या हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—ऐसा कोई आदेश तो नहीं दिया गया, न सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत आयी है ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पाँच रुपये क्राफ्ट के काटे जाते थे वह कब से अब नहीं काटे जाते हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जरा सा मैं निवेदन करूं आपकी जानकारी के लिये । पहले महीने में जब ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग शुरू होती है उस समय पाँच रुपये उनके काटे जाते हैं । और पाँच रुपये का सामान उनको दिया जाता है । लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में और जितने भी सामान की आवश्यकता होती है वह बाद में अपने आप वह खरीदती हैं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—आपने बतलाया कि सात दिन या सात दिन से अधिक अनुपस्थिति में भोजन का व्यय लौटा दिया जाता है । इस बात को देखते हुए ६ या ५ दिन तक सेविकाएं अनुपस्थिति रहती हैं फिर भी उनसे पैसा लिया जाता है । क्या आप इस प्रकार का निर्देश जारी करेंगी कि पाँच या छः दिन अगर खाना न खायें तो उनका पैसा लौटा दिया जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह कोआपरेटिव बेसिस पर उन ग्राम सेविकाओं के अपने ही प्रबंध से मेस चलता है । उनका अपना निर्णय यह है कि सात दिन से ज्यादा अगर कोई लड़की खाना नहीं खायेगी तो वह पैसा वापस दे देंगी । सात दिन के से कम अगर कोई नहीं खायेंगी तो उसका पैसा नहीं वापस किया जायगा । यह तो उनका अपना प्रबंध है ।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि यह व्यवस्था स्वतः सेविकाओं ने अपने निर्णय से लागू किया है या विभागीय आदेश के अनुसार यह व्यवस्था लागू की गयी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—विभाग द्वारा इस विषय में कोई आदेश नहीं है । वह अपने निर्णय की एक सूचना विभाग को भी दे देती हैं ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, फी सेंटर पर कतनी ग्राम सेविकाएं ट्रेनिंग पा रही हैं तथा प्रदेश में कितने ऐसे सेंटर हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—एक वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड है ।

सहकारी बीज भंडार मखदूमनगर के सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्यवाही

*५—श्री सुखरामदास—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में सहकारी बीज भंडार मखदूमनगर से सन् १९६० ई० माह जनवरी २७ को सुपरवाइजर २१२ मन गल्ला और ६ हजार रुपया खाद बिक्री करके भाग गया है ? यदि हाँ, तो उक्त धन की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

न्यायमंत्री मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—सुपरवाइजर ने २८६ मन ३४ सेर १२ छटांक गल्ला बेचा। खाद की बिक्री का कोई पैसा नहीं गया था । उक्त बीज की कीमत ४,०२७ रु० ७१ न० पै० उसकी जमानत से वसूल करने के लिये मंत्री, यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन से, आवश्यक पत्र व्यवहार हो रहा है ।

श्री सुखरामदास—क्या माननीय सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे यह जमानत कितने की हुई है और क्या नकद हुई है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—यह जमानत ६०० रुपये तक नकद होती है और १ हजार रुपया फाइडेलिटी गारंटी बांड की शक्ल में होती है इस तरह से १६०० रुपया जमानत का होता है ।

श्री सुखरामदास—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह सुपरवाइजर मकदूमनगर भंडार आने से पहले मुअत्तल था और मुअत्तली का जिम्मेदार कौन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो पता नहीं है कि उस वक्त क्या था लेकिन उसको सजा हो गई है और वह नौकरी से अलग कर दिया गया है । उस समय की मेरे पास रिपोर्ट नहीं है कि क्या था ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुपरवाइजर्स के काम की देख-रेख कौन-कौन से सरकारी कर्मचारी करते हैं और कौन-कौन से यूनियन के सदस्य करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जितने सुपरवाइजर्स हैं वह सब यूनियन की सर्विस में हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—यह २१२ मन गल्ला गबन कर जाने के सिलसिले में उच्च अधिकारियों को सूचना कब हुई और क्या दो महीने, तीन महीने या कुछ दिनों में गोदाम देखा नहीं जाता क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जाँच करने ही पर पता चला । जब अधिकारियों ने जाँच की बीज भंडार की तब मालूम हुआ कि इतना गल्ला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—तारीख पूछ रहे हैं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—तारीख तो मेरे पास है नहीं । उसके लिये नोटिस की जरूरत है । (व्यवधान) इंसपेक्शंस होते रहते हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या इन बीज गोदामों के कुछ नियम बने हुए हैं कि कितने दिनों पर इनकी जांच की जाय और माल गोदाम में जो सामान पड़ा हुआ हो उसको बेरीकाई किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा कोई खास नियम तो नहीं बनाया जा सकता, खास तौर से बरसात में, बाकी बरसात के बाद बराबर इंसपेक्टर्स वगैरह जाते रहते हैं और वह देखते रहते हैं, जाँच होती रहती है ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया लेकर वह भागा है उसके हिसाब की जाँच की गई, कि कितना रुपया वह लेकर गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बिना जाँच किये कैसे पता चलता कि इतना माल गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब इस समय उस रुपये की वसूली की क्या सरकारी कार्यवाही हो रही है और यह वसूली कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो जो जमानत उसकी है उससे वह रुपया ले लिया जायगा और बाकी के लिये और कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह की कार्यवाही बहुत सी सोसाइटीज के अन्दर हो रही है, कोई ऐसा तरीका अपनाने की कृपा करेंगे कि एक मात्रा से बढ़कर रुपया किसी वक्त में भी सुपरवाइजर्स के कब्जे में न रह सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सुपरवाइजर्स के कब्जे में तो था नहीं । लेकिन जो बीज भंडार हैं या माल गोदाम हैं उनमें उनके करने धरने का काम जो है कितना माल रखा जाय, या कितना बीज रखा जाय, उसी हिसाब से वह रखा जाता है ।

श्री बृजेश्वरसहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बीज भंडार में गल्ला रखा गया तो उस समय चेकिंग की गई थी और जब खोला गया तो चेकिंग से मालूम हुआ होगा कि गबन हुआ, तो इसकी जानकारी अफसर के सामने रखी गई होगी, और उसकी चाभी उसी के पास रहती होगी, तो यह अधिकारी की लापरवाही नहीं है ? उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---अब जिसके खिलाफ उन्होंने मुनासिब समझा, कार्यवाही की है ।

वाराणसी में प्लाटों की रजिस्ट्री में अड़चन

*६---श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी) तथा श्री हिम्मतसिंह---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सद्भावना गृह निर्माण सहकारी समिति, वाराणसी द्वारा उसके सदस्यों से खरीदी जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री कराने पर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्ति संबंधी सुविधा प्लाट नं० १२५, १२६, १३१, ९६/९, १२९/२, १०९/२, ११३, १३७/२, आदि खरीदने के समय दी गई और उन्हें परिस्थितियों और नियमों के अन्तर्गत अब प्लाट नं० ९६/८, ११०/२, १११, १३७/२, के खरीदने पर वह सुविधा दिये जाने में आपत्ति की जा रही है ?

श्री चन्द्रसिंहरावत---जी हां, समिति के अधिकारियों से ज्ञात हुआ है कि सबरजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन वाराणसी द्वारा इस प्रकार की मौखिक आपत्ति की जा रही है ।

*७—श्री विश्वनाथप्रसाद तथा श्री हिम्मतसिंह—सहकारी समितियों के उद्देश्यों और मूल भूत सिद्धान्तों के अनुकूल उन्हें प्रोत्साहन देने के निमित्त ही क्या स्टाम्प ऐक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके विपरीत आचरण से सहकारी समितियों के संगठन और प्रगति पर कुठाराघात न होगा ?

श्री चन्द्र सिंह रावत—सहकारी समितियों तथा उनके सदस्य को समिति के व्यवसाय से संबंधित मामलों में शासकीय आदेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिली हुई है और आवश्यक शर्तों के पूरा होने पर उन्हें यह सुविधा मिलनी चाहिये ।

*८—श्री विश्वनाथप्रसाद तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सहकारिता मंत्री उपर्युक्त मौलिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये संबंधित अधिकारियों को समुचित निर्देश देने एवं रजिस्ट्रेशन व्यय से छूट संबंधी नियमों में तदनुकूल व्यवस्था के हेतु यदि आवश्यक हो, तो संशोधन अथवा परिवर्तन करना वांछनीय समझते हैं ?

श्री चन्द्र सिंह रावत—इस संबंध में समिति से प्रार्थनापत्र मिलने पर यदि आवश्यक हुआ तो उक्त समिति के मामले में सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन वाराणसी का ध्यान इस विषय से संबंधित शासकीय आदेशों की ओर आकर्षित किया जायगा ।

रजिस्ट्रेशन व्यय से छूट संबंधी नियमों में फिलहाल कोई संशोधन अथवा परिवर्तन आवश्यक नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब प्लाट नं० १२५, १२६, १३१ आदि नम्बरों को खरीदने के वक्त उनको स्टाम्प में छूट दी गई तो ये प्लाट नम्बर ९६, ११०, १११ और १३७ से जो आज ड्यूटी मांगी जा रही है रजिस्ट्रार द्वारा उसका आधार क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करते हैं, मालूम यह हुआ कि उन्होंने इसकी जबानी आपत्ति की है और कोई लिखकर नहीं दिया है कि उनकी यह आपत्ति किस आधार पर है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था उस प्रार्थनापत्र में यह चारों नम्बर शामिल थे या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत है क्योंकि वह दरख्वास्त यहाँ पर नहीं हैं लेकिन इतना मालूम हुआ है कि इन प्लाटों की रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन में नहीं हुई । पहले तीन की रजिस्ट्री हुई थी । फिर इन चार की रजिस्ट्री नहीं हुई । मगर यह उन्होंने लिखकर नहीं दिया है ऐसा आफिस के जरिये से मालूम हुआ है ।

श्री विश्वनाथप्रसाद—तो क्या मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने मौखिक आपत्ति किस कारण से की और इसकी क्या वजह है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हमारे सहकारी रजिस्ट्रार ने उनसे लिखकर पूछा था तो सब रजिस्ट्रार ने लिखकर देने से इंकार किया है । अभी जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उन्होंने भी लिखकर नहीं दिया है । जब तक लिखित न आये, जब तक लिखित इंकार न आये तब तक पूछने की बात पैदा नहीं होती ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे शर्तें कौन सी हैं जिसके कारण उनके रजिस्ट्रेशन में बाधा पड़ रही है और छूट मिल रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शर्त यह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के संबंध में बिजनेस होना चाहिये । कोआपरेटिव सोसाइटी के संबंध में बिजनेस में छूट है । कोई प्राइवेट लेन देन हो तो उसमें स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में छूट नहीं है ।

कानपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग से धन का वितरण

*९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग की ओर से हरिजनों को भवन व पानी पीने के कुयें निर्मित करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले की कमेटी ने प्रतिवर्ष कितना धन स्वीकार किया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

वर्ष				भवन निर्माण	कूप निर्माण
				रु०	रु०
१९५६–५७	..	..	..	—	—
१९५७–५८	..	..	..	८,४२५	२७,६४२
१९५८–५९	..	..	..	७,२५०	२५,०५४
१९५९–६०	..	..	..	..	३२,६६१
१९६०–६१	..	..	..	१,०४,०८२	३४,८६५

*१०—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से कितना कार्य पूरा हो गया तथा उसके लिये कितना अनुदान का धन भुगतान कर दिया गया है तथा दूसरी योजना का कितना धन भुगतान करने को अभाव के कारण शेष रह गया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

				भवन निर्माण	कूप निर्माण
पूर्ण कार्य	..	..	..	६४	५८
व्यय धन	..	..	..	१८,०४९	३०,१०५
अपूर्ण कार्यों पर शेष धन जो देना है		..	..	२,३६२	२८,४६८

*११—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में दूसरी योजना के अन्तर्गत इस विभाग का कितना धन भुगतान करने के पश्चात् बच गया है तथा बचा हुआ धन कितना है व इस धन को कानपुर जिले के बकाया भुगतान को पूरा करने के लिये देने को सरकार शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जिले में ९,५२,३३८ रु० भवन निर्माण तथा १३,११,१९३ रु० कूप निर्माण का बिना उपभोग का पड़ा है स्वीकृत कार्यों का पूरा पूरा भुगतान हो जाने के पश्चात् इस धनराशि में कुछ नहीं बचेगा । कानपुर जिले के बकाया भुगतान को पूरा करने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि कौन कौन ऐसे जिले हैं कि जिन्होंने द्वितीय योजना में यह काम लिया था और वह कार्य उस काल में पूर्ण नहीं हो सका ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसमें होता यह है कि जिलों के स्तर पर जो माँग की जाती है उसके बाद धन मिलने पर कार्य को शुरू कर दिया जाता है, लेकिन बीच में धन की कमी के कारण कई बार वह काम रह जाते हैं और तब दूसरी योजना में वह काम पूरे कराये जाते ।

श्री गेंदासिंह—जहाँ तक मैंने सुना है, मंत्री जी ने कहा कि १३ लाख रुपया खर्च करने से बाकी रह गया, तो मंत्री जी इसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया खर्च करने से बाकी रह गया और कितने दिनों से बाकी पड़ा है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह प्रश्न ही दूसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में है । यह काम जो बाकी रह गया है उसके पूरा हो जाने पर इसमें एक भी पैसा बाकी नहीं रह जयगा ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि यह काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है और यह जो १३ लाख रुपया बाकी रह गया है यह सरकारी खजाने में है, या ब्लाक लेविल पर पड़ा है या जिला लेविल पर पड़ा है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—१०२ अधूरे कूप के अतिरिक्त १९ अधूरे कूप प्रथम योजना-काल के भी थे जो दूसरी योजना में पूरे किये गये । और इस के लिये सूचना चाहिये कि यह धन किस स्तर पर रखा हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि एक तरफ तो यह १३ लाख रुपया शेष रह गया है और दूसरी तरफ कुओं की बड़ी जरूरत है और इस स्थिति का मुख्य कारण सरकार के कायदे कानून हैं कि जिनके कारण लोगों को समय पर रुपया नहीं मिलता और कुओं का निर्माण नहीं हो पाता । तो इसकी क्या गारन्टी है कि तीसरी योजना में यह रुपया खर्च हो जायगा ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—तीसरी योजना में इसके लिये पूरी चेष्टा की जा रही है कि इसमें कोई पैसा न बचे और काम पूरा हो जाय ।

श्री गेंदासिंह—यह रकम जिसका पता नहीं है मंत्री जी को कि कहाँ है, ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल लेजर में गाँव सभापतियों के नाम और ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों के नाम पड़ी हो ? हमको तो यह खबर है कि इसमें से कुछ गबन भी हुआ है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—श्रीमन्, ऐसी खबर तो नहीं है । हमारे यहाँ ऐसी इत्तिला नहीं है, आपको होगी परन्तु हमको नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पुरी जिले के तटवर्ती क्षेत्र, गंगा और घाघरा नदियों के किनारे जो पर्वतीय क्षेत्र है, उन इलाकों में हरिजन गाँवों की संख्या ज्यादा है । अनुदान की जो धनराशि है वह हरिजन गाँवों के लिये है । परन्तु इस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है । यदि हाँ, तो क्या इस क्षेत्र के लिये विशेष अनुदान की व्यवस्था सरकार करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह तो कानपुर का है और उसका जवाब दे दिया गया ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये एक पंचवर्षीय योजना का १३ लाख रुपया बाकी पड़ा है और बहुत से काम अभी अधूरे पड़े हैं । इस रुपये के पड़े रहने का मुख्य कारण यह है कि हरिजनों को मकानों या कुओं के लिये रुपया पेशगी नहीं दिया जाता है बल्कि हरिजनों को अपने पास से रुपया लगाना पड़ता है । इसी वजह से काम अधूरे रह जाते हैं । तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि हरिजनों को पेशगी रुपया दिया जाय ताकि वह योजना पूरी हो सके ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—श्रीमन्, यह भी एक कारण है और इसके अलावा कुछ और मुख्य कारण हैं और उन की सूचनायें हैं । इन सब पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने प्रश्न पूछा था उसका कुछ माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया । जब माननीय गेंदासिंह जी ने सूचना दी कि रुपया गबन हो गया तो उन्होंने कहा कि आपकी सूचना सही हो सकती है । यह तो उनको पता है कि यह प्रिविलेज का सवाल बन जायगा । तो आप उनको बताइये कि वे इसका स्पष्टीकरण करें ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, मुझको तो पता नहीं है, यही मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं । उनके पर्सनल लेजर में हो सकती है ।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक बार धन का भुगतान करने के पश्चात् बच गया है । इस सिलसिले में जिन जिलों में रुपया बच गया है, तो क्या यह भी कारण है .....

श्री अध्यक्ष—देखिये इसमें लिखा है कि बकाया भुगतान करने के पश्चात् जो धन बाकी है वह धन कितना है और वह इस धन को, कानपुर जिले के बकाया भुगतान को पूरा करने के लिये देने को सरकार शीघ्र व्यवस्था करेगी । तो यहां यह प्रश्न है कि कानपुर, में वह रुपया डाइवर्ट कर दिया जाय तो किन कारणों से वहां वह पड़ा है, इसका अन्वेषण नहीं किया गया । यह मतलब है ।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन् मैं यह पूछना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—मैंने यह कह दिया और मेरा यह निवेदन है कि मन्त्री महोदय, को इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है । यही मतलब है ।

हरिजन विभागान्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

*१२—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन विभाग की ओर से प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ? वे कितने और कहां-कहां हैं, उनमें प्रति वर्ष कितने शिक्षा पाते हैं और कितनों को सरकारी जगहें दी जाती हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां । हरिजन विभाग की ओर से क्रमशः बख्शी का तालाब, लखनऊ गोरखपुर व नैनीताल में ३ प्राविधक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । जिनः प्रतिवर्ष क्रमशः ११२, ७५ व १०० छात्र प्रविष्ट किये जाते हैं । सरकारी नौकरियां दिलाने की कोई सुविधा या जिम्मेदारी विभाग की नहीं है ।

श्री रतीपाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय, इस बात को देखते हुये कि हरिजन एक पिछड़ा हुआ वर्ग है और उसमें पिछड़े हुये लोग हैं तो वह शिक्षा और ट्रेनिंग पाकर भी जगहों से वंचित कर दिये जाते हैं । अगर जगह खाली भी होती है तो उन लोगों को अधिकारी भुलावा देकर वापस कर देते हैं और दूसरी जातियों के लोगों को रखते हैं । तो क्या सरकार इस पर कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके ऊपर काफी विचार किया गया और जितने ट्रेनिंग पाकर विद्यार्थी निकले हैं उनमें से बहुत संख्या में उन्हें काम भी दिला दिया गया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुये कि हरिजन पिछड़ी जाति के लोग हैं और यह शिक्षा सरकार ने इसीलिये जारी की है कि सरकारी तरीके से प्रशिक्षा पाकर नौकरियों में स्थान पा सकें, तो इसके लिये मन्त्री जी क्या करने जा रही हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जिस समय दाखला किया जाता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन नौकरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिल सके इसका सरकार पूरा ध्यान रखती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या मन्त्री जी श्रम मन्त्री जी से सम्पर्क स्थापति करेंगे ताकि एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा उनको नौकरी मिलने में सुविधा मिले ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस विषय में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है जिससे ट्रेनिंग पाने के बाद इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट उनको सुविधा नौकरी की ज्यादा से ज्यादा दे सके।

श्री रामायण राय—इन असुविधाओं को देखते हुये हरिजन कल्याण विभाग, इंडस्ट्री विभाग, आई० जी० आई०, जी० टी० आई०, सी० टी० आई०, बहुत सी संस्थायें जो सरकार के अधीन काम कर रही हैं, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी जो प्राविधिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी हैं उनका इंडस्ट्रियल ऐडवान्समेंट में ठीक-ठीक उपयोग किया जा सके, सही ढंग से एम्पलाय हो सकें, इन सब संस्थाओं को किसी एक हैड के अधीन करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस विषय में, जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह विचार किया जा रहा है कि हरिजन कल्याण विभाग की देख-रेख में इंडस्ट्रियल विभाग से इनका सम्पर्क किया जाय ताकि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से यह सुविधा मिल सके कि इन हरिजन छात्रों को नौकरियां दिलायी जा सकें।

श्री चन्द्रजीत यादव—प्राविक शिक्षा प्राप्त जो हरिजन छात्र निकलते हैं जिनको किसी कारण से सरकार नौकरी दिलाने में असमर्थ है तो क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि अगर वह कोई निजी काम अपनी शिक्षा के आधार पर करना चाहें तो निश्चित रूप से लोन और अनुदान उन्हें दिया जा सके ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अपनी-अपनी वैयक्तिक शिक्षा के अनुसार जो कोई व्यवसाय चलाना चाहते हैं, और प्रार्थना-पत्र देते हैं तो उनकी पूरी सहायता की जाती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इन तीनों सेंटरों में कितने परसेंट छात्र एब्सार्व किये गये और उनको काम दिया गया और कितने बाकी हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

परिवार नियोजन योजनान्तर्गत सोशियोलाजी में पोस्ट ग्रेजुएट का वेतन

*१३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन (पुरुष वर्ग) में कार्य करने के लिये टेक्नीकल तथा गैर टेक्नीकल योग्यता वालों को वह एक ही स्केल १२० रुपये से ३०० रुपये का दे रही है ? क्या जो सोशल वर्क की पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री हासिल करके कार्य कर रहे हैं उन्हें कोई विशेष भत्ता तथा वेतन देने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत पुरुष वर्ग में कार्य करने वालों को एक ही स्केल १२० रुपये से ३०० रुपये का दिया जा रहा है। इसके लिये कोई टेकनिकल योग्यता निर्धारित नहीं है। सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल किये हुये कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*१४—श्री ऊदल—क्या सरकार के पास भारत सरकार का कोई जी० ओ० आया है जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यदि चाहे तो पोस्ट-ग्रेजुएट आफ सोशल वर्क वालों को २१० रुपये से ४२५ रुपये तक के दे सकती है और उसमें ८० फीसदी भारत सरकार वहन करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, भारत सरकार के एक पत्र में सोशल वर्क या सोशियोलौजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर्मचारियों को २१० रुपये से ४२५ रुपये का स्केल देने का सुझाव दिया है। इस पत्र में यह कुछ नही लिखा है कि भारत सरकार इस व्यय का कितना प्रतिशत सहन करेगी।

*१५—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हर ब्लाक में कार्य करने वालों को सिर्फ महीने में ३ रुपये साइकिल एलाउन्स दिया जाता है, जो बहुत ही कम है ?

श्री धर्मसिंह—हां, ब्लाक में कार्य करने वालों (पुरुष वर्ग) को तीन रुपया साइकिल एलाउन्स दिया जाता है।

श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने कोई इस तरह का पत्र भेज कर भारत सरकार से क्या सूचना प्राप्त की है कि यदि प्रादेशिक सरकार इस स्केल में वेतन कर देगी तो भारत सरकार कितना व्यय वहन करेगी ?

श्री धर्मसिंह—इस पत्र में जो बातें हैं उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं, वित्त विभाग देख रहा है और अभी पूरा निर्णय नहीं हो सका है।

श्री ऊदल—क्या सरकार, जो ३ रुपया महीना साइकिल एलाउन्स दिया जाता है, उसको भी बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामायण राय—बताया गया है कि जो लड़के सोशियोलाजी में पोस्ट-ग्रेजुएट कर लेते हैं और सोशल वर्क कर रहे हैं उनको विशेष वेतन दिया जाता है। तो क्या सरकार, जो इस विषय में ग्रेजुएट नहीं हैं, और यह काम कर रहे हैं, उनके काम को देखकर कोई इस तरह की योजना बनायेगी कि २–४ साल के बाद उनके काम आदि को देख कर उन्हें भी यह विशेष वेतन का फायदा मिल सके ?

श्री धर्मसिंह—मैंने निवेदन किया है कि भारत सरकार की जो सिफारिश है वह विचाराधीन है और जब चुनाव होता है तो इन क्वालीफिकेशन्स वालों को प्रीफरेंस दिया जाता है।

श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार का पत्र कब प्राप्त हुआ ? मेरी जानकारी यह है कि भारत सरकार ने अन्य प्रदेशों को भी यह पत्र भेजे हैं और उसमें उन्होंने ८० फीसदी देने को स्वीकार किया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी जल्दी से जल्दी यह ८० फीसदी भारत सरकार से प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—मैंने तो निवेदन कर दिया है कि विचार हो रहा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछ सकती हूं कि क्या वे अपनी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये परिवार नियोजन के महत्व को देखते हुये इस प्रश्न पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करेंगे जिससे इस परिवार नियोजन की स्कीम को प्रोत्साहन मिल सके ?

श्री धर्मसिंह—शीघ्रातिशीघ्र तो कोशिश कर रहे हैं।

वाराणसी जिले में परिवार नियोजन योजना

*१६—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में परिवार नियोजन योजना का लाभ अलग-अलग विकास खंडों में १९६२ के चालू वर्ष में जनवरी से जुलाई तक कितने दम्पति (पति-पत्नी) पा सके हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—आवश्यक सूचना सलंग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८८–८९ पर)

*१७—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—वाराणसी के परिवार नियोजन विभाग में कितनी महिला कर्मचारी हैं और उनकी सेवा कार्य की रूप-रेखा क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—चार। महिला समाज सेविकायें स्त्रियों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें परिवार नियोजन के सिद्धान्तों से अवगत कराती हैं एवं निर्धारित औषधियां वितरित करती हैं। जन सभायें भी करती हैं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ को अनुदान तथा ऋण

*१८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव फेडरेशन उत्तर प्रदेश को सरकार ने कितने रुपये का कर्जा तथा अनुदान सन् ५७ से अब तक किन-किन कार्यों के लिये दिया है? उसमें कितना कर्जा वसूल हुआ कितना बकाया है?

श्री चन्द्रसिंह रावत—उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लि० लखनऊ को ५६-५७ से ६१-६२ तक १,५९,८१,९५२ रुपये का ऋण बीज के रूप में नये बीज गोदाम खोलने तथा पुराने बीज गोदाम के बीज की पूर्ति के लिये दिया।

इसी अवधि में फेडरेशन को बीज गोदामों के निर्माण हेतु तथा नये बीज गोदामों के प्रथम वर्ष के व्यय तथा उनसे सम्बन्धित साधन व सामग्री के लिये तथा पुराने व नये बीज गोदामों की हानि की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा २७,१५,०००रुपये का अनुदान दिया गया।

ऋण की धनराशि में अभी तक सरकार को कोई रकम वापस नहीं मिली है।

*१९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २८/२९ जुलाई, १९६२ को कोआपरेटिव का प्रदेशीय जलसा लखनऊ में हुआ था? इस जलसे के लिये सरकार ने कुछ रुपया दिया था? यदि हां, तो कितना?

श्री चन्द्रसिंह रावत—२८ जुलाई, १९६२ को हुये सहकारी समारोह के लिये सरकार ने कोई रुपया नहीं दिया था।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १,५९,८१,९५२ रुपये का जो ऋण दिया गया है, मेरी जानकारी में उसके पहले का भी एक करोड़ रुपये के करीब है, तो अब तक जो इसकी वसूली नहीं की गयी, इसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो बीज दिया था उसे हमारे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में अलग-अलग बांटा गया, इसकी अभी तक किस्तें मुकर्रर नहीं हो पायी हैं। किस्तों की कार्यवाही हो रही है और जैसे ही किस्तें मुकर्रर हो जायेंगी, जल्दी से जल्दी उन रुपयों को वसूल करने की कोशिश की जायगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २८ जुलाई, ६२ को जो जलसा हुआ था उसमें अगर सरकार ने कुछ नहीं दिया तो इस फेडरेशन की तरफ से कितना रुपया इस काम में खर्च हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—फेडरेशन ने यह खर्चा नहीं दिया बल्कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के कोआपरेटिव बैंक्स हैं, कोआपरेटिव फेडरेशन है, लैंड मारगेज बैंक्स हैं, मिल्क यूनियन्स हैं, मिल्क फेडरेशन हैं, इन सभी संस्थाओं ने मिल-जुलकर अलग-अलग खर्चा किया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खर्चा किया गया फेडरेशन के जलसे पर और जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया था अगर फेडरेशन ने अपनी तरफ से उस पर खर्चा नहीं किया तो क्या जिले के बैंकों से भी इस सम्बन्ध में कुछ अनुदान लिया गया था?

श्री अध्यक्ष—वे कहते हैं कि विभिन्न सहकारी संस्थाओं ने दिया।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने माननीय सहकारिता मन्त्री जी से इसके लिये नाराजगी जाहिर की थी कि इस तरह का पम्प ऐंड शो कोआपरेटिव फेडरेशन के जलसे के लिये कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से करना उचित नहीं था? क्या बात है जरा माननीय मन्त्री जी इसे बतला दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बिलकुल झूठ है। किसी तरह की नाराजगी उन्होंने नहीं जाहिर की थी।

श्री गेंदासिंह—यह तो बिलकुल अनपार्लियामेंटरी है, माननीय मन्त्री जी इन शब्दों को वापस लें। श्रीमन्, मैं तो आपका ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि माननीय सहकारिता मन्त्री को जरा सज कर जबान चलानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—ठीक है माननीय मन्त्री जी इससे अच्छा बोल सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—बिलकुल निराधार है।

(हंसी)

*२०—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन आजमगढ़ में गबन

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग २ वर्ष जिला कोआपरेटिव संघ, आजमगढ़ में १७५ हजार रुपये का गबन पकड़ा गया था? यदि हां, तो अब तक की कार्यवाही और उसके परिणाम की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां। २९-९-६० को जिला कोआपरेटिव फेडरेशन आजमगढ़ के सदर गोदाम के फर्टीलाइजर स्टाक के जांच करने पर १,७३,०३७ रुपये ७६ नये पैसे का गबन पकड़ा गया था।

मामले में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणाम का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो परिणाम का विवरण संलग्न है उसके नम्बर ४ में लिखा हुआ है—३,२२,९९२ रुपये १३ नये पैसे की गड़बड़ी आडिट रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न मदों में की गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन मदों में इतने रुपये की गड़बड़ी की गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें खाद का रुपया शामिल है और उस के अलावा जो माल की बिक्री का रुपया आया जो माल फेडरेशन का था उसका और जो लोगों का रुपया आया वह सब इसमें था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि विवरण के नम्बर १ में कहा गया है कि यह मुकदमा पहले अतिरिक्त जिलाधीश न्याय के यहां था और वह बाद में वहां से हटाकर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, फूलपुर के यहां किया गया। तो यह उच्च अधिकारी से उन छोटे अधिकारी के यहां करने का कारण क्या था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—असल में ऐसे केसेज ज्यादातर जूडीशियल आफिसर ही करते हैं, वह अतिरिक्त जिलाधीश न्याय के पास कैसे पहुंच गया था इसकी इत्तिला हमारे पास नहीं है।

श्री ऊदल—गबन आजमगढ़ में ३ लाख के ऊपर, फैजाबाद में २ लाख के करीब, गोरखपुर में ४ लाख के करीब, प्रतापगढ़ में और बभनान कोआपरेटिव फेडरेशन में, नैनीताल में दस लाख करीब हुआ है। तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि यह जितने कोआपरेटिव फेडरेशन हैं उनको अच्छे ढंग से चलाया जाय और जांच पड़ताल की जाय ताकि भविष्य में ऐसे लम्बे गबन न हों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो आंकड़े माननीय सदस्य ने दिये हैं उनमें आजमगढ़ की बात तो सही है लेकिन और जगह के आंकड़ों के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है और मैं समझता हूं कि उनकी वह सूचना ठीक नहीं है।

श्री गेंदासिंह—माननीय सहकारिता मन्त्री जी की असमर्थता को देखते हुये क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या मन्त्री जी सूबे भर में एक बार सारे गबनों की रकम का ठीक पता लगाने का कष्ट करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गबन जो हुये हैं उनकी रिपोर्ट तो हमेशा आती रहती है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको इकट्ठा रकम दे दी जायगी लेकिन मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि गबन अब कम हुये हैं, यह पहले के हैं अब ज्यादातर कम हो रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह जो कार्यवाही नम्बर ६ में बताया गया है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार ४ और सहायक निबन्धकों का जवाब तलब है, तो वह बतायेंगे कि वह कौन-कौन हैं और उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही न होने का कारण क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले जो रिपोर्ट आई वह फर्टिलाइजर के बारे में थी और सम्बन्धित आफिसर के खिलाफ जो कार्यवाही हुई उसमें स्पेशल आडिट हुआ। उसमें दूसरों की भी जिम्मेदारियां निकलीं। उन चारों का जवाब तलब किया गया है, उनके नाम इस समय मुझे मालूम नहीं हैं, सूचना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री जी सूबे की उन कोआपरेटिव संस्थाओं की एक लिस्ट मंगाकर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह आप फिर पूछ लें।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में जो गबन हुआ और जिसमें पहले १ लाख के गबन का पता चला तो जो व्यक्ति जिम्मेदार थे और कहा गया है कि फेडरेशन के चेयरमैन और वाइसचेयरमैन भी जिम्मेदार थे और जिस पर स्पेशल आडिट हुआ था तो उन चेयरमैन और वाइसचेयरमैन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जो भी सम्बन्धित आदमी होंगे सब पर जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह की जायगी।

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ के कर्मचारियों का वेतन

*२२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उनके वेतन तथा एलाउन्स का क्रम क्या है?

श्री चन्द्रसिंह रावत—उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लखनऊ के कार्यालय में कुल २२० कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उनका वेतन-क्रम तथा एलाउन्स निम्न है—

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि० के प्रधान कार्यालय तथा उसकी शाखाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची।

(कार्याधिकारी की सेवायें)

		रुपये
सचिव	१	५००—१,२००
संयुक्त सचिव	३	२५०—८५०
लेखा अधिकारी	१	२५०—८५०
विशेष अधिकारी	३	२५०—८५०
प्रबन्धक सहकारी औषधि निर्माणशाला, रानीखेत ..	१	२५०—८५० (पेंशन रहित वेतन)।

(अधीनस्थ सेवायें प्रथम श्रेणी)

अधीक्षक इत्यादि	१८	२००—१०—२५०—१५—४००।

(लिपिक वर्गीय सेवायें)

प्रधान लिपिक इत्यादि	३	१५०—१०—२००—१५—२७५।
आशु लिपिक	२	१२५—९—२१५—१२—२७५।
वरिष्ठ गणक एवं सहायक	२	१२५—१०—२२५—१२—२०५।
	४५	१२०—८—२००—१०—२५०।
कनिष्ठ गणक एवं सहायक	३	९०—८—१७०—१०—२२०।
	३९	८०—४—१००—५—१५०
कनिष्ठ सहायक ..	९	६०—४—१००
चालक (मोटर)	३	७०—५—८०।
	१	६०—५—७०।
भवणालय के तकनिकी कर्मचारी	१	५५—९५।
	२	५५—८५।
	१	४५—७५।
	४	४०—७५।
निम्नवर्गीय कर्मचारी	७८	३०—१—३५—२—५५।
योग ..	२२०	

महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेशीय सरकार की भांति प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि यह सूची जो दी गयी है इसमें कितने कर्मचारी गबन के मामले में सस्पेंड हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गबन के इस मामले में कई आदमी सस्पेंडेड है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—प्रबन्धक, सहकारी औषधि निर्माण शाला के पद पर जिस आदमी की नियुक्ति हुई है वह किस योग्यता के आधार पर हुई है और उस पोस्ट का विज्ञापन दिया गया था या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह कोआपरेटिव में पुराने काम करने वाले व्यक्ति हैं और शिक्षा भी उनकी काफी है। मैनेजिंग कैपेसिटी उनमें है। इसी योग्यता पर उनकी नियुक्ति की गयी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इस विभाग में आधे से ज्यादा लोग ४ वर्षों से अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं, यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अनुपात तो कोई बतलाया नहीं जा सकता लेकिन कुछ जरूर अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसका कारण यह होता है कि कुछ जगहें आती हैं और उनमें अस्थायी लोग रख लिये जाते हैं।

*२३—**श्री राधेश्याम शर्मा** (जिला मथुरा)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

*२४—२६—**श्री महादेव** (जिला फैजाबाद)—[१६वें बुधवार के लिये प्रश्न १—३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में हरिजन विद्यार्थियों को सहायता

*२७—**श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५७ से अब तक आजमगढ़ में प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों के लिये प्रतिवर्ष कितना धन छात्रों के लिये स्वीकृत किया गया और कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ?

*२८—क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वर्षों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का कितना धन ऐसा था जो छात्रों को किसी भी कारण से छात्रवृत्ति न देने से बच गया ? इसके क्या कारण थे और उस धन का उपयोग कहां किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्रित की जा रही है।

जौनपुर जिले में हरिजन कल्याणार्थ सहायता

*२९—**श्री केशरीप्रसाद पांडेय** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मछली शहर और मुंगरा-बादशाहपुर, जिला जौनपुर के विकास क्षेत्रों में हरिजनों के पानी पीने के लिये कितने कुयें और हैंडपम्प लगाये गये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इन विकास क्षेत्रों में क्रमशः ८ तथा १४ कुयें बनवाये गये हैं और २८ तथा ४३ हैंडपम्प लगाये गये हैं।

*३०—**श्री केशरीप्रसाद पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में हरिजन विद्यार्थियों को शैक्षिणिक सुविधा के लिये कितना धन १९६२—६३ में खर्च करने का प्राविधान है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—२,९९,४५५ रुपया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि मछलीशहर ब्लाक के किन-किन गांवों में ये ८ कुयें लगाये गये हैं और २८ पम्प किन-किन गांवों में लगे हैं और किनके जरिये लगाये गये हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—केवल ये ८ कुयें मछलीशहर में ब्लाक में हैं, यह तो साधारण ज्ञान की बात है। तो ये ८ कुयें किन-किन गांवों में लगाये गये हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका जवाब जानबूझ कर एवायड किया गया है। इसके लिये विशेष रूप से विशेष लोगों को अनुदान दिया गया है और उनसे विशेष काम लिया जाता है....

श्री अध्यक्ष—यह मतलब था तो आप पूछते कि मछलीशहर और मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में किन-किन गांवों में ये कुयें बनाये गये हैं लेकिन आपने सवाल पूछा है कि सारे क्षेत्र में कितने कुयें बनाये गये हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—कुयें तो गांवों में ही बनाये गये होंगे और गांवों के नाम होंगे, आसमान से तो चीज आई नहीं होगी।

अब मेरा प्रश्न यह है कि जिन गांवों में तथा हरिजन बस्तियों में कुयें नहीं बनाये गये हैं, हैंड पम्प नहीं लगाये गये हैं वहां सरकार ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेगी जिससे यह दिक्कत दूर हो जाय?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अवश्य कोशिश की जाएगी। मैं जरा स्पष्ट कर दूं माननीय सदस्य से अगर इसमें कोई विशेष कारण है तो उसे भी छिपाने से हमें कोई लाभ नहीं। माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसका पूरा ब्योरा मैं उनको दे दूंगी।

जालौन जिले में हरिजन स्कूल

*३१—श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में कितने हरिजन स्कूल चल रहे हैं और उन स्कूलों के कर्मचारियों का वेतन क्या नियमित रूप से दिया जाता है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री विजयसिंह—मान्यवर, यह प्रश्न भी १९-९-६२ का है और सिर्फ एक ही जिले जालौन के बारे में है। केवल एक पत्र लिख देने से ही सरकार को यह उत्तर प्राप्त हो जाता परन्तु सरकार ने कोई प्रयत्न इस सम्बन्ध में नहीं किया कि थोड़ा सा उत्तर भी प्राप्त हो सके। एक दफा यह स्थगित भी किया जा चुका है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं। प्रश्न तो एक जिले का अवश्य है लेकिन विस्तृत प्रश्न है। हमें प्राइमरी स्कूलों की अध्यापिकाओं, महिला स्कूलों की अध्यापिकाओं तथा प्राइवेट स्कूलों की अध्यापिकाओं के विषय में जानकारी करनी थी इस प्रश्न के सिलसिले में, इसीलिये इसमें विलम्ब हुई।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अब आगामी बार तो आ ही जायगा।

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आगरा जिले के मल्लाहों की जातीयता

*३२--श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरा के मल्लाह (मझवार) कहे जाने वाले लोगों को वह भारतीय संविधान के प्रथम संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत कौन-सी जाति (श्रेणी) में मानती है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--आगरे के मल्लाह जाति का कोई भी सदस्य अपने को मझवार नहीं बताता। अतः उन्हें अनुसूचित जाति मानने का प्रश्न नहीं उठता। प्रादेशिक सूची के अनुसार आगरा के मल्लाह विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित किये गये हैं।

*३३--श्री बनवारीलाल विप्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कलेक्ट्रेट के कोर्ट रूम में रखी गई सरकारी जाति सूचिका की पृष्ठ संख्या ५१ के मुताबिक उक्त जाति के लोगों को विमुक्त जाति में माना गया है जो अछूत जाति के अन्तर्गत जाति ही मानी जाती है? यदि हां, तो उन्हें अब तक भारतीय संविधान की धारा ३३५, ३३८-३३९ के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित रखने का क्या कारण है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी हां। उक्त जाति के लोगों को विमुक्त जाति में माना गया है, परन्तु वह अछूत जाति से बिल्कुल पृथक है। उक्त जाति के लोगों को विमुक्त जाति की सभी सुविधायें व अधिकार उपलब्ध हैं।

*३४--श्री बनवारीलाल विप्र--क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के मझवार (मल्लाह) जाति के विद्यार्थियों की स्कूल और कालेजों में फीस माफ है? यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों को राजकीय सुविधा प्राप्त हो रही है और किन-किन स्कूल और कालेजों में ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--आगरा जिले में कोई मझवार जाति का विद्यार्थी नहीं है। यदि कोई मझवार जाति का विद्यार्थी हो तो उसे सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

वाराणसी जिले में महिला मंगल योजना

*३५--श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)--क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में महिला समाज के बहुमुखी विकास के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कोई शाखा इस जिले में भी है? यदि हां, तो उसके कार्यक्रम में निम्नलिखित सेवाओं में क्या प्रगति हुई है--

(क) असहाय महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास, (ख) जच्चा-बच्चा की देखभाल के अभाव की पूर्ति, (ग) महिलाओं की ट्रेनिंग के संक्षिप्त कोर्स, (घ) विश्राम-गृह और रैन बसेरा, (ङ) परिवार सलाहकार संस्थायें?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी नहीं। इस कार्य के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वाराणसी में कोई शाखा स्थापित नहीं की है।

दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*३६--श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)--गांवों में महिला कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत वाराणसी जिले में अलग-अलग विकास खंडों के आधार पर ग्राम सेविकाओं, मिडवाइफों, ग्राम लक्ष्मियों तथा अवैतनिक कार्यकर्त्रियों की संख्या क्या है?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१ पर)

फर्रुखाबाद जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजरों के खिलाफ शिकायतें

*३७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कौन-कौन सुपरवाइजर कोआपरेटिव हैं जो तीन-तीन साल से ज्यादा हो गये हैं और एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, क्या उनमें ऐसे भी सुपरवाइजर हैं जिनकी शिकायतें भी चल रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—निम्नलिखित १६ सुपरवाइजर तीन साल से अधिक समय से फर्रुखाबाद जिले में एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं :—

(१) श्री भारत सिंह,
(२) ,, कन्हैयालाल शर्मा,
(३) ,, हरनाथ दुबे,
(४) ,, मोती लाल,
(५) ,, हरनाथ सिंह तोमर,
(६) ,, घसीटे लाल,
(७) ,, नारायन प्रसाद पाठक,
(८) ,, लाल बहादुर चतुर्वेदी,
(९) ,, राम चन्द्र शर्मा,
(१०) ,, रमेश चन्द्र गुप्ता,
(११) ,, विश्वनाथ सिंह,
(१२) ,, देवकीनन्दन शर्मा
(१३) ,, मन्नी लाल श्रीवास्तव,
(१४) ,, शिवदान सिंह,
(१५) ,, छद्दामी लाल शर्मा,
(१६) ,, रूप नारायण सक्सेना।

इनमें से केवल श्री हरनाथ सिंह तोमर के विरुद्ध शिकायतें हैं।

*३८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—अगर हां, तो वह क्या-क्या शिकायतें हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घटिया किस्म की खाद बांटने, फर्जी ढंग से रसीदें देने, कम तौलने, अच्छी किस्म की खाद चोर बाजारी में बिकवाने इत्यादि की शिकायतें थीं। अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी फर्रुखाबाद ने मामले की जांच की। आरोपों में तथ्य पाने पर उक्त सुपरवाइजर के विरुद्ध चार्ज शीट लगा दी है जिसका उत्तर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, महसों

*३९—श्री हरिनाथ तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थान महसों जिला बस्ती में Co-operative Supervisors Training School में इस वर्ष विद्यार्थी और अध्यापकों की कितनी संख्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, महसों (बस्ती) में १ प्रधानाध्यापक तथा ३ अध्यापक हैं। विद्यार्थियों की संख्या ३१-५-६२ तक ६७ थी। उसके बाद से केन्द्र पर कोई भी प्रशिक्षार्थी नहीं है।

विधान सभा

कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन, इलाहाबाद में घाटा

*४०—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में कोआपरेटिव सप्लाई मिल्क यूनियन में १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ ई० तक कितने रुपये का घाटा हुआ और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनयिन में लगभग ४४,४४८ रु० का घाटा हुआ। घाटे के कारण यह थे कि गत वर्ष की अपेक्षा दूध की बिक्री इस वर्ष कम हुई और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादकों को दूध की कीमत विशेष देनी पड़ी।

*४१—श्री बंशीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस अवधि में कितने नमूने मिल्क के लिये गये और उनमें कितने प्रतिशत मिलावटी दूध पाया गया, मिलावट करने वालों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१ अप्रैल, १९६१ ई० से मार्च, १९६२ तक इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के सेल्स मैनों से, जब वे नगर में दूध बांट रहे थे, १६ नमूने लिये गये जिनमें से एक का मुकदमा चला और सेल्समैन मुक्त कर दिया गया।

दो मुकदमे सेल्समैनों के ऊपर चल रहे हैं। शेष के विषय में नगर महापालिका इलाहाबाद से सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नकली औषधियां, व मलेरिया विभाग के कर्मचारी

*१—श्री रामायण राय—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वे किसी ऐसी योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं जिससे नकली औषधियों का निर्माण तथा विक्रय रोका जा सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी कोई नई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

*२—श्री रामायण राय—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जन-संख्या की वृद्धि के अनुसार सर्विलेन्स इन्स्पेक्टरों तथा हाउस विजिटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जन-संख्या बढ़ गई है और इस वृद्धि के अनुसार सर्विलेन्स इन्स्पेक्टरों तथा हाउस विजिटरों की संख्या बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*३—श्री रामायण राय—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग के फील्ड कर्मचारी जैसे हाउस विजिटरों तथा सर्विलेन्स इन्स्पेक्टरों को वेतन निश्चित समय पर क्यों नहीं मिल पाता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मलेरिया विभाग के फील्ड कर्मचारियों को निश्चित समय पर वेतन वितरण करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है, पर प्रत्येक यूनिट के चारों सब-यूनिटों में वेतन ऐन्टी-मलेरिया आफिसर को जा-जा कर बांटना पड़ता है और यदि कोई व्यक्ति उस पूर्व निर्धारित तिथि पर अपने सब-यूनिट में उपस्थित नहीं हुआ तो वेतन का वितरण उसी समय सम्भव हो पाता है जब ऐंटी-मलेरिया आफिसर निकट भविष्य में उस यूनिट का दौरा करे।

स्टेट डेवलपमेंट लोन

*४—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक २७ अगस्त, १९६२ को जारी किये जाने वाले स्टेट डेवलपमेंट लोन में अब तक कुल कितना रुपया जमा हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२७ अगस्त, १९६२ को जारी किये जाने वाले ४ १/२ प्रतिशत उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट लोन, १९७४ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से मिली हुई रिपोर्ट के अनुसार ११,८२,१२,७०० रु० जमा हुआ और ऋण उसी दिन बन्द कर दिया गया। ऋण का ९,००,००,००० रु० तथा इसका १० प्रतिशत अर्थात् ९०,००,००० रु० और रखने का अधिकार सरकार को सुरक्षित है।

*५—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि कोई हुकुम के हर जिलों कलेक्टरों को जारी किया गया है कि हर किसान से इस लोन में बिला रसीद दिये हुए चन्दा लिया जावे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*६—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि कितना रुपया जिला मुरादाबाद की तहसील मुरादाबाद में लेखपालों द्वारा किसानों से लोन के लिये जमा किया गया और उनकी रसीदें जारी नहीं की गयीं और रसीदें जारी न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*७—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—[२४ अक्तूबर, १९६२ के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*८-१०—श्री चन्द्रजीत यादव—[हटा दिये गये।]

*११-१२—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर परिवार नियोजन केन्द्र में लेडी डाक्टर न होना

*१३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर में परिवार नियोजन के लिये कोई महिला डाक्टर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नहीं। प्रदेश में लेडी डाक्टरों की भारी कमी के कारण सहारनपुर परिवार नियोजन केन्द्र में अब तक कोई लेडी डाक्टर नहीं भेजी जा सकी।

*१४—श्री बालोजी अग्रवाल—[हटा दिया गया।]

*१५-१७—श्री रघुनाथसिंह—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कोआपरेटिव आडीटर्स

*१८—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव आडीटरों को जो चपरासी मिले हुये थे वह क्यों वापस किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शासन ने व्यय में कमी करने के उद्देश्य से अप्रैल, १९६१ से निश्चय किया कि ३०० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों से चपरासी वापस ले लिये जायं। फलतः कोआपरेटिव आडीटरों से जिनका अधिकतम वेतन २५० रु० प्रति मास है, चपरासी वापस ले लिये गये।

*१९—श्री श्रीराम—क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोआपरेटिव आडिटरों को फिक्स्ड टी० ए० २२.५० न० पैसे प्रति मास ७५.०० से १२०.०० के ग्रेड का क्यों दिया जाता है जब कि उनका ग्रेड १२०.०० से २५०.०० रु० का है और उनको ४० रु० मिलना चाहिये ? क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रही है, यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकारी कर्मचारियों को निश्चित यात्रा भत्ता अपने कार्य क्षेत्र में की गई यात्राओं के लिये साधारण यात्रा-भत्ते की एवज में दिया जाता है। एक ही वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को निश्चित यात्रा भत्ते की दर को निर्धारित करने में विभिन्न वेतन-क्रमों का विचार नहीं किया जाता। इस कारण सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने नहीं जा रही है।

सहकारी संघ, कोपरगंज, कानपुर में गबन

*२०--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ, कोपरगंज, कानपुर में गबन के संबंध में कितने कर्मचारी निलम्बित अवस्था में हैं, वह कब से निलम्बित हैं तथा उनके विरुद्ध कौन-कौन से आरोप हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--दो कर्मचारी १०-११-६१ से निलम्बित हैं। दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध २६,३०० रु० गबन करने का आरोप है।

सहकारी कोल्ड स्टोरेज, फर्रुखाबाद

*२१--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सहकारिता मंत्री को यह ज्ञात है कि जिस स्थान पर उन्होंने दिनांक २५ अगस्त, १९६२ को फर्रुखाबाद में सहकारी कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास किया वह स्थान सहकारी समिति कोल्ड स्टोरेज के नाम transfer हो चुका है अथवा अभी भी उसके मालिक अन्य लोग ही हैं ? यदि वह जमीन अन्य लोगों की है, तो ऐसे स्थान पर शिलान्यास किया जाना कहां तक उचित है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सहकारी कोल्ड स्टोरेज, फर्रुखाबाद के शिलान्यास के पहले ही समिति ने २,५५० रु० पेशगी देकर भूमि खरीदने के लिये इकरारनामा लिखवा लिया था। इस इकरारनामे के अनुसार भूमि का मालिक बाध्य है कि कभी भी जमीन का बैनामा लिखाया जा सकता है इसलिये कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास करना कुछ अनुचित न था।

*२२--श्री रतीपाल--[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२३-२४--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)--[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२७--श्री रामचरणशाह (जिला खीरी)--[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

परिवार नियोजन योजना में सोशल वर्कर्स

*२८-श्री नरसिंह नारायण पांडेय, श्री राम सुन्दर पांडेय तथा श्री रतीपाल--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन की महत्ता को देखते हुए इसके अन्तर्गत सोशल वर्कर्स (पुरुष) को टी० ए० एवं निवास स्थान की समुचित व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--सरकार का सोशल वर्कर्स को टी० ए० तथा निवास स्थान की व्यवस्था करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

*२९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री रतीपाल--क्या नियोजन मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त सोशल वर्कर्स को उनको स्थानीय जिलों के सन्निकट ही रखा जाय ताकि वे अधिक से अधिक जन-सम्पर्क स्थापित कर सकें तथा परिवार नियोजन को यथेष्ट सफलता प्रदान करें ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव--सरकार का यही प्रयत्न होता है कि प्रत्येक सोशल वर्कर को उसके स्थानीय जिलों के निकट रखा जाय।

*३०-३१—श्री राधेश्याम शर्मा—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये ।]

मिस सी० एन० सिंह का वाराणसी से बरेली को स्थानान्तरण

*३२—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत मेटरनिटी सेन्टर, बेनियाबाग में मिस सी० एन० सिंह, सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट जो छात्राओं को आक्जीलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग दे रही हैं उनके तथा छात्राओं के बीच कोई झगड़ा हुआ था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां ।

*३३—श्री गयाप्रसाद—क्या उक्त झगड़े के सिलसिले में मिस सी० एन० सिंह का स्थानान्तरण वाराणसी से बरेली कर दिया गया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां ।

*३४—श्री गयाप्रसाद—क्या यह सही है कि मिस सी० एन० सिंह, सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट अपने स्थानान्तरण पर बरेली न जाकर वाराणसी में छुट्टी लेकर विराजमान हैं और छात्राओं को अत्यधिक परेशान कर रही हैं ? यदि ऐसा है, तो क्यों और क्या सरकार तुरन्त इस संबंध में कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्राप्त सूचना के अनुसार मिस सिंह ने अभी तक बरेली में चार्ज नहीं लिया है तथा अस्वस्थता के आधार (Medical Ground) पर छुट्टी के लिये आवेदन-पत्र दिया है । परन्तु उनके वाराणसी में निवास करते रहने तथा छात्राओं को परेशान करने की कोई सूचना सरकार को नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*३५-३६—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—[२४ अक्तूबर, १९६२ के लिए प्रश्न ३१—३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन

*३७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेशीय स्तर पर कोई मिल्क फेडरेशन स्थापित किया गया है, यदि हां, तो कब और उसके चेयरमैन व सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । अप्रैल, १९६२ में] प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की स्थापना हुई ।

निम्नलिखित व्यक्ति उसके सभापति, उप-सभापति और सदस्य हैं :

सभापति .. श्री मंगला प्रसाद ।
उप-सभापति .. श्री नारायणदत्त तिवारी ।

सदस्य

१—श्री मुम्तजा हुसैन अब्बासी,
२—श्री शिवनाथ गिरि,
३—श्री मोहनसिंह,
४—श्री शुवर सिंह,
५—श्री चन्द्रिकाप्रसाद मिश्रा,
६—श्री बी० एन० राजदान, अतिरिक्त निबंधक,
७—श्री रणजीत सिंह, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी ।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी का स्थान रिक्त है और क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—किसी भी जिले में नहीं ।

*३९—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१६ वें बुधवार के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*४०-४१—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—[१६ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३-४४—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—[१६ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कोरी जाति

*४५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—प्रथम सत्र १९६२ के ७ वें बुधवार के लिये निर्धारित, दिनांक १ अगस्त, १९६२ के प्रश्न संख्या १७, १८ तथा १९ के उत्तर के क्रम में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब आगरा, मेरठ तथा रुहेलखंड डिवीजनों की कोरी जाति को अनुसूचित वर्ग में सम्मिलित करने का कोरी महासभा, उत्तर प्रदेश का मांग-पत्र और ३० मा० विधायकों की शिफारिश सरकार को प्राप्त हो चुकी है तो फिर कोरी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने की सिफारिश भारत सरकार से करने में क्या बाधा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त डिवीजनों की कोरी जाति को अस्पृश्य नहीं माना जाता है और न उनके साथ कोई अस्पृश्यता का व्यवहार ही किया जाता है । इसलिये भारत सरकार से इस संबंध में सिफारिश करने का कोई आधार नहीं है ।

ट्रेजरी क्लर्क्स

*४६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खजाने के क्लर्कों के रूल कब तक बनेंगे जब कि खजाना १ अप्रैल, १९५८ से कलक्टरी से अलग करके बैंक से सम्बन्धित हो गये हैं ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—नये सेवा नियमों का आलेख्य तैयार हो चुका है और उन पर माल, नियुक्ति, न्याय विभागों, महालेखापाल व लोक सेवा आयोग आदि की सम्मति लेकर उन्हें प्रकाशित किया जायगा । इसमें अभी समय लगेगा ।

*४७—श्री मतोला सिंह—क्या सरकार को यह जानकारी है कि बैंक से संबंधित कलक्टरी के क्लर्कों को वेतन व छुट्टियां कम मिलती हैं और काम समय से अधिक लिया जाता है ? यहां तक छुट्टियों में भी काम करने जाना पड़ता है जब कि बैंक में ओवर टाइम का भत्ता दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—कलेक्टरी के कर्मचारी सरकारी नौकर होते हैं और बैंकों के कर्मचारी बैंकों के निजी (प्राइवेट) कर्मचारी होते हैं । दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है । अतः उनके वेतन, भत्ता, काम करने के समय तथा छुट्टियों की सुविधाओं आदि में समानता होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४८—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को जानकारी है कि कलेक्टरी खजाने के क्लर्कों को न भत्ता दिया जाता है और न बैंक के क्लर्कों के मुकाबिले उनको तनख्वाह और अन्य छुट्टी इत्यादि की सुविधायें दी जाती हैं ? क्या सरकार कलेक्टरी के क्लर्कों के वेतन, भत्ता आदि पर विचार करने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री जयराम वर्मा—कलक्टरी खजाने के क्लर्क सरकारी नौकर होते हैं । बैंक के क्लर्कों से उनकी समानता करने और इस आधार पर उनके वेतन, भत्ता, आदि पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत आडीटर्स

*४९—श्री छांगुर—तारांकित प्रश्न संख्या २२, दिनांक १२ सितम्बर, १९६२ के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि आज तक आडिटरों की पूरी संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी जिनके द्वारा गांव सभाओं का आडिट प्रतिवर्ष हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पंचायत आडीटरों की स्वीकृति संख्या अब पूरी हो चुकी है । यदि अब भी प्रति वर्ष आडिट नहीं हो पायेगा तो उसका उचित उपाय किया जायगा ।

*५०—श्री छांगुर—क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आडिटरों की स्केल आफ पे बहुत कम है जिसके कारण उनकी संख्या पूर्ण नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी स्केल आफ पे बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पंचायत सम्प्रेक्षकों की स्वीकृत संख्या पूरी हो चुकी है, अतः इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

*५१-५२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—[१६ वें बुधवार लिये स्थगित किये गये ।]

चरखारी के लिए रजिस्ट्रेशन आफिस

*५३—श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चरखारी तहसील, जिला हमीरपुर में Registration office अभी तक न खुलने का क्या कारण है जब कि current financial year के बजट में चरखारी में Registration Office खोले जाने का Provision है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के आदेश जारी किये जा चुके हैं परन्तु कतिपय प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर वहां रजिस्ट्री का कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२—श्री रघुनाथसिंह—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन को ऋण

३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद कोआपरेटिव सप्लाई यूनियन को कुल कितना-कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन को अब तक सरकार द्वारा २,२५,३४७ रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं ।

४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में कितना-कितना लाभ या हानि इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन को हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन को पूछे गये वर्षों में निम्नलिखित लाभ तथा हानि हुई—

				रु०
१९५९–६०	..	..	..	५,१९७ लाभ
१९६०–६१	..	..	..	१५,८२८ लाभ
१९६१–६२	..	..	..	इस वर्ष की बैलेंस शीट अभी तैयार नहीं है ।

५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सहकारिता मंत्री बतलायेंगे कि इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियम को दूध तथा मक्खन की जांच स्वास्थ्य विभाग की ओर से १९५९ से १९६२ तक की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नगर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग ने दुग्ध वितरकों से १९५९ से १९६२ तक दूध के ४६ सेम्पुल्स लिये हैं । मक्खन का कोई नमूना नहीं लिया गया ।

मोहनगंज के हरिजनों की शिकायतें

६—श्री रतीपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मुख्य मंत्री को जुलाई, १९६२ में ग्राम मोहनगंज, थाना सलवन, जिला राय बरेली के हरिजनों व पिछड़ी जाति के लोगों की ओर से इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि उनसे जबरन उस गांव के ठाकुर लोग गन्दे काम करवाते हैं तथा उनके मकानों का ताला तोड़ कर उनको हानि पहुंचाई जाती है तथा उनसे जबरन बेगार लिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार ने उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही अब तक की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसका क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त आशय का एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था । इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने थानेदार सलोन को भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७/४५४/३२३/३७४ के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके जांच करने का आदेश दिया है । मुकदमें की तफतीश हो रही है ।

सिधौली तहसील की हरिजन बस्ती

७—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में जो हरिजनों के लिये बस्ती बनाई गई है उसकी लागत क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—३,१०,००० रुपया ।

८—श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें कितने परिवार रह रहे हैं, कितनों के रहने की जगह है तथा जो खाली हैं वे कितने दिनों से खाली है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—१०५ परिवार रह रहे हैं । ३१० में से १४३ परिवारों के रहने के लिये मकान पूर्ण हो चुके हैं । ३८ मकान खाली हैं जिनमें से १६ मकान ३ साल से, १२ मकान २ साल से, १० मकान १ साल से खाली है ।

नजीबाबाद नगरपालिका से वेश्यायें हटाने की प्रार्थना

९—**श्री श्रीराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका के इस काल में जब से वह सुपरसीड है नगर के लोगों ने नजीबाबाद के मेन मार्केट से पेशे वाली वेश्याओं को हटाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधीश बिजनौर और राज्य सरकार को दिये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस सम्बन्ध में तीन प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं जिनमें से एक प्रार्थना-पत्र कमिश्नर को सम्बोधित है, दूसरा नजीबाबाद के नागरिकों से प्राप्त हुआ है तथा तीसरा स्वयं सदस्य महोदय ने भेजा है । इस के अतिरिक्त दो प्रार्थना पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं जिसमें से एक नजीबाबाद के नागरिकों ने भेजा है तथा दूसरा स्वयं सदस्य महोदय ने ।

१०—**श्री श्रीराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां से वेश्यायें क्यों नहीं हटाई गईं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट के लागू होने के पूर्व म्युनिसिपल बोर्ड, नजीबाबाद द्वारा नगरपालिका के उपनियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की गई थी । परन्तु उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के कारण ये उपनियम अब रद्द हो चुके हैं । जहां तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस दिशा में कार्यवाही करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जिलाधीश को प्रसारित किये जा चुके हैं तथा हाल ही में और विशेष पुलिस अधिकारी भी नियुक्त कर दिये गये हैं ताकि उक्त अधिनियम के प्राविधानों को प्रगाढ़ रूप से कार्यान्वित किया जा सके ।

११–१२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

१३–१४—**श्री शिवेन्द्रप्रताप**—[हटा दिये गये ।]

१५–१६—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

१७–१९—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

२०–२१—**श्री हलीमुद्दीन** (जिला मुरादाबाद), **श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती) तथा **श्री रामचन्द्रसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

२२—**श्री मेड़ीलाल** (जिला बाराबंकी)—[१६वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२३—**श्री मतोलासिंह**—[१६ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कोआपरेटिव आडिटर्स के चपरासी

२४—**श्री छांगुर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी समितियों के आडिटरों के चपरासियों को सरकार ने वापस ले लिया है ? यदि हां, तो इससे उत्पन्न कठिनाई को देखते हुये सरकार उन्हें पुनः देने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । आडीटरों को पुनः चपरासी देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

२५—२६—श्री महादेव—[१६ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

२७–२९—श्री रघुनाथसिंह—[१६ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला सहकारी विकास संघ, गोंडा

३०—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड, गोंडा के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में कितने कारोबार चलाये गये और प्रत्येक कारोबार में कितनी पूंजी लगाई गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना निम्न प्रकार है —

क्रम-सं०	नाम कारोबार	लागत पूंजी
१	भट्ठे	४,७२,६६९
२	लोहा	९७,९०५.००
३	ठेला इमारत परसपुर	३६,०००.००
४	नमक	४५,३७१.००
५	कोयला	२,२५,००४.००
६	सस्ते गल्ले की दूकाने	१०,६५,०३३.००
७	कपड़ा	१,६१,८५७.००

३१—शांतिचन्द्र शुक्ल—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में कितने कारोबार जिला सहकारी विकास संघ, गोंडा द्वारा किये गये, उनमें इस समय कितने कारोबार चल रहे हैं और कितने बन्द हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम-सं०	नाम कारोबार	चल रहे	बन्द हो गये
१	भट्ठा	१	६
२	लोहा	चल रहा है	..
३	ठेका इमारत परसपुर	..	बन्द
४	नमक	..	बन्द
५	कोयला	चल रहा है	..
६	सस्ते गल्ले का दूकानें	२ चल रही है	८ बन्द हो गई
७	कपड़ा	..	बन्द

३२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जिला सहकारी विकास संघ, गोंडा के पास कितनी पूंजी थी और पहली अगस्त सन् १९६२ को कितनी पूंजी थी ? इस पूंजी में कितना बैंक में जमा है और कितना अन्य प्रकार से है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में जिला सहकारी विकास संघ, गोंडा के पास निम्नलिखित पूंजी थी :—

नकद	बैंक में	स्टाक में
४,४४९.००	५५,३८४.००	१,०४,३६४.००

पहली अगस्त सन् १९६२ को निम्नलिखित पूंजी थी :—

नकद	बैंक में	स्टाक में
११८.२४	५१,३२८,५६	९७,३५१.००

आदर्श कालोनी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बांदा

३३—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि बांदा नगर में कोआपरेटिव हाउसिंग कमेटी सोसाइटी का निर्माण एक साल पहले किया गया था और उसका नाम आदेश कालोनी तथा आदर्श हाउसिंग, बांदा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । बांदा नगर में एक हाउसिंग सोसाइटी का संगठन हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक ३-११-६१ को रजिस्ट्रेशन नं० १०१५ से हुआ है । इसका रजिस्टर्ड नाम आदर्श कालोनी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बांदा है ।

३४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार के विचाराधीन मकान बनाने की कोई योजना बांदा नगर के वास्ते है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस विभाग के अन्तर्गत बांदा नगर के लिये कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

३५—श्री हरिगैनराम—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने व्यक्ति निम्नलिखित पद पर इस समय काम कर रहे हैं और उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़ी जाति के हैं—

(१) मलेरिया डाक्टर, (२) मलेरिया इंस्पेक्टर, (३) हेल्थ विजिटर, (४) क्लर्क, (५) सुपरवाइजर मलेरिया गैंग, (६) कम्पाउन्डर, (७) चपरासी—

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग में इस समय ३ मलेरिया डाक्टर, १५ मलेरिया इन्सपेक्टर, ६ हेल्थ विजिटर, २२ क्लर्क, ८ सुपरवाइजर मलेरिया गैंग, ५ कम्पाउन्डर और ३१ चपरासी काम कर रहे हैं जिनमें से २ सुपरवाइजर मलेरिया गैंग व १ चपरासी परिगणित जाति के तथा १ मलेरिया इन्सपेक्टर १, सुपरवाइजर मलेरिया गैंग, ३ कम्पाउन्डर व १५ चपरासी पिछड़ी जाति के हैं ।

झांसी में मलेरिया उन्मूलन विभाग पर व्यय

३६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में सन् १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ में मलेरिया उन्मूलन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन टी० ए०, डी० ए० तथा कार्यालय और मोटर पर (पेट्रोल आदि) प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग मदों पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जिला झांसी में मलेरिया उन्मूलन विभाग पर निम्न प्रकार से व्यय हुआ है—

	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
१—अधिकारियों का वेतन ..	४,१६५	४,१३६	४,९३६
२—कर्मचारियों का वेतन ..	५३,०३८	६४,०९७	१,५२,०३३
३—भत्ते तथा मानदेय यांत्रिक तथा अन्य भत्ते	३,८५७	६,२२२	११,३७८
४—महंगाई भत्ते ..	४२,१४३	४८,९५१	८३,७५२
५—आकस्मिक व्यय (कार्यालय एवं पैट्रोलादि)	३७,३५३	४९,२८१	३०,२२८

३७—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में मलेरिया विभाग के कितने अधिकारी, कर्मचारी किस-किस पद पर हैं और उनके मुख्य-मुख्य कार्य क्या हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९२–९५ पर)

चीन द्वारा भारत सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्धमें प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास एक नियम ५२ और एक कार्यस्थगन का प्रस्ताव आया है और दोनों सम्बन्धित हैं भारत चीन सैनिक संघर्ष से । एक माननीय रामकिशोर जी त्रिपाठी का है और दूसरा माननीय यादवेन्द्रदत्त जी का है । माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने एक प्रस्ताव भी मेरे पास भेजा है कि :—

"यह सदन चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं जो कि उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है, के अन्तर्गत किये गये आक्रमण की घोर निन्दा करता है । यह सदन चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अन्तर्गत बहुत बड़े भागों, विशेष कर उत्तर प्रदेश के वारा होती, निलंग आदि स्थानों को जोकि ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा परम्पराओं से भारत एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हैं एवं रहे हैं, चीन की राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मानने तथा भारत को उन स्थानों एवं भू-भागों में आक्रान्ता तथा अनधिकृत अधिकारी ठहराने आदि भारत विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है तथा संस्तुति करता है इस साम्राज्यवादी मनोवृति से ओतप्रोत कम्युनिस्ट चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायं, तथा सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायें जायं ताकि देश के भीतर तथा बाहर के राष्ट्र विरोधी तत्वों को नष्ट किया जाना भी सम्भव हो सके ।"

इस सम्बन्ध में माननीय नरसिंह नारायण जी की और अन्य माननीय सदस्यों की भी सूचनायें आती रही हैं । हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि ऐसे विषयों को अगर हम इस सदन में लेलें तो हो सकता है कि हमारी जो अधिकार सीमायें हैं उनका अतिक्रमण हो जाय । यह सत्य है कि १९५९ में चीन के विषय में यहां पर बहस २ दिन हुई थी एक प्रस्ताव पर, लेकिन अब यह तो मुख्य मंत्री जी ही तय कर सकेंगे कि आज की जो परिस्थितियां हैं और समाचार-पत्रों द्वारा हमें जो समाचार नेफा के और नैपाल के सम्बन्ध में मिल रहे हैं, उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुये क्या यह सम्भव होगा कि हम इस प्रकार के विषय पर यहां विवाद कर सकें । विशेषकर जब कि

हम यह देखते हैं कि चर्चा करते हुये कभी-कभी हमारी भावनायें अधिक जागृत हो जाती हैं और आवेश में कुछ बातें ऐसी कही जा सकती हैं जो कदाचित हमारे विदेश के सम्बन्धों में कठिनाइयां उत्पन्न करें। तो भी मैं आदरणीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि अगर वह स्वयं कोई वक्तव्य जो उचित समझें, दें विशेषकर उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कि प्रत्यक्ष रूप से नेपाल और चीन से सम्बद्ध हैं तो कदाचित इस सदन के माननीय सदस्यों को इस खयाल से कि हमारा वह प्रदेश का भाग सुरक्षित है और कोई अरक्षा और परेशानी की बात नहीं है यह बातें मालूम हो जायेंगी। तो मैं उनको स्वयं तो स्वीकृत नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आदरणीय नेता सदन के पास भेज दूंगा ताकि वह इस सम्बन्ध में, अगर उचित समझें तो, व्यवस्था दे सकें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मुझे यह निवेदन करना है कि जो प्रस्ताव है वह इस बात पर बहुत स्पष्ट आधारित है कि मुख्य मंत्री जी के पास माननीय प्रधान मंत्री के भी पत्र आये और जैसा समाचार-पत्रों में है कि किसी समय भी कुछ हो सकता है उसके लिये हमको तैयार रहना चाहिये। यह प्रस्ताव उस दृष्टि से है कि हम अपनी सिविल पापुलेशन को तैयार कर सकें क्योंकि आज का जो युद्ध होता है वह केवल सेनाओं का युद्ध तो रह नहीं गया। अब तो सेना के साथ सिविल पापुलेशन भी लड़ती है और अगर सिविल पापुलेशन को हम तैयार नहीं कर सके तो फ्रान्स का जो पतन हुआ वह इसी कारण हुआ कि दो, चार बम गिरे और लोगों ने घबराकर रास्ता चोक कर दिया और सेना के लिये रास्ता नहीं रहा। तो वास्तव में आज जो समाज को तैयार करने का प्रश्न है, उसके मोरेल को ऊंचा रखना, सिविल डिफेन्स करना उसके लिये हम तैयारी करें। और १९५९ में जब विचार हुआ था तब इतनी गम्भीर परिस्थिति नहीं थी। आज परिस्थिति अतीव गम्भीर है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और इसके ऊपर विवाद का समय दें क्योंकि यह वास्तव में उन्हीं का काम है। इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—जैसा कि आदरणीय नेता विरोधी दल ने कहा कि आज १९५९ से कहीं अधिक गम्भीर स्थिति है तो जितनी गम्भीरता हमारे विदेश सम्बन्धों के सम्बन्ध में होती जायगी उतना ही हमारे लिये वह विषय वर्जित होता जायगा। ऐसी मेरी भावना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गम्भीरता को देखते हुये और यह कि ऐसे प्रस्ताव बारबार आ रहे हैं, इसको देखते हुये माननीय नेता सदन के ऊपर हम इतना विश्वास कर लें कि वे इसे पूर्णतया विचार करेंगे और इसके साथ-साथ मेरा विनम्र निवेदन उन माननीय सदस्यों से है जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया है कि अधिक उपयुक्त यह होगा कि बजाय इसके कि हम यहां इस सम्बन्ध में कुछ कहें, माननीय नेता सदन से ही मिल लें, वे कोई तरीका निकाल सकेंगे जैसा कि हमने १९५९ में निकाला था। १९५९ में भी माननीय सम्पूर्णानन्द जी से मिल के, उनसे बातें कर के और विषय की चर्चा की सीमायें निश्चित करके वह बात यहां आयी थी। मैंने वह सारी कार्यवाही देखी है। आदरणीय खेर साहब ने यह कहा था कि सरकार की भी अनुमति है कि इस प्रकार की बहस यहां हो जाय। माननीय रामकिशोर जी, आपका प्रस्ताव भी तो आया है?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो आप हैं, माननीय नेकराम जी हैं, माननीय नेता विरोधी दल हैं और माननीय नरसिंहनारायण हैं, ये सब जाकर उन से मिल लें, तो अधिक अच्छा हो।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि यह भारत सरकार से सम्बन्धित हैं और इसकी चर्चा इस सदन में नहीं होनी चाहिये। कन्तु सदन मुख्य मन्त्री जी से यह अवश्य निवेदन करता है कि यह ऐसा गम्भीर मसला है, विरोधियों से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर हम आन्तरिक संघर्ष में पड़े हैं, जैसे जोतकर वगैरह, तो जो स्थितियां हैं उस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य दिला दें तो मैं समझता हूं कि बहुत-सी बातों का समाधान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—यही मैं कह रहा हूं कि जितनी बात आप यहां करेंगे वह उनसे कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा यह होगा कि अगर उनसे डिस्कस कर लेंगे तो उनकी कठिनाइयों को समझने में सुविधा होगी। मैं इसमें बाधा नहीं डालता हूं बल्कि आपसे कह रहा हूं और उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि कोई तरीका वह भी सोच लें क्योंकि रोज-रोज मेरे पास ऐसे प्रस्ताव आते हैं।

रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी के मजदूरों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीया किश्वर आरा बेगम की आई है, एक माननीय कल्पनाथ सिंह की, दो और हैं। माननीया किश्वर आरा बेगम ने अधिक बल भूख हड़ताल पर दिया है और उन्होंने बताया है कि तीन महीने से वे स्वयं वहां पर प्रयत्नशील रही हैं कि वहां पर अधिक आन्दोलन न हो। माननीय कल्पनाथसिंह जी की भी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। माननीया किश्वर आरा बेगम की सूचना को मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है, उसे मैं पढ़े देता हूं—"मैं नियम ५२ के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर श्रम मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं :—

"रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी के मजदूर अपने कानूनी मतालबात के लिये ४ महीने से मालिकान फैक्ट्री से मांग कर रहे हैं और बावजूद इसके कि वक्तन फवक्तन वायदा किया गया कि उनके वाजिब मतालबात मान लिये जायेंगे लेकिन पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मजदूरों में बेहद बेचैनी फैल गई है और रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी के ४ मजदूरों ने १० अक्तूबर, १९६२ से भूख हड़ताल कर दी है। इन मजदूरों ने रामपुर इंजीनियरिंग के मजदूरों की ४० मांगों के लिये भूख हड़ताल की है। भूख हड़तालियों की कमजोरी बराबर बढ़ती जा रही है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी इस खराब हालत की वजह से सारे मजदूरों में बेचैनी बढ़ रही है और रामपुर शहर की जनता इस बात से बहुत परेशान है कि मालिकान के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं हुई है और भूख हड़ताल समाप्त करने के लिये किसी भी कोशिश के लिये तैयार नहीं हैं।"

श्रम मन्त्री जी कब तक वक्तव्य देंगे?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में २५ तारीख रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष—बहुत दूर है।

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, २३ तारीख कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—२३ को वक्तव्य दे दीजिये।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि वैसे कोई बात थी नहीं, जब भी वह चाहते बयान देते, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा डर है कि भूख हड़ताल से कहीं मर न जायं। इस का इंतजाम कर दें कि वह मरेंगे नहीं, तो जब चाहें बयान दे दें।

श्री अध्यक्ष—वह मरने नहीं देंगे।

यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय कल्पनाथ सिंह जी की जो सूचना मैंने स्वीकार की है वह इस प्रकार है कि—"यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही, जिला देवरिया के लगभग ४०० मजदूरों ने कल दिनांक १६-१०-६२ से विवश होकर हड़ताल कर दिया है। उक्त हड़ताल

एक सरकारी एवार्ड के अनुसार सरकारी एग्रीकल्चर फार्म की मजदूरी की दर न देने और शुगर इंडस्ट्री जिसका अभिन्न अंग उक्त फार्म है उसके अनुसार भी विचार न करने के कारण हुई है। मिल की मजदूरी जहां ७६ रुपये प्रतिमास है, वहां इस फार्म में ३२ १/२ रुपये प्रतिमास ही मजदूरों को दिया जा रहा है। सरकार के एवार्ड के अनुसार मिल मालिकान १५ मार्च, १९४८ के निम्नतम ३२ रुपये मजदूरी दे रहे थे, जो उस समय सरकारी कृषि फार्मों में लागू थी। इस समय सरकारी फार्मों में निम्नतम मजदूरी ५० रुपया प्रतिमास से नीचे नहीं है और मजदूरों का यह हक था कि सरकारी फार्मों के अनुसार वे भी मजदूरी पाते। एवार्ड मनवाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

अतः मैं विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार करता हूं।

श्रम मन्त्री जी कब तक वक्तव्य देंगे ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—इसके सम्बन्ध में भी २३ तारीख रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, असल में हड़ताल चल रही है और मैं समझता हूं कि सूचना जल्दी मिल सकती है क्योंकि सरकार की मशीनरी भी सक्रिय है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जल्दी सूचना मिलती है तो मामला सुलझने का भी इमकान रहता है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि वे तो अपनी तरफ से जल्दी करेंगे। इस समय माननीया सुचेता जी यहां पर नहीं हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, दो रोज की छुट्टी है। २२ को सोमवार है और २३ तारीख को वक्तव्य देने को मैं कह रहा हूं।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं।

माननीय सदन का कार्यक्रम २६ अक्तूबर तक के लिये निर्धारित किया गया था कि यह सदन २६ अक्तूबर तक बैठेगा। जो अजेंडा है उसको देखते हुए लगता है कि २६ अक्तूबर तक यह सारे विषय समाप्त नहीं हो सकेंगे। इस लिये मैं सरकार से सूचना चाहता हूं कि सदन २६ अक्तूबर के बाद भी बैठेगा या २६ अक्तूबर तक ही बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष—आप २६ तक सब काम खत्म क्यों नहीं कर देते ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—जैसी आप आज्ञा देंगे वैसा किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय संसदीय मन्त्री, माननीय राम किशोर जी पूछते हैं कि जो हमने पहले कार्यक्रम छापा था उसके अनुसार २६ अक्तूबर को, असरकारी दिवस को, कार्य समाप्त होता था। वह जानना चाहते हैं कि उसी दिन तक सदन चलेगा या आगे भी सदन चलेगा।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—श्रीमन्, जैसा कि सदन को विदित है कि एक सप्ताह के लिये सदन को स्थगित करना पड़ा बाढ़ की वजह से। फिर कुछ छुट्टियां हुयीं तो २६ अक्तूबर को स्थगित हो कर यह फिर पहली नवम्बर को सदन मिलेगा और जैसा कि नियमों के अन्दर व्यवस्था है सोमवार को एक सप्ताह के कार्यक्रम का ऐलान किया जायगा। इस सप्ताह में इस लिये आवश्यकता नहीं थी कि यह विधेयक चल ही रहा है। करीब-करीब १० नवम्बर

[श्री बनारसीदास]

तक तो निश्चित कार्यक्रम सदन का रहेगा ही और हम लोग २६ तारीख को, अगर माननीय जनसंघ के नेता, माननीय गेंदासिंह और दूसरे नेता चाहेंगे तो २६ को स्थगित हो सकता है, २६ को असरकारी दिवस है, अगर आप चाहते हैं तो २५ को स्थगित हो सकता है। फिर पहली को मिलेंगे। फिर बाद में यह सदन १० तारीख को स्थगित होगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—देखिये, एक बात मैं निवेदन कर दूं। यह प्रश्न इन आर्डर है इस वास्ते कि सदन के कार्य से सम्बन्धित है। सदन के कार्य के सम्बन्ध में बाहर जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हों वह कृपया बाद में प्राप्त कर लेंगे। इस समय केवल सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार हो रहा है, लेकिन जल्दी हो जाय।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा संसदीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा व्यावहारिक दृष्टि से देखें कि २७ तारीख को दीवाली है, २६ को सदन स्थगित करेंगे तो कब घर पहुंचेंगे और कब त्योहार मनायेंगे? इस लिये २४ या २५ को बन्द कर दें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि हम काश्तकार लोग हैं। यह खेती का सीजन है, अन्न भोजन की समस्या है। महीने भर की छुट्टी खेती के लिये हम लोगों को मिलनी चाहिये, यह सदन बन्द होना चाहिये। हमलोग बड़ी आफत में फंसे हुए हैं, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष—इस किस्म की बातें यहां नहीं होनी चाहिये। हर एक शख्स के पास कोई न कोई काम है। प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है कि हमारे पास काम है। जो काम यहां हो रहा है वह हमारे देश और प्रदेश के सम्बन्ध है, जिस काम के लिये हम चुनाव लड़े हैं और चुनकर यहां आये हैं, वह काम हमको और आपको यहां करना है। इस वजह से कृपा करके इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिये और यह अब समाप्त होता है। जो सूचना दी गई वह यह है कि २५ तारीख को यह सदन बन्द होगा, २७ को दीवाली है २५ को बन्द होगा और अभी मैं बता दूंगा कि पहली या दूसरी को कब बैठेंगे। २६ से बन्द होगा, २५ तारीख को काम करके। और यह मैं देख लूंगा कि पहली या दूसरी को कब बैठेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—२६ तारीख को गैरसरकारी दिवस है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह गैरसरकारी दिवस हमको कब मिलेगा?

श्री अध्यक्ष—नियम जो हमारे हैं वह स्पष्ट हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अगर २६ तारीख का या कोई गैरसरकारी दिवस किन्हीं स्थितियों में नहीं मिलता है तो उसके बदले में क्या होगा? उसके जो नियम हैं उन नियमों का पालन होगा और नियमों के अनुरूप आपको असरकारी दिवस मिल जायगा।

प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहता था। आपको याद होगा कि ३० हजार राजकर्मचारी दिसम्बर, सन् १९६० में सेवा-मुक्त किये गये थे। हमने उस सम्बन्ध में एक दफा ५२ का सवाल आपके सामने उठाया था। आपने कहा कि माननीय दीपनारायण सिंह का उत्तर ३ अक्तूबर को मिलने वाला है, उससे आपका काम चल जायगा। तो ३ अक्तूबर के बाद मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा दिन हो गए.....

श्री अध्यक्ष—वह परसों आ रहा है। उसके लिये तो जिम्मेदार मैं हूं। मैं गलती की थी। वह आ जायगा।

†उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२—(क्रमागत)*

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, कल जब माननीय विकल जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि अगर क्लिप हटा लिया जाय इस बिल पर सरकार अल्पमत में हो जायगी, तो मैं समझता हूं कि सरकार की यह सबसे बड़ी मारल डिफीट है और जो हमने उस दिन माननीय मुख्य मन्त्री से कहा था और जिस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने बड़े रोष में आकर कहा था कि हम सब एक हैं, वह बात स्पष्ट हो गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या माननीय मुख्य मन्त्री इस बिल को वापस लेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह बात जब आप जवाब दीजियेगा तब चैलेंज कर लीजियेगा।

सूचना राज्य-मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन के सामने यह निवेदन कर रहा था कि जनमत को इस बिल को भेजने की क्या जरूरत है ? आखिर जनमत कब लिया जाय ? समय का मतलब क्या होता है ? प्रत्येक दिन भूतकाल के अन्दर तब्दील होता जाता है। तो जनमत कब लिया जाय, भूतकाल के दिन में या भविष्य के अन्दर। तो मैंने यह अर्ज किया था कि संसार के जितने बड़े-बड़े फैसले हुए हैं उनको भावी सन्तति ने यह सिद्ध किया कि उस वक्त का यह निर्णय सही था। श्रीमन्, मैं माननीय जनसंघ के नेता से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि यू० एन० ओ० के अन्दर पाकिस्तान की बराबर मांग है कि काश्मीर के अन्दर जनमत लिया जाय। तो क्या जनसंघ के नेता इस बात को कंसीडर करेंगे कि काश्मीर के अन्दर वहां पर जनमत लिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यह आर्गूमेंट है उनका, अब उस आर्गूमेंट में बल है या नहीं, यह तो बाद में तय होगा।

श्री बनारसी दास—बड़ी दिक्कत यह है कि संसदीय प्रणाली के होते हुए मेरे दोस्त दलीलों से घबड़ाते हैं, दलीलों में यकीन नहीं करते हैं। हिन्दू कोड बिल जिस वक्त पेश हुआ था कितने आदमी थे जो यह समझते थे कि इसको जनमत में प्रसारित किया जाय और जनमत इसके पक्ष में आपके सामने आयेगा। श्रीमन्, जनमत की यह दोहाई देना और फिर बड़ी नम्रता के साथ एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूं कि क्या हमारे जनसंघ के नेता जी जनमत की नैतिकता के अन्दर कोई यकीन रखते हैं ? मैं समझ सकता हूं माननीय गेंदासिंह जी की बात, मैं समझ सकता हूं माननीय नरसिंह नारायण जी की बात, मैं समझ सकता हूं कम्युनिस्ट पार्टी की बात। जब जमींदारी का विनाश हुआ जनमत उसके पक्ष में था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के ताल्लुकेदारों की तरफ से जो रिट फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट की जो शरण ली गई तो जनमत जमींदारी अबालिशन के पक्ष में था तो क्या यहां पर जमींदारों ने आदर प्रकट किया ? कोर्ट की शरण क्यों ली ? लीगल क्विबलिंग में क्यों चले गये ? तो मेरा नम्र निवेदन है कि जनसंघ का जनमत की नैतिकता के अन्दर यकीन नहीं है।

श्रीमन्, अब मैं दूसरा प्रश्न उपस्थित करता हूं कि क्या जनमत इसके पक्ष में नहीं है ? जब हमने यहां पर चुनाव लड़ा था, जिस समय हमने जनरल एलेक्शन लड़ा था उस वक्त हमने अपने घोषणा पत्र के अन्दर लिखा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर हम यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में हमने साफ-साफ कहा था कि तीसरे प्लान में हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें १०९ करोड़ रुपया टैक्स के रिसोर्सेस से आयेगा। उसमें हमारे कर्जे आदि का जो रिसोर्सेज है उससे ३८ करोड़ रुपया आयेगा और हमारे कन्ट्रोल में जो इन्टर प्राइज है उनसे ९.८ करोड़ रुपया आयेगा। तो श्रीमन्, क्या विरोधी पक्ष के लोगों ने यह नहीं

---

†४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।
*१६ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री बनारसीदास]

कहा कि कांग्रेस को मत न दो? और इनको ज्यादा टैक्सेशन के लिये मत देना है और १०९ करोड़ रुपये का भार जनता पर लादा जा रहा है। क्या जनसंघ ने यह नहीं कहा? क्या कुल विरोधी पक्ष ने यह नहीं कहा? हमने इस बात को साफ-साफ कहा था कि हम तीसरे प्लान को कार्यान्वित करने के लिये १०९ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार अपने कन्धों पर लेने जा रहे हैं। तो श्रीमन्, यह आपके सामने इस सूबे का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो यहां इतनी संख्या में हम लोग उपस्थित हैं।

एक दलील दी जाती है अक्सर कि हमको ३४ परसेन्ट मत मिला लिहाजा हमारा कोई टाइटिल नहीं है इस प्रदेश के अन्दर इस बिल को लाने का। श्रीमन्, हमने संविधान के प्रति शपथ ली है और एक चुनाव की पद्धति को चुन लिया है लेकिन यदि मैं इस बात को मान लूं तो क्यों एक नेता इस सदन में अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के ५१ प्रतिशत जनमत के आधार पर बोलने का अधिकार रखते हैं? श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी के क्षेत्र में कुल वोट पड़े ३९,१९६ और उनको मिले १७,७५३। वह केवल एक हजार वोट से जीतकर आये हैं जो ३० प्रतिशत का हिसाब आता है। उग्रसेन जी के क्षेत्र में ३७,०४२ मत पड़े और उनको मिले ११,७४१। केवल २०० मत से अधिक जीत कर आप आये हैं तो क्या उनके पक्ष में बहुमत है? डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब के क्षेत्र में कुल मत पड़े ३४,८८७ और डाक्टर साहब को मिले १४,९९३। वे केवल ४०० मत से जीते। झारखंडे राय जी के क्षेत्र में कुल मत पड़े ५०,२७७ लेकिन उनको मिले केवल २२,५७५ जो ५० प्रतिशत से भी कम पड़ता है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—आपको उनके आरगुमेंट को सुनना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री बनारसी दास—आप लोग जरा धैर्य रखें और अपने दामन को जरा थामकर बैठिये। नरसिंह नारायण जी के क्षेत्र में ३७,४१७ मत पड़े लेकिन उनको मिले केवल १५,७३४, जनसंघ के प्रमुख नेता कुंवर श्रीपाल सिंह जी के क्षेत्र में कुल मत पड़े ५१,८३२ और उनको मिले केवल १७,३३७। नेता विरोधी दल के क्षेत्र में ३९,९८३ मत पड़े और उनको केवल मिले १८,१२१। उपनेता जनसंघ श्री कृष्णपाल सिंह के क्षेत्र में कुल मत पड़े ४५,००२ और उनको मिले १९,६७५, जो आधे से बहुत कम हैं। टम्बेश्वरी प्रसाद जी के क्षेत्र में कुल मत पड़े ४८,२०९ और उनको मिले केवल २३,८६८। अब आप जरा यह देखें कि नेता विरोधी दल की पहली मर्तबा २५ हजार मत से जीत प्राप्त हुई थी लेकिन इस बार उनकी केवल ५,५०० से ही जीत हुई है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मैं सूचना मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री यादवेन्द्रदत्त—चारोखाने चित्त कौन हुआ यह तो बतलाइये?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल से जो आप तर्क दे रहे हैं उसके माने यह हैं कि आपने यह मान लिया है कि इस बिल के पक्ष में बहुमत नहीं है फिर भी आप इसको लाने के लिये तैयार हैं।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—बहस का जवाब बहस से ही दिया जायगा। आप लोग सुनिये। आप लोग बाद में बोल लीजियेगा।

श्री बनारसी दास—आज बड़ी दिक्कत है। यह कहा जाता है कि हम सहारा लेते हैं सत्ता का, फोर्स का। श्रीमन्, आज जनता इस बात की साक्षी है कि हमारा आधार है नैतिक बल, हमारा आधार है तर्क, हमारा आधार है हमारी न्यायप्रियता की नीति, लेकिन दूसरी तरफ अधैर्य है, दूसरी तरफ तर्क से भागना है।

श्रीमन्, उधर से बार-बार कहा जाता है कि हमको ५१ प्रतिशत जनता का मत नहीं प्राप्त है, मैं इसे नहीं मानता। मैं आदर करता हूं माननीय गेंदासिंह जी का, डाक्टर अहमद का। लेकिन एक अनहोली एलायेंस है प्रतिक्रियावादी शक्तियों का और उस के लिये यह विधेयक एक कारण है। तो इसे ले कर आप अगले एलेक्शन की तैयारी करें और अपने आपस में सैद्धांतिक मतभेद दूर करें। क्लियर मुकाबला हो कांग्रेस का, डाइरेक्ट और फिर हम देखें कि हम कहां खड़े हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह संविधान के प्रति अनिष्ठा है, यह कहना कि हमको यह बिल लाने का अधिकार नहीं है। डाक्टर अहमद एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि यह दल बहुमत में है और उसे यहां राज्य करने का अधिकार है और कोई विकल्प इस समय नहीं हो सकता। यह है जनप्रिय और न्यायप्रिय व्यक्ति की हैसियत से वस्तुस्थिति को स्वीकार करना। तो हमारा टाइटिल है इस बिल को लाने का।

अब यह कहा जाता है कि यह सारा तर्क विफल हो गया, जनता का प्रदर्शन विफल हो गया और अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि सत्याग्रह किया जाय। श्रीमन्, सत्याग्रह का अनुभव हमको भी है और हम उसे आज समझ सकते हैं। सन् १९६२ में जिनकी आयु ४० या ३५ साल से कम है, और जो सन् १९४२ में १८, २० साल के रहे थे, आज वह उस आन्दोलन की नकल करना चाहते हैं। सन् १९४२ में वह देश के स्वाभिमान को एक चुनौती थी, लेकिन आज यह नेता शहीदों में नाम लिखाने चले हैं। एक कहावत है हलवाई की दूकान पर नाना जी का फातिहा। श्रीमन्, हमने भी ४२ में सत्याग्रह किया था, सामना किया था और सन् १९३० में १६ साल की उम्र में जेल का सामना किया था। इस प्रकार के आज जनसंघ के कितने नेता हैं? उस समय ब्रिटिश सरकार का राज था, आज वह उस सत्याग्रह की नकल करने चले हैं। कौन है गुरु उनका? किस से उन्होंने सत्याग्रह की दीक्षा ली है? और क्या सत्याग्रह का अधिकार दक्षिण भारत को इंडियन यूनियन से अलग करने के लिये काम में लाया जायगा?

द्रविड़ मुनेत्र कगड़म ने मद्रास के लिये पृथक् होने के लिये सत्याग्रह किया, मास्टर तारा-सिंह ने पंजाब के विभाजन के लिये सत्याग्रह किया। परन्तु यह सत्याग्रह नहीं है, यह दुराग्रह है। आप इंतजार कीजिये ४ साल तक। आपको जनमत का कृतज्ञ होना चाहिये। आप व्यर्थ में परेशान न हों। हमने जनता के लिये बहुत त्याग किया है। हम जेल गए। हमारे पास जनता के विश्वास की थाती है और इसलिये जनता ने हमको वोट भी दिया है। आप नकल करना चाहते हैं हमारी? परन्तु यह ठीक नहीं है। आपको किसानों से बड़ी हमदर्दी है और अगर वास्तव में है तो आज मैं एलान करता हूं कि हम इस विधेयक को वापस लेते हैं।

(व्यवधान)

आप देखें कि ४ करोड़ रुपया रिहैबिलिटेशन ग्रांट का और ४ करोड़ रुपया कम्पेंसेशन का जमींदारी के लिये, यह सब किया गया। परन्तु जमींदार जो कि इन्टरमीडियरी हैं और जो कि एक फंगशनलेस क्लास है। यह जितनी भी केसरबाग की गद्दी है, यह सब अंग्रेजी राज्य में मुल्क के साथ गद्दारी करने के इनाम में ही मिली थीं। आज जो लोग सत्याग्रह करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजा जौनपुर से कि पहले वह एलान करें कि आज हम किसानों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट.....

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार दें।

श्री अध्यक्ष—देखिये, हम लोगों को यह शोभा नहीं देता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं चुनौती से भागता नहीं हूं । मगर मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि मोतीलाल मैमोरियल का ४० लाख रुपया, गांधी मैमोरियल का पैसा और १ लाख रुपया जो बुलन्दशहर में इकट्ठा किया गया है वह सब सरकार को दे दिया जाय तो हम भी तैयार हो जायेंगे देने को ।"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष,—अब बोलने दीजिये, शोर मत मचाइये ।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, आज कितने कमजोर बन रहे हैं माननीय विरोधी दल के नेता और उनका धैर्य का बांध टूट जाने से साबित होता है कि उनकी दलीलों का दीवाला निकल गया है । उनकी समझ में एक मामूली सिद्धान्त की बात भी नहीं आती है । उन्होंने हमारी तरफ के आदमी को वकील बनाया और हमारी ही शरण ली । यह एक प्रोफेशनल कन्डक्ट के खिलाफ चीज है । यह उनकी बुद्धि का दिवालियापन है । उनके धैर्य का बांध टूट जाने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है । यह कहना कि मोतीलाल मेमोरियल का पैसा ले लो । यह कहां तक उचित है ? वह तो जनता की संस्था है । लेकिन मैं यह पूछता हूं कि यह जो जमींदारी बनी । उत्पादन के लिये इंटरप्राइज, उत्पादन के लिये श्रम उत्पादन के लिये आर्गनाइजेशन, और उत्पादन के लिये पूंजी यह ४ फैक्टर्स होते हैं । परन्तु इसमें से कौन सा जमींदारों का था या है ? यह जमींदारी तो मुल्क के साथ गद्दारी करने के इनाम के रूप में ही मिली थी । दस-दस लाख के महल खड़े हो गए । तो यह सब उन झोपड़ियों की बदौलत हुआ, उनकी छाती रौंद कर हुआ ।

(व्यवधान)

आप लोगों को हाउस की जरा डिगनिटी मेनटेन करनी चाहिये और शांत रहना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सेठ गोविन्द दास ने सत्याग्रह किया और उसका प्रायश्चित कर रहे हैं । वह एक अनुकरणीय चीज है । अगर हमदर्दी है तो यह ८ करोड़ रुपया साल जमींदारों को मिलता है तो जैसी कि विनोबा भावे जी की स्कीम है, जनसंघ के नेता आगे आयें और अपनी जमींदारियां सरकार को दे दें । श्रीपाल जी हैं, वह शुरूआत करें, दूसरे राजा करें । फिर मैं भी इस बिल के वापस लेनेके पक्ष में मत दूंगा ।

कुंवर श्रीपाल सिंह, (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं अपनी पूरी जायदाद सब आना पाई, देने के लिये तैयार हूं बिना शर्त । मुझसे, श्रीमन्, लिखा लिया जाय, रजिस्ट्री करा ली जाय, सब कुछ संपत्ति देने के लिये तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—चैलेंज आपने दे दिया । दुनिया देखेगी कि चैलेंज दिया गया ।

श्री बनारसीदास—मैंने अर्ज किया कि इस विधेयक के द्वारा करीब ३ करोड़ रुपया मिलेगा । ८ करोड़ रुपया हमको और मिले तो आपकी बड़ी कृपा होगी और आपकी बोनाफाइडी भी मालूम होगी कि किसानों के साथ हमदर्दी है, किसानों के नेता हैं । मैं समझ सकता हूं गेंदासिंह जी नेता हो सकते हैं, नरसिंह नारायण हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के तरीके से जो आर्थिक प्रश्नों को कनफ्यूज करना चाहते हैं साम्प्रदायिक और इन सब चीजों को लेकर उनसे कहाँ उम्मीद की जा सकती है ?

श्रीमन्, ७४ प्रतिशत व्यक्ति खेती करते हैं ? अगर सारी खेती अलाभकर है तो ७४ फीसदी जनता जिन्दा कैसे हैं ? हमारे भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि मेरे जिले की आबादी ५६ फीसदी किसानों की है, वहाँ यही हालत है । तो भानुप्रताप जी अपनी जमीन दे दें, कर में अदा कर दूंगा, दुगना लगान दूंगा, बुलन्दशहर से आदमी भेज दूंगा वह खेती करेगा आकर । राजा साहब जौनपुर अपनी जमीन दे दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीपाल जी ने चुनौती दी, स्वीकार करो ।

श्री बनारसीदास—स्वीकार है । यह जो कहा जाता है कि अनइकोनामिक है खेती तो यह क्यों अपने गले के अन्दर मरा हुआ साँप डाल रखा है ? मैं तैयार हूं, राजासाहब जौनपुर शुरूआत करें, जैसे कि तराई में और और जगह हमारे पश्चिमी जिले के लोगों ने जाकर खेती की है, मैं जौनपुर में भी दिखाऊंगा कि खेती कैसे होती है । भानुप्रताप जी अपनी जमीन दें ।

श्री अध्यक्ष—अब व्यक्तिगत बात न हो तो अच्छा है ।

एक सदस्य—कोई तर्क नहीं है, निरर्थक बोल रहे हैं ।

श्री बनारसीदास—मैं तो कह रहा हूं कि अगर अनइकानामिक है तो शोर-गुल कैसा, आसानी से प्राब्लम हल हो सकती है । एक पहचान हमारे एक मित्र ने बताई कि पहले किसान के पास घोड़ी थी, अब नहीं है । तो घोड़ी तो सामन्तशाही सभ्यता का चिन्ह है, घोड़ी कितने लोगों के पास में थी ? मैंने भी अपना जीवन करीब ३६ साल गाँव में बिताया है और सन् ४६ से मैं लखनऊ में रह रहा हूं । घोड़ी होती थी जमींदारों के पास, न कि किसानों और हरिजनों के पास । वह सामन्त लोगों की शान थी । हमने भी बरातें देखी हैं । दिल्ली से टैक्सी लेकर उसमें क्यों बरात में जाते ह । दिल्ली की टैक्सी ४० रुपये रोज पर मिलती है । तो यह कहना कि घोड़ी नहीं रही, उसकी जगह साइकिल हो गयी, उचित बात नहीं ।

कहा गया कि आँकड़ों से घबरा जाते हैं । अब तो हमें कानों की तरफ आना चाहिये । जब मैं एक पक्ष की इस तरह की बात सुनता हूं तो मुझे अमेरिका की एक बात याद आ जाती है । एक बार स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गये, वहाँ उन्होंने कहा कि जो लोग कानों पर विश्वास करते हैं, आँखों पर नहीं वे गलती करते हैं, और भ्रम में पड़ जाते हैं । एक आदमी से उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हारी औरत विधवा हो गयी है । वह तुरन्त रोने लगा । लोगों ने पूछा कि क्या बात है । उसने कहा मेरी औरत विधवा हो गयी है । उससे कहा गया कि तुम तो जिन्दा हो, विधवा कैसे हो गयी ? उसने कहा, मेरे दोस्त ने मुझ से कहा । इसलिये कानों पर विश्वास न करके, हमें आँखों पर विश्वास करना चाहिये । आँखों से देखिये और बताइये कि क्या यू० पी० की शक्ल पहले से बदली है या नहीं ? बुलन्दशहर में पहले १० हायर सेकेन्डरी स्कूल थे, अब ६२ हो गये ।

एक सदस्य—मेरे जिले में कोई नया हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं खुला है ।

श्री बनारसीदास—अगर सन् १९४६ के बाद से माननीय सदस्य के यहाँ हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या तिगुनी के करीब न बढ़ी हो, तो वे बतायें और अपने शब्दों को वापस लें ? यह कथन बिलकुल असत्य है ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर, श्रीमन्, १० हजार नये स्कूल खुले हैं । आज बसों के अन्दर जगह नहीं मिलती, पैसेन्जर्स की संख्या दुगनी हो गयी, यह क्या है ? ६ हजार मील लम्बी सड़कें नयी बन गयी, यह क्या है ? कहा गया कि सीमेंट नहीं मिलता, अगर सीमेंट नहीं मिला तो इतना निर्माण का कार्य कैसे हो गया ? लोग हवाई जहाजों में चलने लगे, विद्यार्थियों की संख्या ५६ फीसदी बढ़ गयी तीसरी योजना में ७० हजार प्राइमरी स्कूल के टीचर्स देहातों में हो जायेंगे जिसका अर्थ होगा कि ५० लाख रुपये माहवार बच्चों की शिक्षा पर व्यय होगा । ५ साल के अन्दर ३० करोड़ रुपया इस तरह से शिक्षा पर देहात में खर्च होगा । यह पैसा कहाँ जायेगा ? तो १० हजार स्कूल खुले, इतने मील लम्बी नयी सड़कें बनीं, और भी तमाम काम हुये, क्या यह तरक्की नहीं है ? मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि वहाँ करीब ५०० ट्यूबवेल कनेक्शन्स हो गये हैं, क्या यह खुशहाली का पैमाना नहीं है । हमारे नेता, विरोधी दल फिर भी कहते हैं कि यह हथवाविता है, मैं कहता हूं कि यह हठ वाविता नहीं है, यह सन् १९६७ की चुनाववाविता है जो आपको विरोध करने के लिये मजबूर

[श्री बनारसीदास]

करती है । फिर तो आपको परेशानी क्या है ? ४ साल के बाद में फैसला होगा । अगर कर लगाने की हमारी नीति गलत है तो जनता आपके सुपुर्द यह काम करेगी, फिर आपको तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिये ।

एक सदस्य—तब तक जनता मर जायगी ।

श्री बनारसीदास—अगर मर जायगी तो फिर आप ३ करोड़ के माने हुआ कि ४ साल के लिये १२ करोड़ का इन्तजाम कर दीजिये जितना कि आप सत्याग्रह पर खर्च करते हैं। कल माननीय भानुप्रताप सिंह ने कहा कि बिड़ला, टाटा हमारे दोस्त हैं । आज तो स्वतंत्र पार्टी के अन्दर ही मसानी, रानी गायत्री देवी आदि जैसे बड़े लोग भरे पड़े हैं . . . .

श्री यादवेन्द्र दत्त—राजा दिनेश सिंह कहाँ हैं, श्री गुरुनारायण कहाँ हैं ?

श्री बनारसी दास—अगर ४ साल में जनता मर जायगी तो आप १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दीजिये, ४ साल के बाद आपको अवसर मिलेगा कि आप जनता से कह सकेंगे कि १२ करोड़ रुपये देकर हमने तुम्हारी जान बचायी है । यह आपकी सिंसियारिटी का कार्य होगा और तभी आपका सत्याग्रह भी कारगर होगा । तो क्या आप यह करने के लिये तैयार हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में विपक्ष से कहा गया कि जनमत इसके पक्ष में नहीं है, यह कहा गया कि इसकी कोई टाइटिल नहीं है, यह कहा गया कि किसानों की टैक्सेबिल कैपेसिटी नहीं है, यह कहा गया कि रूरल एरिया कमजोर है । तो कल भी मैंने यह निवेदन किया था कि जिसे पावर्टी लाइन कहते हैं, उसकी संख्या ११ प्रतिशत से घट कर ७ प्रतिशत हो गयी है, जिनकी आमदनी १०० से २०० रु० तक थी उनका प्रतिशत ६१ से ४१ हो गया, जिनकी आमदनी एक हजार से ऊपर थी, उनका प्रतिशत २ हो गया । मुझे मालूम नहीं कि राजा साहब जौनपुर की क्या आमदनी है लेकिन डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि देहातों के अन्दर उस सेक्टर पर कर लगाना चाहिये जो कर देने के योग्य हो । जिसकी आमदनी १०० रु० से २०० रु० तक है, जिसकी आमदनी ४०० रु० के ऊपर है, जिसकी आमदनी १००० रु० के ऊपर है उन सबको मिला कर कुल संख्या करीब-करीब ६० प्रतिशत होती है, तो क्या उस पर भी कर नहीं लगाया जाना चाहिये ? ८ एकड़ से ऊपर वाले किसान कर देने के योग्य हैं, और वह कर किसके लिये ? इसलिये नहीं कि कोई दंड है । कल मेरे एक दोस्त ने कहा कि १९१ करोड़ रुपये का बजट है जबकि पहले १२–१३ करोड़ का बजट था । जरा देखें कि वास्तव में स्थिति क्या है . . . . .

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—३६ में तो ५ करोड़ था ।

श्री बनारसीदास—१२ करोड़ था . . . . .

श्री बलवान सिंह—पहले लैंड रेवेन्यू ५ करोड़ था और अब २३ करोड़ यानी चौगुना से ज्यादा है ।

श्री बनारसीदास—डेट सर्विस, ऐडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सोशल डेवलपमेंट सर्विस, मल्टी परपज सर्विस, आदि इन सबको जोड़ कर करीब १०२ करोड़ के करीब आता है । सेंट्रल से एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स मिलता है वह करीब १३ करोड़ रुपया होता है । तो वास्तव में आज हमारे सूबे में जो टैक्स है वह ५३ करोड़ के करीब है । सन् ३७ में यह कर १२ करोड़ था । आज प्राइस इंडेक्स पहले से पाँचगुना हो गया है । इस तरह से रियल टैक्स ५३ करोड़ है जब कि सन् ३७ में यह १२ करोड़ था ।

जहाँ तक लैण्ड रेवेन्यू की बात कही गयी यह सही है कि जिस वक्त जमींदारी का एबालिशन किया गया उस वक्त गवर्नमेंट को करीब साढ़े ६ करोड़ रुपया मिलता था और वह आज करीब १९–२० करोड़ मिल रहा है । ८ करोड़ जमींदारों को चला जाता है और २ करोड़ खर्चा होता

है, इस तरह से नेट लाभ करीब करीब २ करोड़ का होता है । लेकिन आज जो २० या २२ करोड़ हमारे खजाने के अन्दर आता है, जब जमींदारी थी तो जमींदार लोग कितना रुपया लेते थे अब २२ करोड़ की रकम आती है जब कि जमींदार ६६ करोड़ वसूल करते थे कहीं मोटर का कर, कहीं शादी का कर, कहीं दुल्हन को देखने का कर, कहीं यात्रा कर यह सब वसूल होता था । लेकिन अब यह कहना कि २२ करोड़ से किसान पर ज्यादा भार बढ़ गया है कहां तक उचित है ? जैसा कि मैंने कल कहा था हमारा दावा यह नहीं है कि किसान की जैसी हालत होनी चाहिये वह हो गई है उसके लिये हमारा प्लान है कि चौथी योजना के आखिर तक १९७६ तक हमारी राष्ट्रीय आय ५३० प्रति व्यक्ति होनी चाहिये । अगर हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो सन् १९४८ की कीमत के अनुसार हमारी जो आय १९६८ करोड़ की है वह ५,०३७ करोड़ हो जानी चाहिये उस वक्त तक यानी अब से हमारी आय ४०६९ करोड़ और बढ़नी चाहिये तब हम ५३० रुपया प्रति व्यक्ति आय के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं । मैं माननीय गेंदा सिंह जी और कम्युनिस्ट पार्टी की बात समझ सकता हूं जो मानते हैं कि हमारा योजना में विश्वास है, उन का कहना है कि योजना आप रखिये लेकिन बचत से काम कीजिये, दूसरे साधन तलाश कीजिये, शुगर उद्योग का इंडस्ट्रीयलाइजेशन कीजिये । इस तरह से उनको कम से कम हमारे लक्ष्य से तो इत्तिफाक है । लेकिन हमारे स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के साथी तो कहते हैं कि यह योजना बेकार है । डाक्टर अहमद कहते हैं कि जो देने लायक हैं उनसे लेना चाहिये । अब देने के लायक कौन है वह मैं ने बताया कि जिस परिवार की आय १०० रुपए से अधिक है ।

अब यह जो प्लान है इसमें १९१ करोड़ रेवेन्यू से व्यय होगा ३११ करोड़ केपिटल से खर्च होगा, १९१ में से १०० करोड़ सेन्टर से मिलेगा, ८ करोड़ जो हमारी दूसरी प्लान की योजनायें हैं उन पर व्यय होगा । जो ७५ करोड़ और चाहिये उसमें से २५ करोड़ बिक्रीकर से, ६ करोड़ शहर के भवनों के कर से, ६ करोड़ पेसेंजर कर से और साढ़े ९ करोड़ पब्लिक एन्टरप्राइजेज से और अब बाकी ३ करोड़ रह जाता है । ९१ करोड़ में से हम १६ करोड़ की बचत करेंगे । आप और बतायें वह भी बचत हम करेंगे । हमारा एवरेज ६६ रुपया प्रति व्यक्ति है जब कि सारे भारत का ८९ रुपया प्रति व्यक्ति है तो हमारी प्लान १६० करोड़ की होनी चाहिये । माननीय गेंदासिंह और डाक्टर अहमद साहब बचत करने के सुझाव दें तो उन्हें हम क्यों न मानेंगे ?

हम भी अपने यहां गरीबी दूर करना चाहते हैं और दूसरे प्रदेशों के समकक्ष आना चाहते हैं । हम भी १६० करोड़ की और योजना बनाये और अपने यहां ज्यादा सड़कें और पानी का प्रबंध कर सकें । वह अगर बचत के प्रोपोजल रखें तो हम विचार उन पर जरूर करेंगे और अगर कुछ रुपया उससे मिला तो हम अपनी प्रगति को और तेज करेंगे । बचत से हमारा कोई विरोध नहीं है, वह तो हर दिशा में होनी ही चाहिये ।

कहा जाता है कि बकाया बहुत है और उसकी वसूलयाबी से काम चल सकता है । एरियर्स की वसूलयाबी का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा लेकिन क्या वे एरियर्स इसमें शामिल नहीं हैं, क्या वह नहीं आयेंगे । एक पैट्रोल की टंकी वाला भी सस्पेंस अकाउन्ट में २०–२५ हजार रुपया रखता है । तो उनको वसूल किये जाने का प्रयत्न किया जायगा । मैं चाहता हूं कि उस रुपये को वसूल किया जाय और सख्ती से वसूल किया जाय जिससे कि लाकआउट न हों । लेकिन इससे कितना रुपया बचेगा, किस प्रकार से ७२ करोड़ का गैप पूरा होगा ।

एक साहब ने कहा कि हम बजिद हैं । इसमें कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं है । कहा गया कि पार्लियामेंट के मेम्बर खिलाफ हैं । मैं कहता हूं कि दिल्ली की पार्लियामेंट के कांग्रेस पार्टी के मेंम्बर अगर यह कह देते हैं कि हम इस जोत कर के खिलाफ हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय नेता जवाहरलाल नेहरू कह दें कि वे इस जोत कर के विरोध में हैं तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि वह इसको वापस ले ले । हम नहीं चाहते कि किसानों से हम कोई पैसा वसूल करें लेकिन यह तो लास्ट रिजोर्ट हमारा है । अर्जुन के सामने एक और कर्तव्य पालन और दूसरी तरफ कुटुम्बियों का मोह था उसी प्रकार से हमारे सामने इलेक्टोरेट के प्रति हमारा फर्ज है दूसरी

[श्री बनारसीदास]

तरफ हमारा पार्टी का मोह है, भावी संतानों का मोह है । जब हमने यह फैसला किया तो कुछ लोगों ने कहा कि मिनिस्टरों में राय देने का साहस नहीं है लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मिनिस्टरों ने तो इस कर को लगा कर अपने आपको स्टेक पर रख दिया है और विरोधीदलों के अनुसार वे तो रिटर्न होने वाले नहीं हैं । आपको तो और हमदर्दी होनी चाहिये कि हम लोग अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं । तो मैंने अर्ज किया कि यह तो राजवंशों की परम्परा रही है । आप इस कुर्सी पर आने के लिये आतुर हैं तो फिर आपको तो हमारा और कृतज्ञ होना चाहिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आपने क्या कहा कि राजवंशियों की परम्परा जौहर करने की रही है ?

श्री बनारसीदास—मैंने अर्ज किया इस कदर बेचैनी है । मैं यह कह रहा था कि हमारी यह एक ऐतिहासिक माँग थी कि हम एक नया उत्तर प्रदेश बनायें, एक नया समाज बनायें और एक नया ताकतवर हिन्दोस्तान बनायें ।

अब जरा रशिया की ओर देखिये । यह एक पुस्तिका है, "दि एकोनोमिक प्रोग्रेस आफ रशिया" । इसमें लिखा हुआ है—

"The high rate of saving, which has been estimated at over thirty per cent of income for some years of the First Five-year Plan, was reflected in the general diet of the country."

तीस प्रतिशत सेविंग रशिया में की गयी, उसका नतीजा क्या हुआ ? डाक्टर श्वार्ट कहते हैं—

"It is not possible, however, to accept these claims without qualification. Dr. Sohwarts, a specialist in Soviet economics, after a study of the problem has reached the conclusion that individual real wages in the Soviet Union declined by about 50 per cent in the twenty years between 1928 and 1948."

(इस समय १२ बजकर ३३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

श्री बनारसी दास—From 1928 to 1938 there was a decline of 20 percent in terms of purchasing power. तो सोवियट इकोनामी की बात कही जाती है । आप देखें कि सन् ३१ में सोवियट कांग्रेस मास्कों में हुई । कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने स्टालिन से कहा कि मुल्क में खाने की कमी है, मक्खन कम है, भोग्य वस्तुओं की कमी है, प्रगति से काम किया जाय । जून के महीने में स्टेलिन ने तब कहा था फ्रान्स के द्वारा, अन्य मुल्कों के द्वारा पद दलित किये गये हो । क्या रूस में उस इतिहास की पुनरावृत्ति होगी ? आज से १० साल बाद एक शक्तिशाली कौम हम पर हमला करे तो क्या हम उसके लिये कीमत अदा करने को तैयार हैं ? इसके लिये रूस को मजबूत बनाना होगा । इसलिये रूस का दुनियां की सफेहस्ती पर नाम रखना है तो आज का नारा है आंस, खून, पसीना और दिल सख्त करके आज की संतति को एक बड़ा बलिदान करना पड़ेगा । भोग्य वस्तुओं का उस समय बायकाट था । अमेरिका आदि देशों का गेहूं आता था तो भारी लेवी लगती थी । मैं इसके लिये रूस को ट्रिब्यूट पेश करता हूं । सन् १९३१ की नीति ने स्टालिन ग्राड की गलियों की लड़ाई में, उस वक्त के रूस के बलिदान ने रूस की गरीबी को दूर कर दिया । यहां भी आज बड़ा दर्द है गरीबी को दूर करने के लिये और मुझे याद आता है जो अकबर "इलाहाबादी" ने कहा "कौम का गम लीडर को बहुत है लेकिन आराम के साथ" । लेकिन यहां श्रीमन्, चीन का रिज्योल्यूशन आता है । क्या इसी तरह से चीन की संगीनों का सामना कीजियेगा ? इस

तरह से मुल्क के मारेल को तोड़ कर चीन के खिलाफ लड़ा जायगा, मुल्क के अन्दर मातम परस्ती पैदा करके जिस तरह से फ्रान्स के अन्दर पांचवां दस्ता था और जिस मातमपरस्त चेहरों की वजह से वहां ५ दिन के बाद ही हथियार डाल दिये गये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी मंथरावाद का हवाला दिया करते हैं । राम का राज्याभिषेक था और मंथरा कोठरी के अन्दर पड़ी हुई थी । तो मंथरावादी मनोवृत्ति को ले कर चीन से नहीं लड़ा जा सकता । उधर से बड़ा शोरगुल यह भी किया गया कि साहब पहरे लग रहे हैं, मानो कोई स्वतंत्र नहीं है । हमने पहरे भी पहले देखे थे, हमने देखा था कि जब सत्याग्रह होता था तो १० आदमी भी साथ देने वाले नहीं होते थे । हमने उन इलाकों में मीटिंग्स की हैं जहां प्रधान नहीं मिलता था । सन् १९३० के आन्दोलन में कंकड़ के प्रधान के मातहत मीटिंग की थी । तो आज अमन सभा की बातें करना कहां तक वाजिब है ? वह लोग नहीं जानते कि आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ? जो नौजवान आज के हैं उनमें मतभेद हो तो मैं स्वागत करूंगा लेकिन उनके ट्रेडीशन्स को मानने के लिये तैयार नहीं हूं जो जवान कि १९४२ में गांधी जी के नेतृत्व में मुल्क की आजादी की लड़ाई में सीना नहीं निकाले । तो श्रीमन्, जो यह जोतकर विधेयक है, सूबे में इस पर वितंडावाद पैदा किया जाना, प्रगति के खिलाफ है यह मोर्चा, यह विकास के खिलाफ है मोर्चा, यह समाजवाद के खिलाफ है मोर्चा, यह लोगों को अफीम देकर के एक तरह से बेहोश कर देना है, श्रीमन् ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—और सेठों को छूट देना ?

श्री बनारसीदास—सेठों को छूट देने की बात मुझे भी मालूम है । सन् १९५२ में एक जिक्र चला था जब यह पार्टी बनी थी, उस वक्त कानपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट असोसियेशन के प्रेसीडेंट को लिखा गया था कि जरा हमारा भी ध्यान रखो । श्रीमन्, वह पैसा पूंजीपतियों द्वारा देना तो है समाजवाद ब्रान्ड और जब वह पैसा पूंजीपति का किसी और के पास जाये तो वह पैसा क्या और किसी ब्रान्ड का हो जाता है ? आज भी वह खत मौजूद है जो उस पार्टी के नेता ने उस पूंजीपति को लिखा था । तो मैं यह समझता हूं कि इस तरह से बातें करना यह थोड़ा पार्लियामेंटरी पद्धति के खिलाफ है । मैं यह भी जानता हूं कि अमेरिका द्वारा किस तरह से रुपया बह रहा है । मैं यह भी जानता हूं कि नैपाल में किस की एजेंसियां है । मैं यह भी जानता हूं कि चुनाव का कोष कहां से आता है । वह प्रतिक्रियावादी ताकतें जो किसानों का नाम लेकर आज किसानों की गाय हमारे सामने पेश करते हैं वह वही कार्य है जैसा कि महमूद गजनवी के सामने गायें खड़ी कर दी गयी थीं । आज वह किसानों का नाम लेकर के अपनी साख को पूरा करना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनको किसानों की रहनुमाई करने का अधिकार है ? क्या यह वाकया नहीं है कि सन् ३६ तक कितनी जमीनें नीलाम हुई थीं ? क्या कीमत थी ? मैं अपने जिले की बात कहता हूं । आम तौर से १ एकड़ जमीन की कीमत १ हजार रुपया और ५ सौ रुपये से कम तो नहीं थी, तो कौन खरीदता उन जमीनों को ? तो यहां पर अमेरिकन मनी आ रहा है नेपाल के जरिये से, झंडे लहरा रहे हैं और सामने गाय और गाय की तस्वीर लगा कर धर्म के नाम पर अमेरिकन एजेंट्स अपना रुपया बहा रहे हैं ।

श्रीमन्, हम लोग वह हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी का बहुत सा हिस्सा देश के लिये दे दिया और मैं भी उन अदना लोगों में से हूं । जब से होश सम्हाला है १५ वर्ष की उम्र से आज ३६ साल हो गये जब शपथ ली थी अंग्रेजी राज्य की लानत को दूर करने के लिये, अपना बलिदान जो हो सकता था दिया । मैं साफ कहता हूं कि अमेरिकन एजेन्ट्स के जरिये से, उनकी थैलियों की बदौलत किसी दिक्कत के बदले इस मुल्क का सौदा नहीं किया जा सकता । श्रीमन्, मैं कहूंगा कि आज जो सत्याग्रह करते हैं वह क्या कहेंगे ? सन् ५२ में पंडित नेहरू अमेरिका गये थे और प्रेसीडेंट ट्रूमन ने उनको ढाई अरब रुपये का अनाज प्रेजेन्ट किया था । जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्वीकार कर लिया था लेकिन ट्रूमन ने जब कहा कि वैदेशिक नीति हमारे अनुसार होगी तो आपको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिन्दुस्तान की भूखी जनता की भूख से घबड़ा कर ढाई अरब रुपये पर गांधी की, कांग्रेस की हासिल की हुई आजादी को ट्रूमन के

[श्री बनारसीदास]

सामने सौदा करने के लिये नहीं आया हूं । बेहतर होगा कि मेरे गले में असंतुष्ट जनता जूतों का हार डाल दे लेकिन जमाना कहेगा कि ढाई अरब रुपये के नीचे जनता की भूख मिटाने के लिये जवाहरलाल तू डर गया और तूने गांधी जी की हासिल की हुई आजादी को बेच दिया । तुझ पर जनता फूल बरसाती थी, फूलों की बरसा होती थी, तू उनकी आंखों का तारा था, तू लोगों का आइडियल बन गया था लेकिन भूख की वजह से परेशान हो कर तूने गांधी जी की हासिल की हुई आजादी का सौदा कर दिया और इस देश को तूने ढाई अरब रुपयों पर बेच दिया ।

श्री रामायणराय—सेठों से रुपया ले कर देश को उनके हाथ बेच रहे हैं ।

श्री बनारसीदास—मालूम होता है मेरे दोस्त रात को कोई ख्वाब सेठों का देखकर आये हैं । मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके यहां आ जाऊं । थोड़ा समाजवाद मैंने भी पढ़ा है और आपसे पुराना समाजवादी हूं । आपको बताऊंगा कि समाजवाद का ट्रान्सफार्मेशन कैसे होता है, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, प्रोडेक्शन, फिर ड्रिस्ट्रीब्यूशन और फिर किस तरह से राष्ट्रीयकरण होता है । जो सोशलिस्ट होता है वह बढ़ा रैडिकल होता है, रेशनल होता है और उसका हथियार तर्क हुआ करता है । यह नहीं कि चाहे जिस वक्त खड़े हो गये और स्पीच के अन्दर अड़ंगा डालने लगे । श्रीमन्, मैंने सदन के सामने निवेदन किया कि भूमि जोत-कर विधेयक एक बलिदान है । अभी चन्द महीने हुये देश में एक आशंका पैदा हुई थी कि महा प्रलय आने वाला है । जगह-जगह यज्ञ किये गये । वह महा प्रलय तो आया नहीं लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि हर साल जो यह आबादी बढ़ती है, यह महा प्रलय की नाव पर हमारा मुल्क सवार है । इसलिये जैसा कि मेरे दोस्त नवलकिशोर जी ने कहा, नीरो की तरह बीन न बजाइये जब रोम जलता है बल्कि मांझी बन कर उस महा प्रलय की नाव को किनारे लगाइये । मैं कमजोर आदमी हूं, मुझमें वह बल नहीं है कि मेरी दलीलें आप तक पहुंच सकें । विनोबा भावे ने कहा कि रामलीला आज भी हो रही है । विनोबाजी ने कहा कि क्या मैं भरत बनूं, लेकिन मुझमें वह त्याग नहीं । तो क्या मैं लक्ष्मण बनूं, लेकिन वह पराक्रम नहीं । तो क्या रावण बनूं, लेकिन वह महत्वाकांक्षा नहीं । तो क्या अहिल्या बनूं, लेकिन वह भक्ति नहीं । अहिल्या बोली कि क्या मुझे कमजोर पाया था ? अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक राम के चरण पड़े थे । कोई राम के चरणों की अकेले ही महिमा थोड़े ही थी । अहिल्या जैसी नारी हो और राम के चरण हों तब महिमा होती है । तो आज जब जवाहरलाल जी और विनोबा जी के चरणों से जीवन नहीं आया तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त के चरणों से कहां जीवन आयेगा ? इन्तजार करना पड़ेगा । यह एवोल्यूशन की फिलासफी है । कोई और चन्द्रभान गुप्त आयेगा, कोई और जवाहरलाल आयेगा और जो आज जिद्द किये बैठे हैं उनमें जीवन आयेगा और वे कहेंगे कि आज उनकी मुक्ति हुई ।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा । बड़ी बेचैनी से कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई है । अरे, पांडव और कौरव १०० और ५ थे लेकिन दूसरों के लिये वे १०५ थे । मैंने अर्ज किया कि हमारा एक संगठित दल है । आपके लिये हम १०५ हैं । लेकिन श्रीमन्, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का सहारा लिया गया । एक वस्तुस्थिति है । माननीय गुप्ता जी दिसम्बर, १९६० में आये हैं और सम्पूर्णानन्द जी के मंत्रिमंडल ने जनवरी, १९६० में १०० करोड़ के टैक्स लगाने का फैसला किया प्लान के चलाने के लिये । अगस्त, १९६० में ५० करोड़ के टैक्स लगाने का फैसला किया । अगस्त में गुप्ताजी नहीं थे, सम्पूर्णानन्दजी थे । कैबिनेट की तरफ से एक मेसेज भेजी गयी । सम्पूर्णानन्द जी हमारे नेता है । उनसे प्रेरणा हमने ली है । वे हमारे पथ प्रदर्शक हैं । आज वे गवर्नर हैं । उनका नाम कंट्रोवर्सी में खींचने से मुझे दुःख हुआ जब उनका पत्र पढ़ा गया । ज्यादा मुनासिब होता अगर अलग बात कर लेते । तो ५० करोड़ के कर वे लगाने जा रहे थे । मैं समझता हूं समाजवादी सम्पूर्णानन्दजी की चिन्ता । इस पिछड़े हुये प्रदेश को वे देश के और प्रदेशों की पंक्ति में खड़ा करने के लिये चिन्तित थे ।

श्रीमान्, सशंकित हुये और वे १०० करोड़ से ५० करोड़ पर आये । तो वह एक कंटीन्यूटी थी । श्रीमन, कहा जाता है कि कांग्रेस कमेटियां खिलाफ हैं । मेरे कुछ दोस्तों ने जिला बोर्ड में भी रिजोल्यूशन पेश किया था लेकिन वह पास नहीं हुआ । कुछ लोगों ने पी० सी० सी० की मीटिंग बुलाने के लिये कुछ दस्तखत कराकर भेजे थे लेकिन एक तिहाई दस्तखत नहीं हुये । श्रीमन्, यह हमारे दल का मामला है । १२ तारीख को हमारे दल की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है उसमें इधर उधर के लोग जो वायर पुलिंग में दिलचस्पी लेते हैं, होंगे, उसमें जवाहरलाल जी भी होंगे । उस मीटिंग में यह प्रस्ताव भेजा जाय कि इस विधेयक को वापस लिया जाय । वहां पर अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो इसको वापस ले लिया जायगा ।

श्रीमन्, इस तरह से गलत बयानी करना ठीक नहीं है । यह फैसला मुख्य मंत्री जी का नहीं है बल्कि हमारे दल का है और जनतांत्रिक ढंग से है और पार्लियामेंटरी पद्धति में दल का केस रखा जाता है । यह नहीं कि फलां प्रदर्शन कर दीजिये । खूब रही, मुकदमा हमारा और वकील आप चुनेंगे । यह तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है । श्रीमन्, जोत कर विधेयक को जनमत प्राप्त है और उसी तरह से प्राप्त है जैसे साक्रेटीज, ईसामसीह और गांधी जी आदि महापुरुषों को प्राप्त था । हमारे पूज्य गांधी जी से एक प्रेस प्रतिनिधि ने कहा था कि—"What is impossible to-day will be possible tomorrow. Minority of to-day will be majority of tomorrow. यानी जो आज असम्भव है वह कल सम्भव हो जायगा । जो आज माइनोरिटी में है वह कल मैजोरिटी में हो जायेगा । तो यह कोई स्टैटिक चीज नहीं है । यह जो विधेयक है, यह एक चुनौती है व्यक्तियों के लिये कि वे हिन्दुस्तान की समस्याओं को फेस करें । भूख और बेरोजगारी इंतजार नहीं कर सकती है और गांधी जी ने बताया है कि जब आंतरिक नियंत्रण होता है तो अहिंसा कहलाती है और जब वाह्य नियंत्रण होता है तो वह हिंसा होती है । आंतरिक नियंत्रण के द्वारा जनता की मनोवृत्ति को अपील करके विकास करना है या वाह्य नियंत्रण के द्वारा यानी हिंसा के द्वारा विकास करना है । भूख और बेरोजगारी इंतजार नहीं करेंगी । चन्द्रभानु गुप्त हमेशा मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे । अगर आप विकास नहीं करेंगे तो जनता करेगी । अगर अहिंसा से विकास नहीं होगा तो हिंसात्मक शक्तियां आयेंगी, अयूब आयेंगे और विकास होगा । यह कहना कि जब पैदा हुये थे तो भगवान ने दुध दिया, दांत दिये तो क्या वह अन्न नहीं देगा, इस भाग्यवादी जन्मपत्री को हमने फाड़कर फेंक दिया है । हमारा यकीन है कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग को उतार सकते हैं । श्रीमन्, एक रामायण की चौपाई है कि—

"जहं कहिं निन्दा सुनहिं पराई, हर्षहिं मनहुं पड़ी निधि पाई ।
जब काहूं की सुनहिं बड़ाई, सांस लेहिं मनहुं जूड़ी आई ।।"

जिन लोगों का यह तरीका है उनके लिये श्रीमन्, मैं क्या कहूं । इस विधेयक के सम्बन्ध में जनमत के जानने की आवश्यकता नहीं है । मैं माननीय नरसिंहनारायण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सिलेक्ट कमेटी के अमेंडमेंट को रखकर इसके सिद्धान्त को स्वीकार किया है । मैं आशा करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस लेंगे अन्यथा मेरा अरण्य रोदन होगा । कल मैंने निवेदन किया था कि ये नेता लड़ रहे हैं १४वीं सदी के जीवन की रक्षा के लिये और उनके सामने २०वीं सदी नहीं है । इसलिये उनके कानों तक मेरी दलील नहीं पहुंच सकती है । उनके पास जनता की दलील पहुंचेगी । लेकिन कुछ समय के बाद जनता प्रश्न करेगी कि एक मुख्य मंत्री था जिसने एलेक्टोरेट की चिन्ता नहीं की, तो क्या कारण था कि उसने एक अप्रिय कार्य को किया । जब कि वितंडावाद खत्म हो जायगा, जब वह ठंढे दिल से सोचेंगे, जब वह डाक्टर अहमद के शब्दों में विचारशील मूड में होंगे उस वक्त हम महसूस करेंगे कि जो विधेयक उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया गया था उस ने प्रगतिशील, समृद्धिशाली उत्तर प्रदेश की नींव डाली थी । श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार प्रकट करने का आपने अवसर दिया।

श्रीमन्, मैं माननीय बनारसीदास के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था। जब उन्होंने डाक्टर सम्पूर्णानन्द की बात इस सदन में कही तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। यह प्रश्न अगर माननीय मुख्य मंत्री, माननीय गुप्त जी उठाते तो सही रहता। उनके पास पत्र आया है।

श्री उपाध्यक्ष—शर्मा जी, माइक खराब है। दूसरे माइक पर आ जांय।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, सूचना मंत्री जी ने जब यह बात कही कि तृतीय पंच वर्षीय योजना की जब रूपरेखा तैयार की गयी थी उस वक्त डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने यह कहा था कि हम १०० करोड़ रुपया यहां से इकट्ठा करेंगे। यह बिलकुल गलत आरोप है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने यह कहा था कि खेती पर लगान बढ़ायेंगे या किसानों पर टैक्स बढ़ायेंगे। इस संबंध में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का पत्र इस सदन में माननीय विकल जी ने पढ़ा था। डाक्टर सम्पूर्णानन्द का पत्र माननीय मुख्य मंत्री के पास भी आया है। माननीय मुख्य मंत्री जी उस पत्र को सदन के सामने प्रस्तुत कर दें। जो यहां मुख्य मंत्री रहा हो, और आज न हो उसको बहस में लाना ठीक नहीं। श्रीमन्, माननीय बनारसीदास जी ने डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की यह बात तो मान ली लगान बढ़ाने वाली बात लेकिन सम्पूर्णानन्द जी ने इस प्रदेश के लिये जो जो कार्य किये उन कार्यों का इस तरह से मेटन किया गया जैसे डाक्टर सम्पूर्णानन्द कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं थे बल्कि एक विदेशी थे। जिस तरह से माननीय बनारसीदास जी और उन ९८ आदमियों ने इसी सदन के अन्दर हस्ताक्षर करके मेमोरेंडम पेश किया था तो वह प्रोफेशनल मिस्कंडक्ट था या प्रोफेशनल प्रास्टीट्यूशन था, या पालिटिकल प्रास्टीट्यूशन था ?

माननीय बनारसीदास जी, मैं जानता हूं कि आप की पालिटिकल स्टैंडिंग है। माननीय बनारसीदास जिन्होंने १२-१४ साल से आजादी की लड़ाई लड़ी, मेरे साथी हैं। मैं उन्हीं की उम्र से आजादी की लड़ाई लड़ा हूं, जेलों में सड़ा हूं और उम्मीद है कि आगे भी मौका मिलेगा, अगर माननीय बनारसीदास जी जेल में सड़ाएंगे, मैं सड़ूंगा। मैं माननीय बनारसीदास जी से पूछना चाहता हूं जो मेरे साथी रहे हैं, जिन को दर्द है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द का नाम न लिया जाता तो बहुत अच्छा होता और लेते तो माननीय मुख्य मंत्री जी लेते। क्या यह सही नहीं है कि प्रजातन्त्र की दुहाई देने वालों ने इस प्रदेश के अन्दर अनडेमोक्रेटिक तरीके से, आज गुप्ता जी को मुख्य मंत्री बनाया ? क्या यह सही नहीं है कि इस प्रदेश में डेमोक्रेसी की हत्या हुई ? बनारसीदास जी इस बात के साक्षी हैं और जितने माननीय सदस्य इस ओर के और उस ओर के बैठने वाले हैं सब जानते हैं कि इस प्रदेश में जिस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने, गुप्ता जी ने शासन सम्हाला, क्या-क्या प्रवचन किये थे, क्या-क्या घोषणायें की थीं ?

श्री उपाध्यक्ष—अब एक बज गया है। दो बजे मिलेंगे तब भाषण दीजियेगा।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामायणराय—मैं आपकी आज्ञा से विशेषाधिकार का प्रश्न बंशीधर जी पांडेय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के विरुद्ध उठाने का नोटिस आपको देता हूं। मैं आपको बतलाऊं कि जैसे ही सदन यहां समाप्त हुआ था और माननीय नेकराम जी शर्मा ने अपना भाषण समाप्त ही किया था कि वह बड़ी तेजी से अपनी सीट से उठकर आये और उन्होंने आकर वक्ता महोदय की धमकी दी। इसका नोटिस इस समय मैं आपको देता हूं। बाकायदा लिखकर कल आपको दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, माननीय रामायण राय जी ने जो प्रश्न उठाया, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं अपने भाषण को समाप्त करके यहां खड़ा हुआ

था तो माननीय बंशीधर जी आये और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वह बहुत ही अप्रिय थे । यह सही है कि आज मेरी स्पीच के बाद एक दिन हाउस में कंडोलेंस प्रस्ताव मेरे विषय में सदन को पास करना पड़ेगा क्योंकि यह सरकार इस बात पर तुली हुई है । यह सरकार बरदाश्त नहीं कर सकती । यह वह सरकार है जो अपने दुश्मन को बरदाश्त नहीं कर सकती है । छोड़ दीजिये पन्त जी का जमाना, छोड़ दीजिये डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का जमाना । अब ऐसी सरकार आ गई है जो विरोधी को बरदाश्त नहीं कर सकती ।

अब मैं इस विषय में न जाकर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात कही कि आपने हमारे विकल जी को तोड़ लिया और अब आपके पास कोई वकील नहीं बचा, इसलिये आप उनके पास आयें । श्रीमन्, माननीय बनारसी दास जी सन् १९५७ से १९६२ तक इस सदन में नहीं थे लेकिन ठाकुर हुकुमसिंह जी और श्री नेगी जी यह दोनों सज्जन गवाह हैं और डाक्टर सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री के प्रमुख स्तम्भ थे । क्या यह सही नहीं है कि मिस्टर नवलकिशोर और माननीया श्रद्धादेवी की जब इस सदन में स्पीच होती थी तो क्या वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं था ? इन ९८ माननीय सदस्यों ने जिनमें आज बहुत से मंत्री भी हैं, राममूर्ति जी, शान्तिप्रपन्न शर्मा जी, मुजफ्फर हसन जी, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव जी आज मिनिस्टर हैं । नवलकिशोर जी, केशभान राय जी, गनेशीलाल जी, कुमारी श्रद्धादेवी जी, श्री हरीदत्त कांडपाल .....

कुमारी श्रद्धा देवी (जिला मेरठ)—मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्रिटिसिज्म करती रही थी । लेकिन जैसा माननीय नेकराम जी कह रहे हैं कि किसी स्पीच में मिसकंडक्ट हो तो उसे वह कोट कर के बतलावें यह मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं और मैं उसके लिये सफाई देने को तैयार हूं और सजा पाने के लिये तैयार हूं । मैं वर्ड बाई वर्ड सोच समझकर अपनी बात कहती थी, करों की तब भी समर्थक थी, और आज भी हूं और पुलिस के करप्शन की तब भी विरोधी थी, आज भी हूं ।

एक सदस्य—इसमें प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

कुमारी श्रद्धादेवी—मेरा प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन यह है कि मैंने यह कहा कि मेरी कोई स्पीच मिसकंडक्ट की नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष—यह सब आप बाद में कह लीजियेगा ।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं माननीया श्रद्धा जी से कह रहा था कि माननीय बनारसीदास जी की एक नयी पभिाषा इस सदन में हुई कि अगर कोई कांग्रेस का सदस्य इस बिल के, इस काले कानून के खिलाफ इस सदन में बोलता है तो यह उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है । माननीया श्रद्धा जी को याद होगा, इसी सदन में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के खिलाफ एक चार्ज लगाया गया था कि उनके पीछे सी० आई० डी० लगाये जाते हैं और उनसे जवाब भी तलब किया गया था । माननीय श्रद्धा जी को याद होगा, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानता । मैं तो श्रद्धा जी को धन्यवाद देता हूं कि वह इतनी बड़ी आलोचक हैं । वह आलोचनायें सही थीं या गलत थीं, यह बात दूसरी है ।

श्री बनारसीदास,—अगर तुम्हारी दरख्वास्त भी मंजूर हो जाती तो तुम्हारी भाषा भी बदल जाती ।

श्री नेकराम शर्मा—माननीय बनारसीदास जी स्वयं जानते हैं और माननीय कमलापति त्रिपाठी और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी इस बात के गवाह हैं और ठाकुर हुकुमसिंह जी भी, कि मैं कांग्रेस टिकट के लिये दरख्वास्त नहीं देना चाहता था । मैं जानता था कि गुप्ता

[श्री नेकराम शर्मा]

गवर्नमेंट आ गयी है । यह एक तानाशाही आ गयी है और इसमें न्याय की आशा नहीं रखनी चाहिये। मैंने मना किया था और इसके लिये मैं माननीय कमलापति त्रिपाठीऔर डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को पेश करूंगा । मुझे बुलाया गया । ६ दिन बाद, ५ तारीख को जो अन्तिम तिथि थी उसके पश्चात् तय हुआ अप्लीकेशन्स देना, लेकिन मैंने मना किया और जब मैंने अर्जी दी तो भी मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिये . . . .

श्री उपाध्यक्ष—अब आप विषय पर आ जाइये ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय सूचना मंत्री जी ने अभी "तुम" शब्द का प्रयोग किया है माननीय नेकराम जी के लिये । तो क्या यह शब्द संसदीय है और इसका इस्तेमाल सूचना मंत्री जी क्या कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—आपस में आप लोग क्या कह लेते हैं, इसे मैं क्या देखूं ।

श्री बनारसीदास—आपको क्या शिकायत है ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री कल्पनार्थसिंह से)—आपको इसमें क्या एतराज है ?

श्री नेकराम शर्मा—यह कहा जाता है कि उनको कांग्रेस टिकट नहीं मिला इसलिये आज इतने मुखालिफ हैं। श्रीमन्, यह तो आप भी जानते हैं कि हमको तो कांग्रेस टिकट नहीं मिला, लेकिन उन ९८ सदस्यों ने जो आज इस प्रदेश की हुकूमत में हैं, डाक्टर सम्पूर्णानन्द हुकूमत के साथ और नेहरू के साथ जो गद्दारी की उसे इतिहास माफ नहीं कर सकता । किसलिये उन्होंने ऐसा किया ? इसलिये कि वे मिनिस्ट्री में नहीं थे ? इसलिये कि वे मिनिस्ट्री में आना चाहते थे ? बड़ा नारा था कि संगठन बड़ा है, कांग्रेस बड़ी है । लेकिन जब मिनिस्ट्री फार्म हुई तो जितने सेक्रेटरीज थे, जितने पार्लियामेंटरी बोर्ड के मेम्बर थे, सब मिनिस्टर बन बैठे । कांग्रेस संगठन समाप्त । कोई महत्ता नहीं संगठन की और इसी सरकार के सदस्य ऐसा कर सकते हैं ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय सदस्य सबको क्यों कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—मैं माननीय हरीसिंह जी का आभारी हूं। वह बिलकुल सही कह रहे हैं । जो हालत इस विधेयक की है वह किसी से छिपी नहीं है । इसके ७० सदस्य कांग्रेस के खिलाफ हैं । माननीय हरीसिंह जी भी सही कहते हैं, सब नहीं थे । जब यह बात कही गई तो क्या यह सही नहीं है कि संगठन को महत्ता देने वाले मुख्य मंत्री जी ने प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की मीटिंग में यह वोटिंग करा दी थी और एक वोट से जीते और इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने जाने से रोक दिया था ? अगर लक्ष्मीरमण आचार्य जी वगैरह आ जाते तो इस सरकार के मुख्य मंत्री हार जाते ।

(व्यवधान)

एक सस्दय—यह सब गलत है ।

श्री नेकराम शर्मा—आप कहते हैं यह गलत है। परन्तु मैं माननीय बनारसीदास जी से ही पूछता हूं कि क्या आपने वोटिंग नहीं कराई थी ? यदि मैं गलत कहता हूं तो वे सही कर दें । मैं यह कह रहा था कि जो संगठन को इतनी महत्ता देते थे वह, उनका यह क्या तरीका था कि उन्होंने प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी में इस बिल को नहीं जाने दिया । केवल इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष की एक बड़ी भारी महत्ता होती है, उसकी बड़ी इम्पार्टेन्स होती है, और श्रीमन्, आप तो स्वंय कांग्रेसी थे और हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, कांग्रेस पार्टी की बातों से और इन सब बातों से क्या मतलब है। विषय पर ही बोलिये तो अधिक अच्छा होगा ।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि श्री अजितप्रसाद जैन जो यू० पी० सी० सी० के प्रेसीडेन्ट हैं, उन्होंने इस जोतकर बिल का विरोध किया है। इस सरकार के २ मंत्रियों ने इसका विरोध किया है और हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री केशव देव मालवीय और डाक्टर श्रीप्रकाश ने इसका विरोध किया है। इसका विरोध केवल श्री विकल जी ने ही नहीं किया बल्कि ६०–७० कांग्रेसी सदस्यों ने किया है। मैं यह भी जान पाया हूं कि ३०-४० कांग्रेसी मेम्बरों ने श्री महावीर त्यागी जी की अध्यक्षता में यह लिखकर दिया है कि हम कतई इस बिल का विदड्राल चाहते हैं। जो इतनी कांग्रेस संगठन की दुहाई देते थे, जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट से भी असहमति रखते हैं आप उन सब को ठुकरा करके इस विधेयक को केवल अपनी जिद और हठ के वश हो कर ला रहे हैं। केवल जिद की बात है और इसमें कोई भावना नहीं है। माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि हमको ३ करोड़ रुपया मिल जाय तो हम वापस ले लें। परन्तु श्रीमन्, आपको याद होगा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि आप एक राउंड टेबुल कान्फ्रेंस बुलाइये प्लानिंग के लिये, तो हम ३–४ करोड़ ही नहीं और अधिक का भी प्रबन्ध कर देंगे। मैं भी दावत देता हूं कि आप इस बात पर गौर करें। लेकिन यह सरकार सुझाव भी मानने को तैयार नहीं।

एक बात और कि अभी राजा साहब सिगरामऊ ने कहा कि हम अपनी सारी संपत्ति दे देंगे और इसके लिये बाकायदा लिखा पढ़ी करने को भी तैयार हैं यदि आप इस बिल को अवश्य वापस ले लें। परन्तु इस कांग्रेस दल की तरफ से किसी ने भी, यहां तक कि माननीय ठाकुर साहब ने भी उनकी बात नहीं स्वीकार की। वह तो काफी वृद्ध हो गये हैं, करीब ७० के तो होंगे ही। भगवान उनको और अधिक दिन जीवित रखें। उनके लिये यह उचित था कि वह यह घोषणा कर देते कि हम भी तैयार हैं। वह एक सुन्दर बात होती, परन्तु नहीं कहा गया। आप ३ करोड़ की बात करते हैं। हमारे कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स वगैरह भी ५ करोड़ की इकोनामी कर देने को तैयार हैं। तो यह ३ करोड़ की तो बात केवल बहाना है, असली बात तो केवल जिद की है। आप किसानों को मिटाना चाहते हैं।

माननीय बनारसीदास जी ने प्रोफेशनल मिस-कंडक्ट की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय बनारसीदास जी को कि जिस वक्त.....

(व्यवधान)

श्री बनारसीदास—वह मैंने आपके लिये नहीं कहा था। वह दूसरी बात थी।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, आप देखें कि फिर गुप्ता जी की हुकूमत आई। उन्होंने कुछ कसौटियां इस सदन में और इस सदन के बाहर रक्खीं। वह कसौटियां यह थीं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी की सरकार कांग्रेस सरकार नहीं थी बल्कि कोई और विदेशी हुकूमत थी और वह कोई बाहर के चीफ मिनिस्टर थे। माननीय ठाकुर साहब, श्री नेगी जी तथा श्री कमलापति त्रिपाठी आदि यह कोई कांग्रेसी नहीं थे, न कांग्रेसी मंत्री थे। चारों तरफ इनके व्यवहार की चर्चा हो रही थी और अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल से आया था। उस वक्त इन ९८ सदस्यों ने जिन में से आज मिनिस्टर बहुत से बने हुये हैं, यह मेमोरेन्डम, ऐतिहासिक बिल आफ राइट कहिये या श्वेत-पत्र या मैगना-कार्टा, प्रस्तुत किया गया और उसमें क्या कहा गया। आचार्य जी, जिस तरह से आज माननीय विकल ६०–७० आदमियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सदन में कह दिया है चीफ व्हिप, माननीय बनारसीदास जी से कि कृपा करके व्हिप उठा लो और तब स्वयं पता चल जायगा कि दुबे जी की बात सही है कि २३७ विरोध में हैं और सरकार में विश्वास नहीं है सरकारी पार्टी का। इसके बाद भी अगर सरकार विश्वास प्राप्त नहीं कर लेती तो यह सरकार, सरकार नहीं है।

माल मंत्री (श्री हुकमसिंह विसेन)—नेताजी. जरा धीरे धीरे बोलें जिससे बात समझ में तो आवे।

श्री नेकराम शर्मा—मैं ठाकुर साहब का आभारी हूं, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि उनको सुनाई कम पड़ता है। ठाकुर साहब सब जानते है, उन्हीं के जमाने में सब कुछ गुजरा था। डाक्टर सम्पूर्णानन्द का गला घोटा गया था उसी समय उन्होंने रोकर कहा था, "बस, मुझे एक ट्रक दे दीजिये, मेरा सामान बहराइच पहुंच जाय, मैं रह नहीं सकता गुप्ता राज्य में" ठाकुर साहब सब जानते हैं। आज भी उनको स्मरण होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—उनका दिल शीशे का है, धीरे-धीरे बोलिये, कहीं टूट न जाय।

श्री नेकराम शर्मा—आचार्य जी ने जब यह प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में फिजूलखर्ची बढ़ रही है, नम्बर एक। और किफायतशारी के वातावरण का निपट अभाव है। इकोनामी नहीं हो रही है। राज्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ गयी है और वे मनमानी कर रहे हैं, जिसका कारण यह है कि मुख्य मंत्री जी को प्रशासन को तफसील से देखने का अवकाश नहीं मिलता, न ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी टेढ़ी भवें रहती हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उसकी शाखें राज्य कर्मचारियों के वर्गों में घुस गयी हैं जहां पहले उसका अस्तित्व नहीं था। श्रीमन्, आगे कहते हैं कि केवल यह कह देना काफी नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने जो स्कीमें बनायी हैं उनको ठीक तौर से चलाया नहीं जा रहा है, बल्कि इस बात की भी जांच करनी होगी कि कहां तक इकोनामी चलायी जा रही है और चलाई जानी चाहिए। जहां तक इस बात का खयाल किया जाता है कि जो स्कीमें चल रही हैं और जो उनके प्रशासन में खर्चा होता है उसमें कमी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तीसरा बिल आफ राइट एस्टीमेट कमेटी के बारे में आचार्य जी ने कहा कि एस्टीमेट कमेटी के बारे में भी लोगों को शिकायत है और इसका मुझे भी तजुर्बा है, क्योंकि मैं उसका दो साल तक चेयरमैन रह चुका हूं, और इस समय श्री नवलकिशोर जी उसके चेयरमैन हैं। उनकी जो शिकायत है कि कितनी दफा रिपोर्ट पेश की गयीं, हो सकता है कि वे गलत आधार पर हों, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसका हवाला नहीं दिया गया। मेरा खयाल है कि शायद उनका पढ़ना वे बेकार समझते हैं। श्रीमन्, अब आचार्य जी आगे क्या कहते हैं "अब एक आखरी बात मुझे यह कहनी है कि आजकल बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हो वह केवल ग्रुप की पार्टी बन गयी है।" आचार्य जी का कहना था कि कांग्रेस की जो सरकार है वह कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति और एक ग्रुप की सरकार है। लिहाजा उनको डर था कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी तानाशाही की तरफ चले जा रहे हैं। इसलिये उनके शासन को बदल दो, यह उन ९८ आदमियों का कहना था। आगे आचार्य जी कहते हैं कि यह इसलिये मैं कहता हूं, आज तक जैसा मैंने अनुभव किया, बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे बहुत सी कमेटियां नियुक्त की गयीं, उनमें खास तौर से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि मंत्री ग्रुप का आदमी ही उसमें हो और इसके द्वारा मंत्री ग्रुप को बल प्राप्त हो। इसी प्रकार की अन्य नियुक्तियां भी हो रही हैं।

श्रीमन्, उन्होंने कहा कि जब यहां कमेटियों का चुनाव होता है तो मंत्री ग्रुप से ही लोग लिये जाते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि अपनी कुर्सियों को मजबूत करने के लिये ही इन कमेटियों में तथा दूसरी जगह नामिनेशन्स वगैरह होते हैं। क्या श्रीमन्, इस प्रदेश के शासन की बागडोर जब माननीय गुप्ता जी ने सम्भाली थी, उस समय यह घोषणा नहीं की थी कि हम इकोनामी करेंगे और क्या यह आक्षेप नहीं लगाया था कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की सरकार में ऊपर से नीचे तक जातीयता भरी हुई है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज गुप्त जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन है? मंत्रिमंडल में कितने आदमी एक विशेष जाति के हैं, पुलिस का आई० जी० कौन है? मुख्य सचिव कौन है? इंडस्ट्री सेक्रेटरी कौन है? आज बहुत सी जगह पर एक विशेष जाति के ही लोग हैं। वह क्यों हैं? क्या यह सही नहीं है कि बहुत सी जगह से बुला बुला कर एक जाति विशेष के लोग लखनऊ और प्रदेश के भागों में इकट्ठा किये गये? केवल अपनी कुर्सियों को मजबूत करने के लिये।

आज फिर भारत सरकार ने कहा है कि रिटायरमेंट की एज ५८ वर्ष की होनी चाहिये मगर गुप्ता जी ने अपने यहां ५५ वर्ष कर दिया। किन्तु जो लोग उनके शुभचिन्तक हैं, पिछलग्ग

हैं वह ५५/५८ के बाद भी कुर्सियों पर बैठे हुये हैं। वे लोग जो क्वालीफाइड थे, साढ़े ५७ वर्ष पूरे होने पर ही हटा दिये गये, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी के पी० ए० अभी तक क्यों कुर्सी पर बने हुये हैं, इसका कोई जवाब है? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने एक्सटेन्शन दिया? अलीगढ़ में वहां के ए० डी० एम० को एक्सटेन्शन दिया गया, क्या वे टैक्निकल हैंड थे? बलरामपुर हास्पिटल में बहराइच से एक साहब को बुलाया गया, क्यों? एक-एक आफिसर को, तिकड़म करके, और-और जगह से हटा कर यहां लाया गया है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के शासन में यह इल्जाम था कि आई० जी० कायस्थ हैं, मुख्य सचिव कायस्थ हैं, फलां व्यक्ति कायस्थ हैं, आज क्या है? क्या मिस्टर माथुर को आई० जी० पंडित पन्त नहीं बना गये थे? उन पर यह इल्जाम था कि वह मिसकन्डक्ट की बात करते हैं, उन पर यह इल्जाम था कि जाति विशेष के लोग ही भर लिये जाते हैं, किन्तु वह सब चीजें आज जिस कदर हैं उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। सारा शासन जातीयता और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है न कि प्रदेश की उन्नति के लिये।

श्रीमन्, बनारसीदास जी ने विकल जी की बात के बारे में यह बात कहने से पहले यह सोच लिया होता कि विकल उन आदमियों में से हैं जो किसानों के नेता हैं। वह सही किसान हैं और मैं उनके निडर होकर अपने विचार व्यक्त करने के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह सदन ही नहीं, सारी जनता और पत्रकार आज विकल जी के विचारधारा की भूमि भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। आप अखबारों में रिपोर्टिंग देखें। विकलजी की ईमानदारी और सच्चाई पर मुझे गर्व है और वही वह आदमी हैं जिन्हों ने सदन में अपनी बात कही है, उसके लिये वे माफी नहीं मांगेंगे जिस तरह से ९८ सदस्यों ने हाई कमान्ड से माफी मांगी। यह सवाल पोलिटिकल मजबूरी का नहीं है, वह था पोलिटिकल प्रास्टीट्यूशन का। क्या यह सही नहीं है कि माननीय बनारसीदास जी तथा उनके नेता जब विल्डरनैस में थे, तो स्वतंत्र पार्टी से पत्र-व्यवहार नहीं हुआ? क्या कांग्रेस छोड़ने के लिये लोग तैयार नहीं थे? श्री एस० एल० शुक्ला, के० एम० मुंशी और जितनी राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई हैं दिल्ली में, मुझे स्वतंत्र पार्टी के एक नेता ने उस प्रकार कहा। क्या उस समय यह मंत्रणा नहीं होती थी कि कांग्रेस छोड़ दो? एक मुख्य मंत्री, चन्द्रभानु गुप्त की वजह से आप बच गये। वही एक ऐसा शख्स था जो कहता था कि कांग्रेस के बाहर मत जाओ। वरना आपके ९८ लोग बड़ी मंत्रणा कर रहे थे कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं रहा है, इसे छोड़ दो। और जब आप पावर में आ गये तो कांग्रेस की दुहाई देने लगे, हाई कमान्ड की दुहाई देने लगे, वह हाई कमान्ड जिसने डाक्टर सम्पूर्णानन्द को ९८ का आपका माफीनामा छिपाया, वह हाई कमान्ड जिसने डाक्टर सम्पूर्णानन्द के साथ विश्वासघात किया और उसने उस माफीनामे के पत्र को छिपाये रखा। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने बाजी लगाई कि अगर गुप्त जी इस प्रदेश के सभापति बन गये तो मैं मुख्य मंत्रिपद छोड़ दूंगा। क्यों? हमारे गुप्त जी उन ९८ आदमियों का नेतृत्व करते हैं जिन्होंने मुझमें अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि अगर गुप्तजी चुने जाते हैं तो मुझे मुख्य मंत्री नहीं रहना चाहिये। लेकिन वह माफीनामे का पत्र हाई कमान्ड के थैले में पड़ा रहा और जिसने उसे छिपाया उन्हें उसका रिवार्ड दिया गया। तो मुख्य मंत्रीजी को ये सब बातें मालूम हैं। चूंकि माननीय बनारसीदास जी आज सारी सरकार का संचालन कर रहे हैं, इसलिये यह जरूरी है कि अगर हम उन्हें राजी कर लें तो यह काला बिल लौट सकता है। क्या यह सरकार इसलिये जोतकर ला रही है कि सम्पूर्णानन्द जी ने यह कह दिया था कि हम १०० करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और लैण्ड पर भी हम टैक्स बढ़ावेंगे? विकलजी कहते हैं कि नहीं कहा। सम्पूर्णानन्द जी का खत मौजूद है। गुप्तजी और लालबहादुर शास्त्री को लिखा तब भी बनारसीदास जी दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। मैं बनारसीदास जी से ा करता हूं कि सम्पूर्णानन्द जी की फाइल उनके पास है, कोई पत्र-व्यवहार प्लानिंग कमीशन ा नेहरूजी को किया होगा, तो उसे पेश कर दें।

ी बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन?

पाध्यक्ष—क्या?

श्री बनारसीदास—मैंने जो कुछ कहा जिम्मेदारी के साथ कहा है। केबिनेट का निश्चय मैंने बतलाया १-१-६० का जिसमें १०० करोड़ का निश्चय किया गया। मैंने कहा कि अगस्त में ५ करोड़ कहा गया। सदन की वह प्रापर्टी है। मैंने वक्तव्य जिम्मेदारी के साथ दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय नेकराम जी शर्मा का एक एसर्शन है और माननीय बनारसीदास जी का दूसरा है। यह भी सत्य है कि सम्पूर्णानन्द जी का पत्र माननीय मुख्य मंत्री के पास आया है। उसे बनारसीदास जी यहां लाकर रख दें, तो मामला साफ हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—हमारे नियमों में है कि यदि किसी कागज पर बिल आधारित हो तो उसे टेबिल पर रखना चाहिये। १-१-६० का प्रस्ताव बनारसीदास जी ने बताया कि उनके मंत्रिमंडल ने पास किया है और दूसरा सम्पूर्णानन्द जी का उदाहरण दिया गया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चूंकि यह सब कागज आवश्यक हैं, आप बनारसीदास जी को हुक्म दें कि उन्हें वे हाउस के सामने पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष—सरकार अगर समझेगी कि उन पर बिल आधारित है तो जरूर पेश करेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सरकार के चाहने या समझने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—सरकार यह थोड़े ही कहती है कि उस पत्र पर या प्रस्ताव पर यह बिल आधारित है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—वह कहते हैं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने प्रस्ताव पास किया, मंत्रि-परिषद् ने किया। आप इस विवाद के निपटारे के लिये प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक वे कागज सदन में पेश कराइये। इसमें सरकार की व्यक्तिगत राय का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर सरकार समझती है कि यह बिल उन पर आधारित नहीं है तो उसे पेश करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री कल्पनार्थसिंह—हर सदस्य का अधिकार है कि बिल से संबंधित जो भी कागजात हों वे उनको सदन में मांग कर सकते हैं। इसका प्राविधान हमारे नियमों में है। जिस पत्र का जिक्र माननीय विकल जी ने और नेकराम जी ने किया और उसे माननीय बनारसी दास जी ने तसलीम किया, उसे यहां पेश कराना चाहिये। यह सरकार की मर्जी का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये, मैं समझ गया आपकी बात।

श्री कल्पनार्थसिंह—आप मेरे बिना कहे ही मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम १३१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों जिन पर विधेयक आधारित हों और जो गोपनीय न हों, सदन को मेज पर रख दी जायं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि सदन में बार बार सरकार की ओर से इस बात की चर्चा आई है, जिन्होंने पायलट किया है इस विधेयक को उनकी, कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् का हुआ था और उस मंत्रिपरिषद् के प्रस्ताव के ऊपर ही यह सरकार विधेयक ला रही है, टैक्स लगाने जा रही है। मेरा यह निश्चित मत है कि ये कागजात इस विधेयक से संबंध रखते हैं और माननीय बनारसीदास जी ने जिस पत्र और मंत्रिपरिषद् के प्रस्ताव की चर्चा की है, उनको पेश करने के लिये इस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जानी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कागज दाखिल करने के संबंधित जो यह विवाद है, वह मेरी समझ में असंगत है। मेरा यह मत है कि जो कागजात मांगे जा रहे हैं, उन पर यह बिल आधारित नहीं है। अलावा इसके जो मंत्रि परिषद् के निर्णय होते हैं वे गोपनीय होते हैं और रूल १३१ खुद कहता है कि गोपनीय कागजात पेश नहीं किये जा सकते। इसलिये यह विवाद बिला वजह उठाया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—गोपनीय थे तो आपने ऐसा क्यों कहा था?

श्री यादवेन्द्र दत्त—यह सही है कि कैबिनेट के निर्णय गोपनीय होते हैं लेकिन सरकारी पक्ष से बराबर यह कहा गया कि हम जो लैण्ड टैक्स बिल ला रहे हैं वह बाबू सम्पूर्णानन्द जी के कमिटमेंट, जो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को किये, उनके बिना पर ला रहे हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी का जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री के नाम आया है वह भी इसी बारे में होगा, वह गोपनीय कैसे है? वह कोई निजी प्रेम पत्र तो है नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय नरसिंह नारायण जी ने कैबिनेट के डेसीजन्स के बारे में कहा था जो हमेशा गोपनीय होते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अभी मेरा नाम लिया गया। जब जिम्मेदार मंत्री लोग उसकी बार बार इस सदन में चर्चा करते हैं तो फिर किस प्रकार से वह गोपनीय रह गया और अगर वह गोपनीय नहीं रह गया तो फिर उसको सदन के सामने आना चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय उपनेता सदन ने कहा कि वे कागजात गोपनीय हैं लेकिन माननीय बनारसी दास ने उन डाक्यूमेंट्स का हवाला दिया और उस प्रस्ताव का हवाला देते हुये कहा कि उसके ऊपर वर्तमान कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, इन दोनों बातों में विरोधाभास है। अब अगर माननीय उपनेता सदन कहते हैं कि वे कागजात गोपनीय हैं और माननीय बनारसीदास ने क्योंकि सदन में उनका हवाला दिया है इसलिये मैं श्री बनारसीदास के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं अन्यथा अगर कोई डाक्यूमेंट है तो वह हमें मिलना चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब यह प्रश्न उठ गया है। आज कई दिनों से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट की चर्चा होती रही है जिनके आधार पर कहा जाता है कि इस विधेयक को लाया जा रहा है, जब कि पहले कहा गया था कि ४० साल तक कोई मालगुजारी नहीं बढ़ाई जायगी। इसको तय करने वाली कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे नागनाथ हों चाहे साप नाथ, अगर किसी ने भी किसानों पर कर बढ़ाने की बात तय की है तो उसने किसानों के साथ गद्दारी की है।

श्री उपाध्यक्ष—आप प्वाइंट आफ आर्डर पर इस प्रकार से भाषण नहीं दे सकते, यह बड़ी ज्यादती है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—किसकी ज्यादती है?

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, जो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, उनको तो आप बोल लेने ते हैं लेकिन मैं बोलना चाहता हूं तो आप इस तरह की बात कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जो रूल पांडेय जी ने पढ़ कर सुनाया और जिस पर उनकी आपत्ति ह, वह रूल बिलकुल ठीक है। उसमें साफ साफ यह बात ह कि जो बिल जिन कागजात पर आधारित हो, वह डाकुमेंट्स जरूर दाखिल होने चाहिये, लेकिन माल मंत्री जी ने जिन्होंन यह विधेयक पेश किया है वे स्वयं खड़े होकर बतला चुके हैं कि न तो बाबू सम्पूर्णानन्द क पत्र पर और न तो कैबिनेट के पुराने डिसीजन पर ही, यह बिल आधारित है। इसलिये उन कागजात को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने कैबिनेट की मिनिट्स को गोपनीय कहा था, बाबू सम्पूर्णानन्द के पत्र के बारे में उन्होंन नहीं कहा था कि वह गोपनीय है। यह तर्क तो उधर से आता है।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कहा है, कि कागजात पर यह बिल आधारित नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय राजस्व मंत्री से पूछ लीजिये क्योंकि आप साफ साफ कहें, दोनों तरफ रहे ह।

श्री उपाध्यक्ष—श्री दीपनारायणसिंह जी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, डाक्टर सम्पूर्णानन्द के पत्र या पुराने कैबिनेट के किसी डिसीजन पर यह बिल आधारित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह—श्रीमन्, मैंने अभी जो प्रीविलेज का मोशन किया है, एक घटना सदन के सामने घटी है, तो मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि आप मेरे लिखित नोटिस देने पर इस पर बहस शुरू करेंगे या ऐसे ही इस पर बहस शुरू करेंगे। क्योंकि सदन के सामने यह घटना घटी है।

श्री उपाध्यक्ष—लिख कर आप भेज दीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—उनकी जिम्मेदारी है कि वे किसानों से साफ-साफ कहें...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, आप मेरी बिना आज्ञा के तीन-चार बार उठ-उठ कर चिल्ला रहे हैं, यह आपके लिये उचित नहीं है। यह अग्राह्य है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मुझे इस पर आपत्ति है, "आप चिल्ला रहे हैं" इन शब्दों का प्रयोग आप न करें। इन्हें आप वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष—वापस लेने की जरूरत नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आप जोर से बोल रहे हैं और उसके लिये मैं कहूं कि आप "चिल्ला रहे हैं" तो क्या यह उचित होगा ?

श्री दीपनारायणसिंह—जिस मंत्रि मंडल ने किसानों के साथ गद्दारी करने का बीड़ा उठाया है, उनकी हिम्मत हो तो वे किसानों के सामने जाकर इस बात को कहें....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं निवेदन कर रहा था तो माननीय बनारसीदास जी ने आपके द्वारा मुझसे मांग की है कि उनके पास कोई पत्र हो या कोई जानकारी हो तो वे उसे स्वयं रखें। श्रीमन्, मेरी जानकारी है और यह निश्चित जानकारी है कि जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने प्लानिंग कमीशन से १०० करोड़ रुपये जुटाने की

बात कही थी तो उन्होंने यह भी कहा था कि यह सही है कि हमें रुपये इकट्ठा करने पड़ेंगे और उसके लिये सोर्स ढूंढने पड़ेंगे लेकिन लगान बढ़े या न बढ़े इस पर हमें विचार करना होगा, इतनी बात थी। और अगर आज डाक्टर सम्पूर्णानन्द इस प्रदेश के मुख्य मंत्री होते तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि वे कभी भी किसानों पर लगान या टैक्स नहीं बढ़ाते। यह तो यही सरकार है जो किसानों के साथ गद्दारी करती है। माननीय मुख्य मंत्री का कभी खेती करने से कोई वास्ता नहीं रहा, माननीय बनारसी दास का कभी खेती करने से कोई वास्ता नहीं रहा है ठाकुर साहब की तो विशेष बात है, उन की खेती है लेकिन मैं उनकी बात कहता हूं जो आज शासन चला रहे हैं, शासन ठाकुर साहब तो नहीं चला रहे हैं, वह तो नवलकिशोर जी चला रहे हैं, उन का खेती से कोई संबंध नहीं है, कभी दुकान से संबंध रहा हो तो रहा हो, मैं नहीं जानता। इसी तरह से श्री गोविन्दसहाय जी का खेती से कोई संबंध नहीं, माननीय श्रद्धा जी का खेती से कोई संबंध नहीं, माननीय तारा अग्रवाल का खेती से कोई संबंध नहीं। इस तरह से यहां एक विशेष जाति के लोग इस सरकार को चला रहे हैं, ठाकुर साहब नहीं चला रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री अगर हुकूमत को चलाते होते तो वह मुख्य मंत्री को बताते कि हमने किसानों को वचन दिया था कि ४० साल तक लगान नहीं बढ़ायेंगे लेकिन वह तो मजबूर हो कर उदन में कहना पड़ता है। कि हमारी तो हलत ऐसी है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द श्याम वर्ण के थे उन को प्रणाम करते थे और अब हमारे गुप्त जी भी श्याम वर्ण के हैं उन को भी हम प्रणाम करते हैं। यह इसी सदन में यहां की कार्यवाही में लिखा गया था और यह ठाकुर साहब वह आदमी हैं कि जिन्होंने इस प्रदेश में आजादी की लड़ाई लड़ी और जो रफी अहमद किदवई साहब के साथ कार्य करने का गौरव रखते हैं, वह आज लगान बढ़ाने की बात सोचते हैं। लेकिन जिस तरह से वह आज मुख्य मंत्री जी के पास बैठते हैं और हर वक्त साथ रहते हैं। घर की तो मैं नहीं जानता वहां रहते हों या न रहते हों, अगर उन्होंने सच्ची सलाह दी होती जैसे कि वह डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को देते थे तो यह बिल यहां न आता। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अगर कोई ईमानदार और सच्चा व्यक्ति और सच्चा किसानों के हित को समझने वाला कोई इन में है तो वह चौधरी चरणसिंह, हैं, वह आज सदन के अन्दर आते तक नहीं जब कि यह बिल चल रहा है। उन्होंने लिखा है कि अगर किसानों पर लगान बढ़ाया गया तो सरकार झूठी साबित होगी और जिस सरकार से किसान का विश्वास या बीच आफ ट्रस्ट हो गया तो वह सरकार टिक नहीं सकती। आज चौधरी साहब महसूस करते हैं कि यह किसानों के साथ वादे खिलाफी हो रही है और इस कर को लगा कर हम किसानों को मुंह नहीं दिखा सकते। लेकिन ठाकुर साहब की वह बात नहीं है, वह मजबूर हैं, वह वृद्ध हैं, विचारक है, वह किसी से लड़ना पसन्द नहीं करते चाहे वह पंत जी हों या वह डाक्टर सम्पूर्णानन्द हों।

श्री चन्द्रजीत जी कह रहे हैं कि वह तो हुकुम मान सिंह हैं लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन वह यही कहते हैं कि कोई भी मुख्य मंत्री हो हमें तो हुक्म मानना है। जिस समय ठाकुर साहब ने जमींदारी का कानून पेश किया उन्होंने कहा था कि लगान ४० साल तक नहीं बढ़ेगा। जहां तक इस की बात है मैं ने भी लगान बन्दी आन्दोलन किया था, आगरे में रावत जी मौजूद हैं हमने भी लाठी और डंडे खाये थे। कांग्रेस का दावा था कि किसान का लगान नहीं बढ़ेगा और कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट और जितने भी निर्णय थे, प्लान थे बम्बई प्लान वगैरह सब का निर्णय था कि किसान पर लगान नहीं बढ़ना चाहिये। किसान गरीब है और अलाभकर जोत पर उसका कार्यकरता है। आज उस का नक्शा सही रूप से अगर किसी ने खींचा है तो यह केवल माननीय विकल जी ने खींचा है जो स्वयं एक सच्चे और ईमानदार किसान हैं, हो सकता है कि वह नये कांग्रेसी हों पुराने न हों, ४२ के आन्दोलन के बाद के हों या पहले के हों लेकिन विकल जी ईमानदार, साहसी और मौके पर लड़ने वाले आदमी हैं, वह कांग्रेसी नहीं है जो महज हां में हां मिलायें और जो कांग्रेस में रहकर केवल मंत्री जी के कानों को भरते हैं और दरबार लगाते हैं। जो जेल गये हैं वह सही मानों में कांग्रेसी हैं यह बात ठीक है।

[श्री नेकराम शर्मा]

मैं नाम नहीं ले सकता, जो देश की आजादी के लिये नहीं लड़े वे इस सरकार में अधिक हैं और दरबारगीरी कर कर सरकार को सही बात नहीं जानने देते।

आज सभी विचारक कहते हैं कि गुप्ता जी बड़ी गलती कर रहे हैं। तीन करोड़ के लिये गुनाह बेलज्जत। इसे वापस ही ले लें। प्रमुख नौजवान जेल जाने वाले कैलाशप्रकाश जी, कांग्रेस के प्रेसीडेंट को छोड़ दीजिये, डाक्टर श्री प्रकाश सब की राय है कि केवल तीन करोड़ के लिये यह जिद है। बनारसी दास जी की बातों से साफ स्पष्ट है कि यह जीतकर विधेयक वापस होगा और जरूर होगा। अब केवल जिद की बात है। नेहरू जी कह दें, ए० आई०सी० सी० की मीटिंग हो रही है वह कह दें,। तो यह रास्ता ढूंढ रहे हैं। गुप्ता जी तो समाजवादी हैं। गुप्ता जी का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। हां, केवल अपने ग्रुप को कायम रखने के लिये वह सब कुछ कर सकते हैं। हारों को दुबारा जिता सकते हैं। यहां तक कि उनको फिर कौंसिल में ला सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं। यह गुण है गुप्ता जी का जिसको चाहे राजा बना दें और जिस को चाहें रंक बना दें, मिटा दें, तभी लीडरशिप कायम है। गुप्ता जी को बनारसीदास समझा दें और जो उनके नजदीक हों वे समझा दें। बहुमत में जो बैठे हैं उनसे भी जब किसी से बातचीत होती है तो वे बधाई देते हैं, सदन के बाहर बधाई देते हैं और कहते हैं बाबा इस बिल को वापस कराओ। हम पर तो व्हिप है। हम किसानों को कैसे मुंह दिखायेंगे। गंगा और जमुना को पानी मुफ्त मिलेगा, नेता और हम लोग कहा करते थे, कि हमारी सरकार आबपाशी नहीं लगायेगी, लगान नहीं बढ़ायेगी आजादी के बाद। जमींदार कहते थे कि यह सरकार आज हमारी जमींदारी ले रही है, कल तुम्हारे खेत ले लेगी।

इस बिल में कहा गया है कि किसान एक तरह के हो जायेंगे एक तरह की टेनेंसी की वह व्यवस्था आप कर रहे हैं, किसानों को एक तरह की करने की धारा इस विधेयक में कहां है, भूमिधर, सीरदार, आसामी इस प्रदेश में आज भी मौजूद हैं और समाजवाद की बात कही जाती है और नारा लगाया जाता है कि तीन तरह के किसान सरकार ने पैदा कर दिये और अब यह बिल लाई है कि एक तरह के किसान हो जायेंगे। इससे फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा, मुकदमेबाजी होगी। अगर बिल की धारा १० और ११ को देखा जाय तो उनके मुताबिक किसान को दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हमारा इतना रिटर्न है, नकशा पेश करना पड़ेगा, अगर नहीं देता है अर्जी तो असेसिंग अथारिटी खुद असेस कर सकती है। उसकी अपील भी नहीं हो सकती। कि सिविल कोर्ट में भी वह नहीं जा सकता। केवल तीन महीने के अन्दर असेस करने के बाद गवर्नमेंट तो अपील कर सकती है लेकिन किसान को अपील का एक माह दिया है, बिल में कितना लिटीगेशन बढ़ेगा, ठाकुर साहब इसको सोचें। सरकार सोचती है शायद इस तरह से लिटीगेशन के डर से किसान सोचेगा कि ५० रुपया बढ़ा है लैन्ड टैक्स का, उसे दे दो चुपचाप, तो बड़ी खतरनाक ये धारायें हैं इस बिल की। किसानों की परेशानियां इन धाराओं के अनुसार बढ़ेंगी।

प्रोफेशन मिसकंडक्ट की बात गयी उधर से। आज जनसंघ को गालियां दे रहे हैं। कहा जाता है कि बड़ी गलत बात है। देश खतरे में है। सम्पूर्णानन्द जी का मंत्रिमंडल समाप्त किया गया तो गुप्ता मिनिस्ट्री ने सोशलिस्ट पार्टी के जुरमाने माफ किये और सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के केसेज को वापस कराया, जेल से छुड़ाया। मैं गांधी के सामने खड़ा हुआ हूं। ईमानदारी की बात है उस समय कांग्रेस की तरफ से अपोजीशन को शह दी गयी लेकिन आज बहुत बुरा लग रहा है और कहा जाता है कि सोशलिस्ट ऊधम मचाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी बहुत क्रांतिकारी पार्टी है। लेकिन आपने सम्पूर्णानन्द जी को खत्म करने के लिये सोशलिस्ट सत्याग्रह में सजा पाये हुये लोगों को एमिनिस्टी दी। अपोजीशन में बुलेटिन्स बंटवाये कि इस पर वह बोलें। सम्पूर्णानन्द जी कांग्रेस के नहीं थे? बड़े रिएक्शनरी थे? तब आपका यह व्यवहार था और आज सत्याग्रह को बुरा कहते हैं। आप कांग्रेस चलाना चाहते हैं और कांग्रेस की दुहाई

दी जाती है। हम लोग नेहरू और देश के साथ हैं और देश के सामने जो आंख उठायेगा उसका मुकाबला करेंगे लेकिन गुप्ता सम्राज्य का भी मुकाबला करेंगे और जब तक गुप्त साम्राज्य समाप्त नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे, लड़ेंगे। मैं कांग्रेसी हूं, आजादी की लड़ाई सन् १९३०-३१ से लड़ रहा हूं और जेल गये नेताओं को आज भी मानता हूं लेकिन इस बिल का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि यह कांग्रेस के लिये घातक होगा।

श्रीमन्, यह लैन्ड टैक्स विधेयक जो है और जो टैक्स किसान पर लगने वाला है, वह कंस की भांति इस गुप्ता साम्राज्य को खत्म करने के लिये भगवान कृष्ण के रूप में आया है। यह जोतकर विधेयक नहीं है, यह किसान भगवान विधेयक है जो कंसरूपी गुप्ता साम्राज्य को शीघ्र समाप्त कर देगा।

जहां तक विकल जी का संबंध है वह इस रावण नगरी में विभीषण बनकर रावण साम्राज्य की सच्ची बात बता रहा है। रावण भी तो यही करता था जो गुप्ता राज्य कर रहा है। मस्त रहता था और अन्याय करता था लेकिन विभीषण ने किसी बात की परवाह नहीं की और सही राय रावण को दी, आज उसी भांति विकल भी सही राय दे रहा है। गुप्ता जी मानने को तयार नहीं, इस विभीषण विकल की ईमानदारी से इस सदन के सारे सदस्य, बनारसीदास जी भी कंविन्स्ड हैं और यही बात है कि आज वे विकल जी की बातों का उत्तर नहीं दे पाये। उन्होंने कहा कि नेहरू जी कह दें, ए०आई० सी० सी० कह दे, हम वापस ले लेंगे। ३०-४० सदस्य आज महावीर त्यागी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हैं और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि टोटल विदड्राल आफ दि बिल हम चाहते हैं। नेहरू जी ने भी इस बात की महत्ता को माना। अगर वह इसकी महता न समझते होते तो प्लानिंग कमीशन के सुपुर्द करके विलायत न गये होते। लेकिन बनारसीदास जी आज गुप्ता जी को नहीं समझाते, राममूर्ति जी तो सीधे साधे सच्चे आदमी हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। उनकी राय दब जाती है, राय चलती है बनारसीदास जी की। यही बनारसीदास जी गुप्ता जी को बतला देते हैं कि हम अपोजीशन को ठीक कर लेंगे, इंडिपेंडेंट्स को तोड़ लेंगे। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, बनारसीदास जी से प्रार्थना करूंगा कि गुप्ता जी तो बुजुर्ग हैं, हुकुमसिंह जी बुजुर्ग हैं, दास जी ने नौवजवानों की बात कही थी, हम और आप सब एक उम्र के हैं इस पाप का फल आपको और हमको भोगना पड़ेगा, गुप्ता जी और ठाकुर साहब तो दो-चार साल में चले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—दोनों को मारो मत, चाहे और जो करो.....

(हंसी)

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं राजनीति से जाने की बात कह रहा था, मैं कहता हूं कि ये दोनों चिरंजीव रहे, भगवान इनको बहुत दिन हमारा पथ-प्रदर्शन करने के लिये रखे लेकिन ठाकुर साहब ने खुद ही इच्छा प्रकट की थी कि यह ५ साल काट लूं, अब नहीं चाहिये मुझ यह पार्लियामेंट, यह विधान सभा, तो मैंने कहा कि अच्छा होता आप स्पीकर साहब हो गये होते, तो बोले न भाई माफ करो। इसलिये जाने की बात कह रहा था। हमारे भाई महावीरप्रसाद जी श्रीवास्तव हैं, आप हैं, नेहरू जी ने मालम होता है कि योजना बनाने वाले हैं। आप सब रिटायर्ड होकर कांग्रेस का काम संभालेंगे और जो लोग सन् १९४८ के कांग्रेसी हैं जो जी हुजूरी करते हैं, गुप्ता जी को सही बातें नहीं करने देते हैं, किसानों को सही तसवीर उनके सामने नहीं रखते उनका काम भी तो कोई देखेगा। श्रीमन्, सम्पूर्णानन्द जी को ले डूबे तीन आदमी, उनके नाम कहिये तो ले दूं और गुप्ता जी के साथ भी वावेल्स, रिबनट्राप और हैस के से ३ आदमी हैं जो शीघ्र गुप्ता जी को ले डूबेंगे। चौधरी साहब अलग हैं बनारसीदास जी कहिये तो आपके घर पर चलूं, कहिये आपके कमरे में चलूं, कृपा करके इतिहास को बदलिये, अगर यह काला कानून पास हो गया तो बनारसीदास जी आपको आगे आने वाली सन्तान, इस देश का किसान यह आपको कभी अच्छे शब्दों में याद नहीं करेगा। आप भावी चीफ मिनिस्टर हैं, आपको यह प्रदेश

[श्री नेकराम शर्मा]

माफ नहीं करेगा। इसलिये आपको अगर शासन चलाना है तो ठाकुर साहब की बात न मानें और गुप्ता जी कहें कि जब कांग्रेस नेताओं और सदस्यों का विरोध है, लेजिस्लेटर्स का विरोध है, चरण-सिंह जी का विरोध है, त्रिपाठी जी का विरोध है, श्री प्रकाश जी का विरोध है, डी० सी० सी० का विरोध है और पी० सी० सी० जिसका आप दम भरते थे, उसके सामने ले जाने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो इसे वापस ले लें। इसी में आपकी खैर है, आपने कहा कि जनमत के लिये जाने की जरूरत नहीं है। मैं बिलकुल सहमत हूं कि न जनमत के लिये भेजने की कोई जरूरत है और न प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है। जरूरत है कि हम और आप एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस बिल को तुरन्त वापस ले लिया जाय।

राष्ट्रपति राधाकृष्णन् जी ने अपील की है कि देश संकट में है। उन्होंने कहा—

"The president today called on the nation to stand united so long as the Chinese conflict exists and asked all parties to subordinate their conflicts to the national obligation."

उनका कहना है कि देश संकट में है। चीन १५० मील भीतर घुस आया है। यह बात यू० के० के गृह (कारागार) मंत्री ने, यू० एन० ओ० में भी कही। इस वक्त सारी विरोधी पार्टियों को आपसी मतभेद भूल कर एक होकर चीनियों का मुकाबला करना चाहिये। यह हमारे प्रेसीडेंट की अपील है और आप ऐसे कंट्रोवर्शल बिल लायें और अपने जीजा जी (किसान) को मारने को सोचें, अगर जीजा जी (किसान) न रहेंगे तो न प्रदर्शन होंगे और न कोई और ही झगड़ा होगा। बड़ा भयंकर मामला है। इविन डाक्टर जेड० ए० अहमद ने कहा कि चाहे चीन हो या रूस हो, जो हम पर हमला करेगा हम उसे बरदाश्त नहीं कर सकते। तो कम्युनिस्टों से भी कोई डर नहीं है। जनसंघ वाले तो हमेशा तैयार रहते हैं दुश्मनों से लड़ने को। पी० एस० पी०, स्वतंत्र पार्टी, ये सब देश की रक्षा के लिये तैयार हैं। और प्रेसीडेंट की अपील है। अगर हम प्रेसीडेंट की अपील नहीं मानते तो हम देश के नागरिक नहीं हैं। हमारा प्रेसीडेंट हमसे कोई मांग करे और हम लोग तैयार न हों? इसके लिये आप ऐटमासफियर क्रियेट करिये और इस बिल को वापस लीजिये जिससे दुश्मन से लड़ सकें।

श्री बनारसीदास—कमरे में मन की बात बता दीजियेगा।

श्री नेकराम शर्मा—बनारसी दास जी, प्लीज। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, राजा साहब ने अपनी सारी प्रापर्टी आपको देने का वायदा किया है। मैं तो बहुत गरीब किसान का लड़का हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब लिख दिया रानी, महारानी के नाम, अब इनके पास क्या है?

कुंवर श्रीपालसिंह—बिलकुल गलत बात कही जा रही है। अभी मेरे पास इतनी प्रापर्टी है जितनी साल भर में इनके पिछलग्गू चोरबाजारी से कमाते हैं। मैं दिवालिया नहीं हूं। मैंने जो कहा है मैं उस पर अडिग हूं। मंत्री जी जब चैलेंज दिया करें तो जरा मूंछ वाले को समझ कर चैलेंज दिया करें।

श्री नेकराम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, आप भी रफी साहब के बड़े समर्थक रहे हैं और आजादी की लड़ाई में आपने भाग लिया है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि जब प्रेसीडेंट की यह मांग है कि इस संकट के काल में सारी पार्टियां एक हो जायं और आपसी मतभेद दूर हो जायं तो यह अपूर्व मौका है कि आप बनारसीदास जी और गुप्ता जी को समझायें। हां, अगर तीन करोड़ रुपया हम न दे पाये, आपको उसके लिये रिर्सोसेज न बता पायें तो आप यह टैक्स लगा दीजिये, मैं विरोध नहीं करूंगा। जहां तक रिर्सोसेज की बात है, देशी शराब का आक्शन होता है। यहां पर मंत्री डाक्टर सीताराम जी बैठे हुये हैं, वे बतायें कि विलायती शराब का आक्शन क्यों नहीं होता है। इससे लाखों रुपये की आमदनी हो सकती है। डाक्टर सीताराम जी बतायें

कि इससे कितने करोड़ रुपये की इनकम हो सकती है अगर विलायती शराब का आक्शन किया जाय। अंग्रेज लोग विलायती शराब के परमिट देते थे और एक्साइज के जो आफिसर्स थे उनके द्वारा शराब की बोतलें चली आती थीं, इसलिये वे आक्शन नहीं करते थे। मैं माननीय डाक्टर सीताराम जी से निवेदन करूंगा कि विलायती शराब का आक्शन शुरू कर दें। इससे लाखों रुपयों की आमदनी होगी।

दूसरे इकोनामी के बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स कह चुके हैं कि वे ५ करोड़ की इकोनामी कर सकते हैं। श्रीमन्, आडिट रिपोर्ट देखें कि कितने करोड़ रुपये यह सरकार खर्च नहीं कर पाई। २९ करोड़ रुपया मान लीजिये। गवर्नमेंट ने सप्लीमेंटरी में हाउस से रुपया ले लिया लेकिन उसके पास कोई स्कीम तैयार नहीं थी और बहुत सा रुपया ब्लाक पड़ा रहा और श्रीमन्, इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी का उदाहरण ये एकोस्टिक्स हैं जो दो वर्ष से इस सदन में लगे हुये हैं। इनको सरकार अपने सामने रोज देखती है, हम देखते हैं, आप देखते हैं और सदन के माननीय सदस्य देखते हैं, लाखों, करोड़ों रुपया वेस्ट हो गया है, उधर किसान पर कर बढ़ाने जा रहे हैं।

श्री बनारसीदास—शायद आपकी गलत राय थी।

श्री नेकराम शर्मा—जी हां, हमारी गलत राय थी। हमारी गलतियों को ही तो आप ठीक कर रहे हैं क्योंकि हम सम्पूर्णानन्द जी के आदमी थे। आपने हमारी बड़ी-बड़ी गलतियों को ठीक किया है। जैसे ही माननीय बनारसीदास जी पावर में आये तो सम्पूर्णानन्द जी ने एक जेल रिफार्म्स कमेटी बनाई थी उसको आपने समाप्त कर दिया। एक हायर सेकेंडरी एजूकेशन रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था उसको आपने समाप्त कर दिया और इसके अलावा सम्पूर्णानन्द जी ने रिटायरमेंट एज ५५ से ५८ कर दी थी, उसको समाप्त कर दिया। माननीय गुप्त जी ने यह कहा था कि केवल टैक्निकल आदमियों को ही ऐक्सटेंशन मिलेगा। आप पता लगा लीजिये कि आज किन आदमियों को ऐक्सटेंशन मिलता है। गुप्त जी के पी० ए० को ऐक्शटेंशन मिला है क्या वे टेक्निकल हैंड हैं? इस तरह से बहुत से आदमियों को मिला है।

श्रीमन्, मेरी एक खबर है। अगर गलत हो तो उसका सुधार कर दिया जाय। एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर होने वाले थे उस पर चार्ज लगाया गया कि उसने किसी से एक अलसेसियन डॉग ले लिया था। श्रीमन्, अलसेशियन डॉग तो लिया ही जाता है, कोई मोल थोड़े ही लिया जाता है। लेकिन बात असल में यह थी कि उस अफसर के नीचे का एक विशेष जाति का व्यक्ति था, उसको ऊपर लाने के लिये ऐसा किया गया। इस राज्य में यह अन्याय रोजमर्रा होता है। रोज ट्रांसफर्स लोगों के होते हैं। हरदोई के एक डाक्टर और डाक्टरनी के २-३ महीने में कई दफा ट्रांसफर हुए। सम्पूर्णानन्द जी के तथाकथित रिश्तेदारों के तो रोज ही ट्रांसफर हुआ करते हैं। गो वे उनके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन रिश्तेदार मान लिये गये हैं। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऐक्ट को अमेंड किया। रवीन्द्र रंग शाला का काम क्योंकि उन्होंने शुरू किया था इसलिये उसको समाप्त किया।

सबसे बड़ा जघन्य पाप जो इन्होंने किया है, वह पोलिटिकल सफरर्स की पेंशन को रोकने का है, जो पोलिटिकल सफरर्स हैं, जो जेल गये थे आज उनको पेंशन नहीं मिल सकती है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने यह फैसला किया था कि जो आदमी जेल गया है उसको जरूर पेंशन देंगे। आपकी कैबिनेट ने उसको रद्द कर दिया। शर्म की बात है क्योंकि कैबिनेट में वह लोग आ गये हैं जिन्हें आजादी की लड़ाई से वास्ता नहीं और जिन पर हाउस में टीका टिप्पणी हुई। बड़े बड़े कम्युनल लोग भर लिए हैं, कुछ कम्युनल लोगों को तो लिया ही, कुछ रिश्तेदारों को लिया। ऐसे लोगों को आपने लिया क्यों? अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए। पचास भर लिए। वीरसेन जी को इस लिए ले लिया कि खिलाफ पार्टी के थे, साथ हो जायंगे। बहुगुणा जी वगैरह उनके खिलाफ थे, गुप्ता जी के बड़े भारी दुश्मन थे, उनको भी बुला लिया। लेकिन बनारसीदास जी, यह लोग किसी वक्त भी आप का साथ छोड़ देंगे।

[श्री नेकराम शर्मा]]

विरोधी दलों ने टैक्सों का विरोध किया लेकिन किसी पर आन्दोलन नहीं छिड़ा। इस बिल पर आन्दोलन हो रहा है और बहुत से लोग जेल जानेको तैयार हैं। किसान वोटर ८० फीसदी रहता है। आप कहेंगे कि छोटे-छोटे किसानों को छोड़ दिया है, आठ एकड़ तक। लेकिन हर गांव में चार पांच बड़े किसान जो होंगे, उन लोगों को जिनको आप माफ करने जा रहे हैं, उनको वह भड़का देंगे। जब किसान भड़क जायगा तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, १९६७ में आप नहीं आयेंगे, यह बात सही है। हम चाहते हैं कि नेहरू जी के हाथ मजबूत हों। सवा सोलह फीसदी आबादी बढ़ गयी। किसानों का ७४ फीसदी लैंड पर जो प्रेशर था वह आपने इंडस्ट्रीज खोल कर कम नहीं किया। दो प्लान आपने चलाये, दोनों प्लान में स्टैगनेसी है। सरकारी रिपोर्टें कहती हैं। टैक्स इस लिए लाते हैं कि पचास मिनिस्टरों की तनख्वाह बढ़ाएं, ब्युरोक्रैसी को मजबूत करें जिस ब्युरोक्रैसी की वजह से आपके कहने के अनुसार, डाक्टर सम्पूर्णानन्द को गद्दी छोड़नी पड़ी, इस ब्युरोक्रैसी को मजबूत करने के लिए, आप भी जितना रुपया इकट्ठा होगा, उस पर खर्च करेंगे। पुलिस पर खर्च करेंगे, पुलिस बढ़ायेंगे तो ब्युरोक्रैसी आपको भी समाप्त कर देगी। आज नौकरशाही में बड़ी बुरी भावना है सरकार के प्रति। एक को आप बढ़ाते हैं, दस खिलाफ। बनारसीदास जी के पास रोज लोग पहुंचते हैं। लोग कहते हैं कि बनारसीदास जी के पास पहुंच गये हैं तो काम हो ही जायगा। वह भी मजबूर हैं। लोग पहुंचते हैं तो टेलीफोन करना ही पड़ता है।

मैं बनारसी दास जी से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो मैंगनाकार्टा शुरु किया था उस पर खरे उतरिये। अगर आप अपनी ही कसौटी पर खरे न उतरे तो प्रदेश, प्रदेश के किसान और सारे माननीय सदस्य और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अभी किसान को आशा है, आपत्ति नहीं है। वह सोचता है कि बनारसीदास जी इस बिल को वापस करवा देंगे। यह जोत कर उन पर नेहरू जी नहीं लगने देंगे, इसलिए चुप बैठे हैं। आज जनसंघ के जो वालंटियर्स ग्रामवीर गिरफ्तार होते हैं उनको आप कहते हैं कि शहर से आते हैं। मैं आपसे यकीनन कहता हूं, मुझे यकीन नहीं था कि कोई जेल जाने की बात कहेगा। सिकन्दराराऊ तहसील में ८० आदमियों ने अपने नाम तथा प्रधानों ने भी लिखा दिये कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं। यह हालत आज है और जिस वक्त यह कर वसूल होगा उस वक्त क्या हालत होगी, आप नहीं सोचते।

श्रीमन्, ठाकुर साहब बैठे हैं, ठाकुर साहब, आपने १९३९ में बड़े-बड़े वादे किये थे—हम किसान का बैल नहीं कुर्क करेंगे, हम किसान का हल नहीं कुर्क करेंगे—आपही थे रेवेन्यू मिनिस्टर, किसानों के बड़े हमदर्द थे, कहते थे किसान मालिक है और किसान राजा है और कानून बना टेनेंसी ऐक्ट का, जो पुराने माननीय सदस्य हैं उनको मालूम होगा कि किसान का बैल, किसान का खेत और जो किसान के खेती करने के इम्प्लीमेंट्स वगैरह थे, यह आक्शन नहीं हो सकते थे, किसान की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। यह आजादी की लड़ाई के बाद हमारे बुजुर्ग ठाकुर हुकुम सिंह ....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय राजस्व मंत्री और सूचना मन्त्री जी ३६ हो गए हैं, तो क्या बिल पर भी ३६ हैं या सिर्फ बैठने में ही?

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, १९३९ के बिल पर भाषण करने वालों में आपका भी नाम है। आप भी बोले थे। जमींदारी एबालीशन की रिपोर्ट रखी हुई है। आप भी उसमें हैं, ठाकुर साहब भी हैं, रावत जी भी हैं, माननीय रामकुमार शास्त्री जी भी हैं। मैंने आपका भी भाषण पढ़ा, श्रीमन्, उस वक्त आप किसानों के बड़े पालक थे और आपने यह कहा था कि हम किसान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसान के हल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बैल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसान को बहुत कुछ छूट दे रखी थी। उनकी फसल को अटैच नहीं होने देंगे। लेकिन श्रीमन्, जब आप पावर में आये तो एकदम आते ही वह सब भूल गए। और ठाकुर साहब गुप्ता जी की यह बात आपको नहीं माननी थी क्योंकि गुप्ता जी किसान नहीं हैं, वह नहीं जानते

हैं। आप कहते कि मैं इस बिल को पेश नहीं करूंगा, बनारसी दास जी कर लें, राममूर्ति जी कर लें, किसी के भी सुपुर्द कर देते, आप इस अवस्था में इस बिल को पेश न करते क्योंकि आपका वचन था, आपके भाषण की रिपोर्ट श्रीमन्, इतनी बड़ी है, ठाकुर साहब, जमींदारी एबोलीशन इतनी बड़ी यह किताब है। हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, और आपको बाबा की तरह और बाप की तरह समझते हैं, प्रदेश के किसानों ने जिस वक्त आपने वह पास किया था, नारा लगाया था ठाकुर साहब की जय हो, चौधरी चरणसिंह की जय हो, और आज जब आप जायेंगे तो जो काले झंडे दिखलाये जायेंगे, आपकी मोटरें रोकी जायंगी क्योंकि घोड़ी तो बन्द कर दी है, अब आप मोटरों पर चलते हैं . . . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई हर्ज नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, हर्ज होगा। ठाकुर साहब, हर्ज होगा और इतना हर्ज होगा कि आपको बुढ़ापे में तकलीफ होगी . . . .

श्री हुकुमसिंह, विसेन—किस लिए आपको बड़ा किया ? मदद दो।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, इसीलिए कहते हैं कि बिल को वापस ले लीजिए। वह अवसर न आये। केवल ३ करोड़ के लिए यह क्या कर रहे हैं ? ११ करोड़ होता तो एक बात भी थी। माननीय बनारसी दास जी, वापस ले लीजिए। माननीय मुजफ्फर हसन साहब बैठे हुए हैं, बड़े ही समझदार आदमी हैं, हम और आप तो कांग्रेस में एक दस्तरखान पर खाना खाये हैं, रावत जी के साथ सिपाही थे कांग्रेस के और आपने बिलकुल पोलटिकल पेंशन न देने का आर्डर पास कर दिया है कि किसी को नहीं मिलेगा। यह आजादी की लड़ाई में एक साथ लड़ने वाले आपके सिपाही हैं और उनके लिए मुजफ्फर साहब के हाथ से यह आर्डर पास हो जाय कि अब तो जिसको मिलनी थी वह मिल गई और जो दो दफा जेल गये हैं अब उन्हीं को देंगे। आप जेल गये हैं, आजादी की लड़ाई में लड़े हैं, अपने साथियों को न भूलिये। अगर आज गुप्ता जी अपने साथियों को भूल जाते तो पावर में न होते। तो जो आदमी आपके साथी थे, चाहे वह इधर के हों चाहे उधर के हों, उनको आप मत भूलिए। हमारी आपकी मंजिले मकसूद एक हैं कि इस प्रदेश में किसानों की हालत अच्छी हो, जो हमारे किसान भूखे और नंगे हैं उन्हीं की उन्नति के लिए आप यह टैक्सेशन कर रहे हैं ? लेकिन जो रुपया आप मांग रहे हैं क्या उसका सदुपयोग होता है ? आपकी तृतीय पंच वर्षीय योजना की भूमिका, उसकी रिपोर्ट यह संकेत करती है कि बिलकुल जनता का कल्याण नहीं हो रहा है। सारी इकोनामी स्टैग्नेंट है। देश बढ़ा है, प्रदेश गिरा है। देश बढ़ा लेकिन प्रदेश गिरा।

बड़े आंकड़े दिये जाते हैं। श्रद्धा जी ने और बनारसीदास जी ने बड़े आंकड़े दिये कि प्रदेश की हालत बड़ी अच्छी हो गई। सन् १९५९ में डाक्टर सम्पूर्णानन्द के समय में हालत क्या खराब थी जो अब अच्छी हो गई ? उस समय ९८ आदमियों ने दस्तखत कर दिया। जब मंगलाप्रसाद जी मिनिस्टर नहीं रहे तो उन्होंने भी इलाहाबाद में भाषण दे डाला कि ५० फीसदी सरकारी योजनाओं पर वेस्ट हो रहा है। यह मंगलाप्रसाद जी की हिम्मत थी। मंगला प्रसाद जी इस समय यहां पर नहीं हैं। अगर वह इस सदन में होते तो हमको सपोर्ट करते और कहते कि वेस्ट हो रहा है। बनारसीदास जी ने बड़ा जिक्र किया कि हम सम्पूर्णानन्द जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि लैंड पर टैक्स बढ़ाओ, तो इसलिये हम बढ़ा रहे हैं। मैं उनको खत लिखूंगा तथा और लोगों से भी कहूंगा और चाहे मुझको जयपुर जाना पड़े, इसका पता लगाऊंगा कि यह कहां तक सही है। जोत करके अलावा और सम्पूर्णानन्द जी की कोई बात नहीं मानी।

बनारसीदास जी को याद होगा कि कहा गया था कि बड़ी-बड़ी कार नहीं रखेंगे। बड़ी कारें आपने बेंची। आज वे किसके पास हैं ? आपतो सूचना मन्त्री हैं, इसका पता लगायें कि वे कारें बड़ी-बड़ी किसके पास चली गईं ? होता यह है कि उन छोटी कारों में मन्त्री जी

[श्री नेकराम शर्मा]

यहां से जाते हैं और वह रास्ते में खराब हो जाती है। वहां से दूसरी कार भेजी जाती है। एक के बजाय दो कारें मिल जाती हैं। इस तरह से दौरों में कार का प्रयोग होता है। बनारसी दास जी बड़े समाजवादी हैं। मैं इसको जानता हूं कि वह कितने समाजवादी हैं। अगर आप समाजवादी हैं तो सारी कारों को इस्टेट डिपार्टमेंट में भेज दीजिये और जब आप दौरे पर जायेंगे तो आपके पास कार आ जायेगी। जब आपको बाहर जाने के लिये कार मिल जाती है तो यहां घर पर कार रखने की क्या जरूरत है। कोठी भी यहां से दूर नहीं हैं तो आप पैदल आ सकते हैं। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। जैसा कि विकल जी ने कहा था कि अंग्रेज डी० एम० साइकिल पर जाते थे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप भी साइकिल पर चढ़िए।

गुप्ता जी ने कहा था कि छोटी कोठी रखेंगे और पुलिस गार्ड भी नहीं रहेगा और जो गार्ड है वह हट जायगा। क्या अब आप पुलिस गार्ड नहीं लेते हैं? उन्होंने कहा था कि बजाय पूरे डिब्बे के एक बर्थ लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक बर्थ लेते हैं या आज मंत्री पूरा कम्पार्टमेंट लेते हैं? अगर हुकुम सिंह जी से पूछा जाय तो वे कभी असत्य नहीं बोलेंगे। इसी सदन में गुप्ता जी ने घोषणा की थी कि सम्पूर्णानन्द गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों का अपनी कुर्सी के लिए प्रयोग करती है, अपने शासन को मजबूत करने में। श्रद्धा जी ने धर्म सिंह जी के विरुद्ध इसी सदन में प्रश्नों के द्वारा पूछा था कि वह जिले में कितने दिन रहे और कितना टी० ए० चार्ज किया। आज श्रद्धा जी इन मंत्रियों के विषय में भी उस तरह के प्रश्न करें तो हम समझें कि वह कितनी सच्ची हैं। आज यदि श्रद्धा जी यह सवाल करें कि कितने मिनिस्टर हवाई जहाज से जाते हैं, एक एक जिले में कितने मिनिस्टर आते जाते हैं, जब मुजफ्फर हसन साहब इलाहाबाद जाते हैं तो वह कौन सा पैसा खर्च करते हैं? वह अपने पास से पैसा खर्च करते हैं या गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, तब तो हम समझेंगे कि आप बहुत न्याय-प्रिय हैं।

सम्पूर्णानन्द जी को आपने निकाला क्योंकि आप बहुत क्रांतिकारी पद प्रदेश में उठाना चाहते थे और प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। आप साधु बनकर आये हैं और सम्पूर्णानन्द गवर्नमेंट को निकम्मी कहा जाता था क्योंकि वह कांग्रेस के सिद्धान्तों पर नहीं चलती थी, आपकी सरकार उन सिद्धान्तों पर चलती है। मैंने एक उदाहरण दिया और देता हूं कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी सरकारी अफसरों का एलेक्शन में और आजकल प्रयोग कर रहे हैं वह डेमोक्रेसी के नाम पर धब्बा है। पंचों के चुनाव के लिये एक कमेटी बनाई गई कि सदस्य उसके लिये चुनाव करें लेकिन जब सरकार ने यह समझा कि उनका आदमी नहीं आयेगा तो उन्होंने एक व्यक्ति को नामिनेट कर दिया। ऐसे व्यक्तियों को किया गया जिसका देहात से कोई मतलब नहीं है। जिला परिषद् का विधेयक आपके सामने आ गया लेकिन सरकार नामिनेट करने जा रही है। आज तक यह सरकार प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाली और प्रजातन्त्र का प्रचार करने वाली सरकार म्युनिसिपल बोर्ड और जिला परिषद् का चुनाव नहीं करा रही है। प्रजातंत्र की हिमायत करने वाली इस गुप्ता सरकार ने जो कुछ गोंडा में रामरतन गुप्ता को जिताने के लिये किया वह कार्य प्रजातन्त्र के नाम पर कलंक है और इतिहास उस कार्यवाही को क्षम्य नहीं कर सकता। जिस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने घर पर बैलट बाक्स मंगा कर आपके प्रजातन्त्र का हनन किया है वह इस सरकार में ही हो सकता है, डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार में कभी नहीं हो सकता था। जो अफसर आज आप के इशारे पर नाचते हैं और जिनको बनारसी दास जी पोस्ट करते रहते हैं अपने-अपने जिलों में, श्रीमन्, ऐसा समय भी आयेगा कि यह अफसर आपको भी नहीं छोड़ेंगे।

राममूर्ति जी बहुत शिकायत करते थे कि बरेली का अफसर बहुत खराब था, हमको दबाने के लिये भेजा गया था और इस प्रकार के चार्ज सम्पूर्णानन्द जी के खिलाफ लगाते थे कि कलेक्टर और पुलिस वालों को जिलों में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, क्या वही चीजें आज, मुजफ्फर हसन साहब नहीं हो रही हैं? सही बतलाइये। अगर यह चीजें न रोकी

गयीं तो कांग्रेस, जिसको हम चाहते हैं कि जिन्दा रहे, हम को आज जरूरत है नेहरू जैसे नेता की, वह रह नहीं पायेगी। यह जो सरकार है यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह एक गुट की सरकार है।

आचार्य जुगलकिशोर जी ने डेमोक्रेसी के लिये क्या कहा था इसे आप सुन लीजिये। उन्होंने ही ९८ आदमियों के हस्ताक्षर ले कर अपनी बात यहाँ रखी थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। खतरा यह है कि डेमोक्रेसी जहाँ मेजारिटी की होनी चाहिये, वहाँ अल्पमत या किसी एक व्यक्ति के रूल होने की संभावना है। सम्पूर्णानन्द जी के लिये वह कहते थे कि वह डिक्टेटर बन जायेंगे, यह डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही है। यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, अल्पमत के एक ग्रुप की सरकार है और इस में एक आदमी फासिस्ट बन जायगा, सम्पूर्णानन्द जी ही एक आज की सरकार चलायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय झारखंडे राय जी से, दुबे जी से, जो पुराने सदस्य हैं, रामकुमार शास्त्री जी से भी पूछना चाहता हूं, चाँदनी रातों में जो हल चलाते हैं उन से भी पूछना चाहता हूं क्योंकि जब हमारे साथ थे तो कहते थे कि हम गुप्ता जी की सरकार को नहीं चलने देंगे? क्या यह सरकार उसी प्रकार चल रही है जिसकी आपने कल्पना की थी तो आप ही बतलाइये। शरण साहब, मैं आप से पूछता हूं। जिस हुकूमत का आज आपने समर्थन किया यहाँ बैठ कर और यह कहा कि उजाली रातों में हल चलाया हूं इसलिये कि कोई देख न ले, आप ही ईमानदारी से बतलाइये। उस समय बहुत से लोगों ने इस्तीफा दिया था और आपने भी, इसलिये कि गुप्ता जी पावर में आ रहे हैं। लेकिन जो कसौटी रखी गयी थी क्या उस पर यह सरकार सही उतर रही है? जिले जिले में जो हालत है उसे आप जानते हैं, फिर आपने इसका समर्थन क्यों किया? ईमानदारी से अपनी बात कहिये। इसलिये जरूरी है कि हम और आप दोनों मिलें और बनारसीदास जी हमारे भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि खुदा के वास्ते आप इस बिल को वापस ले लें। मैं नहीं चाहता था कि इस पर प्रवर समिति का या जनमत में घुमाने का प्रस्ताव लाया जाय, इसलिये कि इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने से हम बिल को सिद्धान्त रूप से तो मान ही लेते हैं कि यह विधेयक आ सकता है। मैंने इसे मना किया था लेकिन यह संशोधन इस विचार से ले आये गये कि यदि संशोधन में नाम आ जायगा तो बोलने का मौका तो पहले मिल ही जायगा। जिन्होंने यह संशोधन दिया है, इसी विचार से दिया है।

बनारसीदास जी, आप अपनी पार्टी में वोट करा लें कि इस बिल के पक्ष में कितने सदस्य हैं और कितने नहीं हैं और चुपचाप उसका रिजल्ट देख लीजिये। बैलट करा लीजिये, आपको पता चल जायगा। लेकिन उसकी काउन्टिंग कौन करे बस यह एक प्रश्न है। उसकी गिनती आप माननीय धुलेकर साहब से करा लीजिये, श्री अलगू राय शास्त्री से करा लीजिये, श्री नेगी जी से करा लीजिये। आप इस मामले में हार जायेंगे। इसमें व्हिप की बात नहीं है। आपको पार्टी की सही पोजीशन मालूम हो जायगी।

एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब मैं हाउस आफ कामन्स में ट्रेनिंग के लिये गया था तो वहाँ पर परिपाटी है मेम्बर्स की राय जानने के लिये और व्हिप का बड़ा भारी काम होता है। वहाँ का चीफ व्हिप, वहाँ के प्रधान मंत्री तक के पास गुप्त से गुप्त बात बताने के लिये हर समय प्रधान मंत्री के पास जाता है और जहाँ गुप्त से गुप्त बात हो रही हो वहाँ वह जा सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सारे मेम्बर्स की वह नस और पल्स जानता है। मैं फिर माननीय गुप्ता जी से कहूंगा कि वह सारा कलंक उन्हीं के ऊपर और बनारसी दास जी के ऊपर ही विराजता है यदि बिल वापस न किया।

एक बात और मैं माननीय गुप्ता जी को बधाई देता हूं और इसलिये देता हूं कि यदि गांधी जी का कोई सही और असली शिष्य है तो वह केवल सी बी० गुप्ता जी ही हैं और इस सदन और प्रदेश में कोई नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गया, अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाय। तो आज उनकी यानी बापू जी की इच्छा की पूर्ति हमारे मुख्य मंत्री जी और श्री बनारसी दास जी कर रहे हैं। (व्यवधान)

[श्री नेकराम शर्मा]

मैं इसीलिये उनको बधाई देता हूं। गाँधी जी के एक चेले श्री विनोबा भावे हैं जो सर्वोदय में चले गये और दूसरे पंडित जवाहरलाल जी हैं, वह तो प्राइम मिनिस्टर बन गये। अब रह गये केवल श्री गुप्ता जी। तो सही और असली गाँधी जी के वही एक मात्र चेले हैं, जो प्रदेश में कांग्रेस समाप्त करके बापू की अंतिम इच्छा पूरी कर रहे हैं। गुप्ता जी की किसी से लड़ाई नहीं है। अब तो वह कम्युनिस्टों से भी दोस्ती, सोशलिस्ट पार्टी से दोस्ती और दूसरे लोगों से भी दोस्ती रखते हैं। लेकिन यह सही है उनका अपना कुछ भी नहीं है। वह एक स्पष्ट वक्ता हैं, दिल में कुछ नहीं रखते हैं। जो कुछ भी वह कहते हैं साफ तौर पर कहते हैं। बाहर और अंदर सभी तरह एक हैं। गाँधी जी की इच्छा की पूर्ति तो वह साहस के साथ कर रहे हैं। जब कांग्रेस खत्म हो जायगी तो हमारे प्रदेश के लिये, देश के लिये और हमारे और आप सब के लिये वह दिन बहुत ही दुखद दिन होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस राह पर न चलें जिससे कांग्रेस के अस्तित्व को ही समाप्ति का खतरा पैदा हो जाय।

आप जरा अपने चारों तरफ गौर करें। पाकिस्तान की अलग साँठ-गाँठ चीन से चल रही है, नेपाल का कुछ रुख ही दूसरा है, और चीन की दशा तो किसी से छिपी नहीं है। तो आप हमारी बात न मानें, आप राष्ट्रपति की बात तो मानें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बिल को एक महीने के लिये पोस्पोन कर दीजिये और राष्ट्रपति से हमें मिलने दीजिये। हम लोगों को भी एक अपोजीशन का डेलीगेशन भेजकर उनसे मिलना है। जो वह कहें वह हमको और आपको मानना चाहिये। क्योंकि आप कह चुके हैं कि कोई जिद की बात नहीं है। नेहरू जी कहेंगे वापस कर लेंगे। नेहरू जी से आप इस मामले पर बात कर लें और हमें भी करने दें और उसके बाद ही कोई फैसला करें। कोई नहीं चाहता है कि किसान और जनता पर टैक्स लगे। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। आप अफसरों की बातों में फंस गये हैं, अफसर बड़ा चालाक होता है। कम से कम मेरी तो यही राय है। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कन्ट्रोल तोड़ने की बात हुई और यह कहा गया कि कन्ट्रोल तोड़ना चाहते हैं तो पूज्य बापू ने कहा कि अफसरों से जैसा कहो वैसी योजना बना देंगे, कन्ट्रोल तोड़ने की या रखने की। कन्ट्रोल तोड़ने की इच्छा पाते ही उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई कि कन्ट्रोल टूट गया। इसी तरह से आप कहिये कि हम ३ करोड़ रुपया चाहते हैं तो उसका भी वह अफसर लोग प्रबंध कर देंगे। इसी तरह से एक और उदाहरण दे दूं। एक बार रफी साहब से इतवार की छुट्टी की बात हुई पोस्टल कर्मचारियों के लिये तो अफसरों ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। तो रफी साहब ने पी० एम० जी० आदि से जब यह कहा कि आप लोग जाइये हम कल अखबारों में विज्ञापन देंगे कि इतवार की छुट्टी करने की जो क्षमता रखता हो, ऐसे अफसरों की जरूरत है, वह हमसे सम्पर्क स्थापित करें। बस दूसरे दिन सबेरे ही पोस्टल विभाग के अफसर लोग आ गये और कहने लगे कि साहब यह हो सकता है। इसी-लिये मैं आपसे कहता हूं कि आप इन अफसरों से कहिये कि ५ करोड़ का प्रबंध करें, तो वह हो जायगा। वह आपको रास्ता बता देंगे। आपका इतना रुपया तो कानपुर से ही इकट्ठा हो सकता है। यदि आप चाहें तो यह आपके लिये कुछ मुश्किल नहीं है। वहाँ के पूंजीपति तो आपको यह धनराशि खुशी-खुशी देंगे। बकाया ही से प्राप्त हो जायगा।

एक बात और बताऊं कि हम लोग अभी हसनापुर गये थे। वहाँ पर २ लाख का पैस्चराइज प्लान्ट पड़ा हुआ है। वह आया था कि डेरी बनेगी और मिल्क जो होगा उसको पैस्चराइज करके बेचेंगे। वह प्लांट आजतक बेकार पड़ा हुआ है। लाखों रुपये का प्लांट है और स्वीडेन से आया था और राजस्थान को बेच रहे हैं। हमने मांग की कि इसको दूसरे प्रदेश को न बेचा जाय, हम गुप्ता जी से कहेंगे, कहीं न कहीं खप जायगा। लेकिन वहां के अफसर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी मशीनें हैं और सामान है जो अनपैक तक नहीं हुआ। १९४८ और १९५० की मशीनें खुली नहीं हैं जिनमें लाखों, करोड़ों रुपया लगा हुआ है।

भाई शांन्ति प्रपन्न शर्मा जी जानते हैं, क्या यह सही नहीं है कि हरदुआगंज पावर हाउस में ३०–४० हजार रोज का नुकसान हो रहा है इसलिये कि ट्रांस्मिशन लाइन की कमी है ? अगर यह मेरी बात गलत होगी तो जो सदन मुझे सजा देगा मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। मुझे वहां के इंजीनियर ने यह बात बतलाई कि बिजली तैयार है, ट्रांस्मिशन लाइन नहीं है और ३०–४० हजार रुपये रोज का नुकसान हो रहा है। माननीय प्रपन्न जी बहुत एफिश्यंट और अच्छे मिनिस्टर हैं, उनको फुल-फ्लेज्ड मिनिस्टर होना चाहिये, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, क्या करें ? नौकरी करनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। (हंसी) मैं सही कहता हूं। बनारसीदास जी, जेड० ए० अहमद साहब मेरे साथ चलें, वहां आप सब जानते हैं कि यह वेस्टेज हो रहा है, मंगला प्रसाद जी खूब जानते हैं। इसलिये थोड़ा कट कर दो, अपोजीशन आपका साथ देगा। आज नैशनल डेंजर है, राष्ट्रपति की बात मान लो और जिस किसान की हालत नग्न है उसको और कर के बोझ से लादना कहां तक उचित होगा ? आज गरीबी के कारण हजारों दरख्वास्तें तकावी के लिये आयी पड़ी रहती हैं। मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, प्रदेश की बिलकुल तरक्की नहीं हुई और न यह कि हम कतई अच्छे नहीं हैं अंग्रेजों के मुकाबले में, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था, टार्गेट था, जो हमारा वचन और कथन था वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी अफसरान की है।

आज टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन आपने कर दिया है। ५६ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है अफसरान पर। कोई स्कीम आये, पहले कोठी बनवा लेंगे, टाइपराइटर और चपरासी होगा। पी० डब्लू० डी० ८ सर्किल थे आज १४ हो गये हैं। इंजीनियर्स की रिपोर्ट है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना तो यह मल्टिप्लिकेशन अफसरान का कैसे हो हो गया ? इन कर्मचारियों की संख्या श्रीमन्, १९५४ में क्या थी और १९५८ में बढ़ कर कितनी हो गयी इसके आंकड़े मैं देता हूं। १९५४ में ३५१ रुपये या इससे अधिक परन्तु ४०१ से कम पाने वालों की संख्या ६५७ थी जो १९५८ में बढ़ कर ११७२ हो गयी। ४०१ रुपये या अधिक परन्तु ४५१ रुपये से कम की संख्या २९६ थी वह ४११ हो गयी। ४५१ रुपये या अधिक परन्तु ५०१ से कम की संख्या ४८७ थी, वह ६७९ हो गयी। ५०१ रुपये या इससे अधिक परन्तु ७५१ से कम पाने वालों को संख्या ६७६ से बढ़ कर १०४१ हो गयी। ७५१ रुपये से अधिक परन्तु १००१ से कम पाने वालों की संख्या ३३९ से बढ़ कर ४५९ हो गयी। १००१ रुपये या अधिक पाने वालों की संख्या ३६५ से बढ़ कर ४५९ हो गयी। इस तरह से आप देखिये कि कितना टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा है। सन् १९५४ में ३६३ थे और बढ़ कर ४५९ हो गये। ऊंचे सरकारी कर्मचारी भारी संख्या में बढ़े हैं। जितना रुपया ट्रैक्सेशन से आता है वह सब इन्हीं कर्मचारियों की जेबों में जाता है। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्र की यह सारी आय कहां चली गयी ? उसकी जांच के लिये उन्होंने एक कमेटी थहलनोविस की अध्यक्षता में भी बिठाई थी। उसकी रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया है कि सारा पैसा अमीरों की जेबों में चला गया, कान्ट्रेक्टर्स और इंजीनियरों में चला गया, जो चीज भी बनाई गयी, फेल हो गयी, पूरी नहीं हुई।

श्री बनारसीदास—उस रिपोर्ट से पढ़ दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कल भी बोलने का मौका दिया जाय, मैं उस किताब को ले आऊंगा। मैं जानता था कि माननीय बनारसीदास जी उसको जरूर जानते होंगे और उन्होंने उसको जरूर पढ़ा होगा। माननीय बनारसीदास जी को सब सूचना है, मान्यवर। आप जानते हैं श्रीमन्, हिटलर का सी० आई० डी० का सबसे बड़ा आदमी कौन था ? वह सब खबरें रखता था। श्रीमन्, नेहरू जी ने इस बात को माना है और कहा है कि अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। हमारे प्लान के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। आय बढ़ाना, इम्प्लायमेंट बढ़ाना, इकोनामिक पावर का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आय में असमानता दूर करना, इम्पलायमेंट श्रीमन्, बढ़ा है, छोटा कर्मचारी उतना नहीं बढ़ा

[श्री नेकराम शर्मा]

१ लाख ९५ हजार से २ लाख २७ हजार हुआ है, मगर उसमें संख्या किन-किन की बढ़ी है। माननीय बनारसीदास जी जब जेल जाते थे तो उनको मालूम है कितने आफिसर्स थे ? एक एस० पी० था, एक डी० वाई० एस० पी० था, कुछ और आफिसर्स होते थे। आज क्या है ? आज कितने ही एस० पी०, कितने ही डी० वाई० एस० पी०, असिस्टेंन्ट एस० पी० आदि हो गये हैं। इधर चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और न जाने कितने सेक्रेटरीज हो गये हैं। यही नहीं, उनको एक स्पेशल एलाऊन्स भी दिया जाता है। वह क्यों दिया जाता है ? कौन सा स्पेशल काम वे करते हैं ? नेहरू जी ने कहा था कि इन आफिसरों को जिम्मेदारी फिक्स कर देनी चाहिये। आप किसी भी अपने सेक्रेटरी को कोई स्कीम दे दीजिये और यह कर दीजिये कि अगर वह स्कीम फेल होती है तो उसके लिये उसको सजा भुगतनी होगी। आपके शिक्षा का सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट का काम नहीं कर सकता। एक आई० सी० एस० आफिसर सीमेंट फैक्टरी को नहीं चला सकता क्योंकि वह बिजनेस नहीं जानता। बनारसीदास जी जानते हैं कि उसको कौन कर सकता है। जो आपकी कामर्शियल यूनिट्स हैं उनमें आपको कामर्शियल एक्सपर्टस रखने चाहिये। आज चुर्क सीमेंट फैक्टरी की दुर्दशा क्यों है ? इसलिये है कि जो आदमी आपका है वह बिजनेस नहीं जानता। प्राइवेट आदमी चला लेता है लेकिन आपका आई० सी० एस० आफिसर उसमें फेल हो जाता है। आप तो उसको सब मर्जों की दवा समझ बैठे हैं। यह गलत है। चाहे उसको पी० डब्लू० डी० दे दीजिये, चाहे प्लानिंग दे दीजिये, चाहे सोशल वेलफेयर दे दीजिये, वह सब को चला लेगा। यह तरीका गलत है। बनारसीदास आपको शासन चलाना है जरा इस पर ध्यान दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नेकराम जी, अब दो घंटे हो गये है, मैं अपील करूंगा कि आप शीघ्र खत्म करने की कोशिश करें। मैंने आपको टोका नहीं था, आप बहुत इर्रेलेवेन्ट बातें कर रहे थे, बहुत रिपीटीशन हो रहा था। मैं समझता हूं आप मेरी बात मान लेंगे। आप इधर उधर न जायं और अगर जायें भी तो केवल टच करके लौट आयें।

श्री नेकराम शर्मा—मैं तो हमेशा आपकी बात मानने के लिये तैयार हूं। कहिये तो बैठ जाऊं। मैं सही बात रख रहा हूं। तो श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कसौटी तय की थी, उस कसौटी से वे कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जायेंगे, इसके लिये हमें अपनी बेल्ट कसनी होगी और उसके लिये हमें टैक्स देना होगा। इसी के द्वारा भविष्य में प्रदेश धनवान होगा, समृद्धशाली होगा और उसका लाभ हमारी भावी संतानें उठायेंगी तथा ऊपर से स्वर्ग उतार कर हम यहां ले आयेंगे।

श्रीमन्, इन १५ सालों में माननीय मुख्य मंत्री जी का हाथ प्रदेश की योजनाओं में डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से रहा है। सन् ४६ में माननीय मुख्य मंत्रीजी पंतजी के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे तथा ५२ में उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग रहे। ५७ में केवल डेढ़ दो साल के लिये वे इस सरकार में नहीं थे लेकिन ५९–६० में वे फिर आ गये। तो उन दो सालों को छोड़ कर सारे प्रदेश का संचालन और प्रदेश की सारी योजनाओं में मुख्य मंत्री का हाथ रहा है। लेकिन इन १५ सालों में न तो प्रदेश की आय बढ़ी है, न शिक्षा का स्तर ही ऊंचा हुआ है और न किसानों की हालत में हीं कोई सुधार हुआ है, फिर आप टैक्स किस लिये मांगते हैं। अगर किसानों से और जनता से टैक्स लिया जाता है तो प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिये लिया जाय। मैं माननीय बनारसीदास और विरोधीदलों के नेताओं से यह अपील करूंगा कि वे इस बात को मान लें और सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि जो यह कर वसूल होगा जिस गांव से जितना होगा, उतना उसी गांव की गांव सभा को दे दिया जाय। अगर आपका यह कहना ईमानदारी का कहना है तो आप इस बात की घोषणा करें। अगर वे इस बात की घोषणा नहीं करते तो मेरा यह निश्चित मत है कि यह सब धोखा दिया जा रहा है और यह टैक्स आप पुलिस को मजबूत

बनाने के लिये, अफसरों को खुश करने के लिये और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिये, लगा रहे हैं।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि सही है कि टैक्सेशन के बिना काम नहीं चल सकता। मैं सोवियत यूनियन में गया था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गया था और वहां की स्थिति का मैंने अध्ययन किया। वहां के अध्यापकों पर भी टैक्स है, सब पर टैक्स है लेकिन उनके बच्चे, उनके घर वाले बिना शिक्षा के, बिना चिकित्सा के और बिना रोजगार के नहीं रहते। आपने जितना ही प्लान पर खर्च किया उतनी ही बेरोजगारी बढ़ायी। ३८ मिलियन बेरोगार हैं। जितना इलाज किया मर्ज बढ़ता गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। प्लान संबंधी सारी रिपोर्ट आपके सामने हैं। उनमें से श्रद्धा जी या और माननीय सदस्य आंकड़े दे सकते हैं लेकिन देहात में जाकर कभी इसे नहीं कह सकते। मैं मानता हूं कि उनको टैक्स देने की कैपेसिटी अब बिलकुल नहीं है क्योंकि उनके ऊपर आपने बहुत से इनडाइरेक्ट टैक्स लगा रखे हैं जैसा कि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब पहले ही बतला चुके हैं। किसान केवल अनाज ही तो पैदा करते हैं, बाकी सारी चीजें तो वे बाजार ही से खरीदते हैं जिन पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। उनके ऊपर कर का कितना भारी बोझ है, ये आपके आंकड़े ही बतलाते हैं। आपकी कैबिनेट के ही एक साथी माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने ४० सफे का एक पत्र प्लानिंग कमीशन, हाई कमांड और मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों की सेवा में भेजा है। उन्होंने उस पत्र में जो तथ्य दिये हैं, आज तक किसी भी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर ने उनके तथ्य काटे नहीं। अगर यह टैक्स लगा तो आपके द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा और मुख्य मंत्री हम माननीय चरणसिंह जी को बनायेंगे और उत्तर प्रदेश का पूरब और पश्चिम में बटवारा हो जायगा। पूरब के तो इतने मिनिस्टर हैं और पश्चिम के किसान मंत्री केवल चौधरी चरणसिंह जी हैं। पूरब वालों ने ८ एकड़ की होल्डिंग तक की छूट करवा ली क्योंकि उनके यहां इससे ज्यादा की होल्डिंग्स नहीं हैं, बुलन्देलखंड के मिनिस्टर साहब ने वहां के लिये १६ एकड़ तक की छूट करा ली। पश्चिम के एक मिनिस्टर केवल चौधरी चरणसिंह जी हैं जो इस बिल का घोर विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी जिले वालों के खाते का जहां तक सवाल है उनको ८ एकड़ तक की छूट से कोई फायदा नहीं है। माननीय शिवराजसिंह व वीरसेन जी जो पश्चिमी जिले के हैं, वे बतलायें कि इससे पश्चिमी जिले के लोगों को क्या फायदा होने वाला है।

अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक किसी को पता नहीं ही है कि कितने एकड़ वालों पर टैक्स लगेगा क्योंकि बिल में तो ऐसी कोई चीज है नहीं, सब लोग इस पर अन्दाजिया बहस कर रहे हैं। इतिहास में आज तक ऐसा कोई बिल सदन में कहीं भी विचार के लिये नहीं आया जिसके बारे में यह किसी को पता ही न हो कि आगे क्या होने वाला है। एक घोषणा चेंज हो सकती है क्योंकि लिखित तो कोई चीज है नहीं। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने इसीलिये कहा था कि पहले आप इस बिल को वापस ले लें और रिकास्ट करने के बाद फिर एक दूसरा बिल लायें। आज माननीय बनारसीदास को मैं बतला दूं कि उनकी जो इच्छा कभी एस० आर० सी० कमीशन के सामने थी, उसी इच्छा को वे फिर जाग्रत करना चाहते हैं तो ठीक है।

आज पश्चिमी जिलों को नैगलेक्ट किया जा रहा है। मेरठ में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। उधर एक यूनिवर्सिटी नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज इधर हैं, सारे अखबार इधर के हैं, सारे मिनिस्टर्स इधर के हैं। अगर पश्चिमी जिलों के भी मिनिस्टर्स होते तो वे इस बात को देख लेते कि ८ एकड़ की छूट से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ८ एकड़ हिस्से पर नहीं खाते पर है। माननीय चौधरी चरणसिंह जी ही एक किसानों के रहनुमा हैं जो इस मिनिस्टरी में हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं कि आपसे हमें बड़ी आशायें हैं। इस बिल के प्रश्न पर आप इस मिनिस्टरी से इस्तीफा दे दें और इस सरकार में न रहें। आप हमारे लीडर बनें, आपके लिये हम अपने प्राण तक दे देंगे। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर हो वह

[श्री नेकराम शर्मा]

एक किसान हो, हरिजन हो, पिछड़े वर्ग का हो, गरीब हो। लेकिन आज कल जो मिनिस्टरी में हैं उनका किसानों से कोई संबंध नहीं है और न उन्होंने कभी किसानी का काम किया है वरना आय पर तो कर लगते सबने सुना और पढ़ा है केपीटल वैल्यू पर गुप्त सरकार ही लगा सकती है। माफ करेंगे माननीय बनारसी दास जी, इतिहास यह बतलाता है कि जिस जाति के लोगों ने गरीब किसानों से सौ-सौ रुपये के रुक्के लिखा कर सूद में उनके खेत जमींदारियां छीन लीं उस जाति के लोग कभी भी किसानों के हमदर्द नहीं हो सकते। चौधरी साहब, घुटघुट कर मरने से कोई लाभ नहीं, आप के लिये हम प्राण देंगे, आप किसानों के नेता बनने योग्य हैं, किसान आप को पसन्द करते हैं, आप की तरफ किसान देख रहा है, सारा प्रदेश आंख लगा रहा है, सारा विरोधी दल देख रहा है उधर के भी बहुत से लोग छिप कर देख रहे हैं, विकल जी देख रहे हैं, जलील अब्बासी साहब देख रहे हैं, उधर के ७० सदस्यों से अधिक देख रहे हैं। चौधरी साहब आप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा, आप इस बिल के विरोध में स्तीफा दे दें वर्ना हमारी मजबूरी होगी और हम आपके खिलाफ जायेंगे और हमें आपका साथ छोड़ना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी होगी कि हम सूबे का बटवारा करायें। आज उधर सारे पूरब के मिनिस्टर बने हुये हैं, यहां तक कि कमलापति जी भी ८ एकड़ पर राजी हो गये, उनको भी इस विधेयक की वापसी की मांग करना चाहिये था लेकिन उन्होंने सोचा कि पूर्वी जिलों के वोटर्स सुरक्षित हो गये। यह कोई सिद्धान्त नहीं है, उनको इस बिल के खिलाफ आवाज उठाना चाहिये थी। इस मामले में माननीय कमलापति जी ने पश्चिमी जिलों का नेतृत्व नहीं किया केवल पूर्वी जिलों का ही किया है यह मेरी उन से सख्त शिकायत है, उनको भी स्तीफा देना चाहिये अगर वह अपने को सारे प्रदेश का मिनिस्टर समझते हैं। श्रीमन्, अभी मुझे आप थोड़ा सा समय और दें....

श्री उपाध्यक्ष—आपके ही ऊपर है। सवा २ घंटे हो गये, आप ५-७ मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री नेकराम शर्मा—इस समय माननीय राजस्व मंत्री और उस समय के उन के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी चौधरी चरणसिंह जी मौजूद हैं जब रिपोर्ट पेश किये थे तो चौधरी साहब ने भी बड़े वादे किये थे कि लगान किसानों का नहीं बढ़ाया जायगा, आज वे ब्रीच आफ ट्रस्ट है और विश्वासघात कर रहे हैं। अंग्रेज जिस को आप बहुत बुरा कहते हैं उससे किसानों की हालत सुधारी या न सुधारी लेकिन उसने कभी परमानेंट सेटिलमेंट से मुख नहीं मोड़ा। उसने अपने वचन को नहीं तोड़ा और उसको पूरा किया। अगर यह सरकार इस तरह से अपने वचन से रोज हटेगी तो अवश्य ही उसके खिलाफ अविश्वास फैलेगा और उसका फल यह होगा कि यहां विद्रोह होगा और आपके खिलाफ वह आवाज और राय बनेगी जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बनारसीदास जी मुझ से सहमत होंगे, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट रखी है, इसमें लिखा कि पहली और दूसरी योजनायें खत्म हो चुकीं लेकिन उनका फल क्या हुआ वह मैं पढ़ कर इस आप की रिपोर्ट से ही सुनाता हूं। "औसत अब तक आमदनी के आंकड़ों से अगर देखा जाय तो प्रदेश की स्थिति और भी असन्तोषप्रद है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के मुकाबले में राज्य की आय की वृद्धि की गति कम होने के कारण स्थिति यह है कि ५०-५१ की वृद्धि राष्ट्रीय औसत आय की ५ प्रतिशत....

श्री उपाध्यक्ष—बहुत सी बातें हो चुकी हैं। कई लोग यह कह चुके हैं।

श्री मैनेजरसिंह—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जब विरोधी पक्ष के लोग बोलने खड़े होते हैं, तो उनके भाषण में व्यवधान बहुत होता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप पक्षपात की बात कह रहे हैं। यह आक्षेप है।

श्री मैनेजरसिंह—मैं पक्षपात की बात नहीं कह रहा । बनारसीदास जी से, श्रद्धा देवी जी से आपने अपील नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने श्रद्धा जी से दो तीन मर्तबा कहा था। इतना टाइम भी उन्होंने नहीं लिया था । पौने दो घंटे की बात थी ।

श्री नेकराम शर्मा—मैं चौधरी साहब से, बनारसीदास और मुजफ्फर हसन से कहूंगा कि जिस तरह से असेम्बली की हालिडे होती है उसी तरह से प्लान की हालिडे (छुट्टी) करनी पड़ेगी । ५ साल के लिये प्लान स्थगित कर दीजिये और जो पुरानी स्कीम्स हैं उन्हें चलाइये, नई स्कीम मत चलाइये । १,८०० करोड़ हमारा स्टर्लिंग बैलेंस था इग्लैंड के पास और अब वह १०० करोड़ रह गया है । ८५ करोड़ रिजर्व बैंक के पास है। २,३०० करोड़ चाहिये फारेन एक्सचेंज के लिये । अगर आपने प्लान में हालिडे नहीं की ५ साल के लिये तो सारा प्लान चौपट हो जायगा । अगर आप प्लान को स्थगित करते हैं तो आपकी स्कीम्स पूरी हो जायंगी और उनके बाद आप नई योजना सामने लाइये । आपको आज अमेरिका से, रूस से, दूसरे देशों से कर्ज लेने पड़ रहे हैं और प्रदेश की हालत यह है कि ३९१ करोड़ कर्ज है और प्रदेश की हालत खराब होती जा रही है और किसानों की औसत आमदनी एक साल में ४२ रुपये रह गयी है। यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं । चौधरी साहब ने कहा था जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट पास करते समय कि सवा ६ एकड़ अनइकोनामिक होल्डिंग है । तो अब आप कहिये कि वह १०, १५ एकड़ होना चाहिये क्योंकि प्लान और आडिट रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रदेश की हालत गिरी है ।

विकल जी ने कहा कि सरकारी फार्म बिना लगान के इतना खर्च करने पर भी मुनाफे में नहीं चल पाते । लाखों के घाटे में चलते हैं तो किसान कैसे फायदे में चल रहा है । मैं सेंटर को भी चेतावनी देता हूं कि प्लान में हालिडे नहीं की तो सारी इकोनामी नष्ट भ्रष्ट हो जायगी । फारेन कंट्रीज से कहां तक लोन लीजियेगा । केवल ६६० करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा है और इंगलैंड के साझा बाजार में शामिल होने पर, करीब-करीब शामिल हो ही गया है, आपकी इकोनामी पर इतना भयंकर कुठाराघात होगा कि आपके सारे देश व प्रदेश की इकोनामी खत्म हो जायगी और प्लान के नाम पर जो आप रुपया मांगा करते हैं वह नहीं मिलेगा । फिर प्लान एक कंटिनुअस प्रोसेस है । हमने फर्स्ट और सैकिंड फाइव ईयर प्लान्स में जो लक्ष्य निर्धारित किया था पहले उन्हें प्राप्त कर लें और किसानों पर टैक्स न लगायें और पुरानी स्थिति को मजबूत करके तब आगे बढ़ें तो खुशहाली होगी । प्लान आप बनाते चले जा रहे हैं और फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता । ये सब दिक्कतें हैं । बचत हो जाती है और स्कीम्स आपको छोड़नी पड़ती हैं ऐसा आप कहते हैं । तो मैं कहता हूं कि हालत बहुत गंभीर है और अगर हालत गंभीर न होती तो क्यों नेहरू जी, देसाई जी और मेनन साहब आज कर्ज मांगते फिरते हैं । आप एक पत्र नेहरू जी को लिखें कि प्लानिंग कमीशन जितना रुपया दे सकता है दे दे, हम रुपया नहीं जुटा सकते और प्लान की हालिडे मान लीजिये और ५ साल के लिए योजना की छुट्टी कर दें । ५ साल तक जो आपकी स्कीम्स हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया है पहले वह कम्प्लीट हो जायं तब आगे बढ़िये ।

इस विधेयक के उद्देश्य में ठाकुर साहब ने लिखा है:—

"to encourage the evolution of asingle tenure system of peasant proprietorship"

मैं पूछना चाहता हूं चौधरी साहब कि इससे कैसे और कौन सी धारा से सिंगिल पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप कायम होगी । आज भूमि धर, सीरदार और असामी तीन तरह के किसान हैं । इस बिल की कोई धारा बता दीजिये जिससे सिंगिल पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप आ जायगी, एक तरह का किसान हो जायगा, हां एक चीज होगी, जैसा कि विकल जी ने कहा है कि जीजा बने हैं वह बड़े जीजाजी बन जायेंगे और किसान बरबाद हो जायेंगे । फ्रैगमेंटेशन शुरू हो जायगा ।

[श्री नेकराम शर्मा]

हर आदमी कहेगा कि ८ एकड़ तक होगा अपने खाते अलग-अलग करना शुरू करेगा और जो चौधरी साहब नहीं चाहते थे यह शुरू होगा और जिस किसान को आप मालदार बनाने की सोच रहे हैं वह मुकदमेबाजी में फंसेगा। धारा १०, धारा ११ कोई भी पढ़ ले। सब में यही मिलेगा। किसान बेचारा बिलकुल पढ़ा लिखा नहीं है। वह रिटर्न बनवाने के लिये वकीलों के पास दौड़ेगा और बनवायेगा तब पेश करेगा। इसमें जो कुछ उसके पास है उसे देना पड़ जायगा और मजा यह है कि किसान के लिये तो अपील का समय १ महीने का समय लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लिये ३ महीने का समय रख लिया है। यह कहाँ का का इंसाफ है ?

हमने माँग की थी कि प्रदेश में डेमोक्रेसी की सफलता के लिये एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग होना चाहिये। लेकिन यह क्या हुआ है। इस बिल में किसान के लिये एस० डी० एम० अपीलेट अथारिटी है। वह कौन है। एक्जीक्यूटिव आफिसर। प्रदेश में जुडीशियरी की हालत है क्या आज, वह भी देखिये। माननीय पंत जी चीफ मिनिस्टर थे, माननीय सम्पूर्णानन्द जी थे चीफ मिनिस्टर लेकिन कभी ऐसा काला कानून नहीं आया जिसमें अपील का अधिकार परगनाधीश को हो। पन्त जी ने डेवलपमेंट लेवी की बात कही थी। पार्टी की ५ मीटिंगों में बहस हुई और मतदान होने पर ३४ पन्त जी के पक्ष में और ४८ पंत जी के खिलाफ। पंत जी ने उसको ड्राप कर दिया। शान्ति प्रपन्न जी कहते हैं कि पहले पार्टी मीटिंग में आओ तब यहाँ कहो लेकिन यहाँ तो यह बिल कैबेनिट से पास हो कर सीधा आया बिना पार्टी में गए और विकल जी, विकल जी के साथियों ने जब शोर मचाया तब पार्टी में राय के लिये लाया गया। चौधरी चरणसिंह जी के प्रयत्न से आया जिन्होंने उतना बड़ा काम किसानों के बचाने के लिये किया है जो इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा और इतिहास उनको याद रखेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसानों में आप भी पैदा हुये, किसानों के लिये लड़े, जेल गये, और यह बिल पेश किया। आपने ही कहा था कि किसानों की कभी हकतलफी नहीं करेंगे। इस वक्त आप हमें रास्ता दिखाइये।

बनारसीदास जी कहते हैं कि ३ करोड़ रुपया दिलवा दो तो हम वापस ले लें। एक रास्ता तो मैंने बताया कि विलायती शराब का आक्शन शुरू कर दीजिये। दूसरे जितना बकाया पूंजीपतियों पर है उसको तुरन्त वसूल कर दीजिये। किसान अगर एक दिन मालगुजारी नहीं दे पाता तो उसे मुर्गा बना दिया जाता है। हमारे यहाँ कलेक्शन अमीन सस्पेंड हुये इसी बात के लिये। मैंने किसानों को कलेक्शन अमीनों के हाथ गिरफ्तार होते हुये और पिटते देखा है क्योंकि वे गरीब हैं लगान समय पर नहीं दे पाते वरना क्यों एक अमीन से बेइज्जत होते। जिस किसान के लिये आपने आजादी की लड़ाई लड़ी उस किसान को एक मामूली कलेक्शन अमीन गिरफ्तार कर लें, उसको पीटे। इतना बड़ा अत्याचार उस पर क्यों हो रहा है। माना कि पहले उस पर अत्याचार होते थे, रिश्वत थी, बेगार थी, सब बात थी, लेकिन जिस तरह से आज कलेक्शन अमीन उनके साथ व्यवहार करता है वह बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा आप मिनिस्ट्री का साइज कम कर दीजिये। पहले ६ मिनिस्टर थे, अब ८ रख लीजिये। बाकी से कहिये कि इस्तीफा दें और कांग्रेस में जाकर काम करें या एम० एल० ए० बने रहें। इससे फिजूलखर्ची कम होगी। कारें ५८ हजार की आयी हैं। जो कारें चल सकती थीं वे सब बेच दी हैं। इन कारों को पूल करिये और एक सीट रिजर्व कराइये जैसा आपने वचन दिया था। इसके अलावा आप प्राइवेट मोटर आपरेटर्स को नेशनलाइज क्यों नहीं करते।

गेंदासिंह जी शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की बात बहुत दिन से कह रहे हैं। उसे आप नेशनलाइज करें। प्राइवेट मोटर आपरेटर्स को नेशनलाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कर चुके हैं। इससे आपको २ करोड़ रुपया साल की आमदनी होगी। दूसरा आप काम यह करिये कि दौरा कम कर दें। कोई जरूरत नहीं कि एक जिले में चार-चार मिनिस्टर्स के जाने की। आपको खबर आ जाती है, डी० सी० सी० के लोग मौजूद

हैं, सब बातें हैं। आपने बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों को कम करने का वचन दिया था लेकिन कम किये आपने चपरासी। गरीबों की तनख्वाहें काटीं। किसी बड़े को छू नहीं पाये। आप नीचे जाइये तो सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, जाने क्या-क्या पद लिखे हुये हैं और स्पेशल पे भी है। ये आपको खा जायेंगे। आप होशियार रहें। अगर आप होशियार रहे तो ये योजनायें सफल हो जायंगी।

माननीय राममूर्ति जी ने एक इरीगेशन का चीफ इंजीनियर इंचार्ज बना दिया है। एक नयी पोस्ट क्रियेट कर दी। लेकिन माननीय राममूर्ति जी के विभाग में १७, १७ साल से इंजीनियर्स टैम्पोरेरी है। वे क्यों अच्छा काम करेंगे जब वे जानते हैं कि कल को राममूर्ति जी उन्हें निकाल देंगे? इसलिये उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस होनी चाहिये। टाप हैवी एक्सपेंडीचर को कम करना चाहिये। आज चीन से लड़ाई हो रही है। हम लोग कट कराने के लिये तैयार हैं और देश की रक्षा के लिये जो नौजवान लड़ रहे हैं वे किसानों के लड़के हैं प्रजातंत्र में सिटीजन या किसान, जिसको फ्रेन्चाइज का हक हासिल है वह राजा कहलाता है। रणस्थल में लड़ता किसान का लड़का यह देखेगा कि उसके घर पर कर लादा जा रहा है तो उसे भी बुरा लगेगा अतः किसानों पर अब भार न डालिए।

सबसे पहले मकानों में प्रायोरिटी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। गौतम पल्ली में सरकारी कोठियाँ बनीं और भी जो कोठियाँ बनती है तो एलाटमेंट उनका सरकारी कर्मचारियों को ही होता है। इन सरकारी कर्मचारियों के पास अपनी स्वयं की कोठियाँ मौजूद हैं और सरकार से कर्ज लेकर बनाई हैं, उनको ये लोग २००–३०० रुपये माहवार किराये पर उठाये हुये हैं और सरकारी कोठियाँ लिये पड़े हैं। आजकल हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिये तो एकोमोडेशन नहीं है। वे मारे-मारे फिर रहे हैं और ये सरकारी कर्मचारी किराये से फायदा उठा रहे हैं। या तो इनकी कोठियों का किराया सरकार को जाना चाहिये क्योंकि इन्होंने कर्ज लेकर कोठियाँ बनाई हैं या फिर ये अपनी कोठियों में रहें। इंगलैंड में श्रीमन्, लोग मकान बनाते हैं तो वहाँ एक रूल बना हुआ है कि वे उनको सिटीजन्स को ही देंगे। इसी तरह से रूस में में भी मकान नागरिकों को ही दिये जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को मकान दिये जाते हैं और ऐसे कर्मचारियों को भी दिये जाते हैं जिनके स्वयं के मकान हैं।

श्रीमन्, इन सरकारी कर्मचारियों में भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन आपको यदि सोशलिज्म लाना है तो उनको सोशलिस्ज्म में ट्रेन करना पड़ेगा, इनका आउटलुक बदलना पड़ेगा। ये लोग हौआ दिखा कर हमारी इकोनोमी को बरबाद कर रहे हैं, ये हमारे प्रदेश को बरबाद कर रहे हैं। इनको तो नौकरियाँ चाहिये। इसके लिये ये सब कुछ करने के लिये तैयार रहते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से सरकारी कर्मचारी सम्पूर्णानन्द जी के पास जाते थे और गुप्त जी के खिलाफ कहते थे, आज वे ही गुप्त जी के भक्त बने हुये हैं ऐसे लोगों से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं।

इसके बाद श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कुनबापरस्ती की वह बिरादरीपना और निपोटिज्म को समाप्त करें और जो कसौटी बनाई थी उसी को अपनाये। चौधरी साहब, आपने भी उस मैगनाचार्टा पर दस्तखत किये थे। आप उनसे कहिये कि वे उस पर चलें। आपने उस समय हमारी बात नहीं मानी और उधर चले गये। उसका फल हम आज भोग रहे हैं। जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा था कि रोम जल रहा था तो नीरो फिडिल बजा रहा था। वही आज हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे देश और प्रदेश की जनता आज हाहाकार कर रही है, जनता भूखी और नंगी है लेकिन गुप्त जी और उनके साथी कोठियों में मौज कर रहे हैं। चौधरी साहब ने मंत्री पालीवाल जी से कहा था कि कौंसिल हाउस से पैदल चल कर आया कीजिये। तो आज चौधरी साहब इनको समझायें। अगर चौधरी साहब की बात वे न मानें तो वे हमारे साथ आयें और हमारा नेतृत्व करें। अगर पूर्वी जिले के मिनिस्टर ज्यादा हैं तो हम पश्चिमी यू० पी० बनायेंगे और आपको उसका चीफ मिनिस्टर बनायेंगे। उपाध्यक्ष

[श्री नेकराम शर्मा]

महोदय, मैं आप से भी कहता हूं और पूर्वी जिलों के साथियों से भी कहता हूं कि अगर आप इस विधेयक को वापस करा दें तो हम बटवारा नहीं चाहते हैं। मैंने बहुत समय ले लिया है इसके लिये मैं सदन से क्षमा चाहता हूं। मैं अन्त में चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इनको सही सलाह दें। अगर ये आपकी बात न मानें तो आप हाई कमान्ड के पास जायं और अपने साथ विकल जी तथा अन्य मंत्रियों को भी ले जायं और उनसे कहिये कि अगर आप प्रदेश को और कांग्रेस को खत्म करने पर तुले हुये हैं तो तुल जाइये। जिस तरह से आपने अनडेमोक्रेटिक तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाया उसी तरह से किसानों को मिटाने के लिये आप तुले हुये हैं। यह आपकी धर्मशाला रखी है। जय हिन्द। हम जा रहे हैं किसानों का काम करेंगे।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मैं एक बार खड़ा हुआ और आपने समय फौरन दे दिया।

कम्युनिज्म विचारधारा का जन्मदाता ग्रीस का एक महान् फिलासोफर हुआ है। उसका नाम है प्लैटो। प्लैटो के एक कोटेशन से मैं अपना वक्तव्य प्रारम्भ करता हूं। प्लैटो ने यह कहा है—

"Unless a king is a philosapher and a philospher is a king, the city will not cease from ill." विचारक और राजा यह दोनों विशेषतायें एक मनुष्य में होनी चाहिये। जब मैं राजा की बात करता हूं तो राजा का मतलब १९६२ के राजा से नहीं है। प्लैटो ने अबालिशन आफ प्रापर्टी और अबालिशन आफ फैमिली भी बताया। किंग या फिलासफर जो होते थे ग्रीस में उनके पास फैमिली और प्रापर्टी नहीं होती थी। बिलकुल आजाद। एक छत्र राजा होते थे। They were supposed to be neutral. जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वह न्यूट्रल हुआ करती थी। क्योंकि उनको फैमिली और प्रापर्टी की कोई चिन्ता नहीं थी। वह वास्तव में सिटी की सेवा करते थे। कार्ल मार्क्स का तो १९वीं शताब्दी में जन्म हुआ। कम्यूनिज्म की जो विचारधारा प्लैटो ने चलाया था उसी को कार्ल मार्क्स ने लिया। सोशलिस्ट रशा और दूसरे कम्युनिस्ट देशों ने उन्हीं विचारधाराओं को किसी न किसी रूप में तोड़ मरोड़ कर रख लिया है।

आज हमारी वर्तमान सरकार सोशलिज्म का नारा लगा रही है और कहती है कि हम तो समाजवादी ढंग से समाज की रचना करना चाहते हैं। लैंड होल्डिंग टैक्स बिल जो आज सदन में उपस्थित हुआ है यह सोशलिज्म की तरफ सरकार का एक कदम है। वह कैसे, यह मैं बतला रहा हूं। अबालिशन आफ फैमिली—यह बिल अगर पास हुआ और कार्यान्वित हुआ तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब कि प्लैटो की अबालिशन आफ फैमली और अबालिशन आफ प्रापर्टी यहाँ भी आयेगा। लेकिन प्लैटो के अबालिशन आफ फैमिली और अबालिशन आफ प्रापर्टी में और वर्तमान सरकार के अबालिशन आफ फैमिली और अबालिशन आफ प्रापर्टी का जो कदम है दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। वह मैं बतला देना चाहता हूं। सरकार यह जो लैन्ड टैक्स लगा रही है यह टैक्स ऐसा है, वह ऐसे वर्ग पर लगने जा रहा है जो वर्ग दुखी है, त्रस्त है, पीड़ित है। तो उस पर टैक्स लगाकर के उसकी फेमिली को तो आप एबालिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की फैमिली को नहीं एबालिश कर रहे हैं। उसकी प्राइवेट प्रापर्टी को तो एबालिश कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट की प्राइवेट प्रापर्टी को नहीं एबालिश कर रहे हैं। यहाँ आप न्यूट्रल नहीं हैं और श्रीमन्, सरकार ने यह घोषणा की है कि हम तो आठ एकड़ की छूट देंगे। लेकिन हम मान्यवर, कैसे विश्वास करें कि सरकार जो वचन आज दे रही है उसको निभायेगी क्योंकि जिस समय आपने जमींदारी प्रथा तोड़ी थी तो क्या-क्या वचन दिये थे, क्या क्या वादे किये थे? आपने यह वादा किया कि ५०० रुपये तक का जमींदार जो है वह तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक किस्म से ऐग्रीलकचरिस्ट है और उसको हम नहीं छुयेंगे, वह जहाँ का तहाँ रहेगा, लेकिन कैसा धोखा हुआ उन बेचारे ५०० रुपये के जमींदारों को ? वह भी चले गये, उनकी भी जमींदारी तोड़ दी गई। उसके बाद २०० पर आये, उनकी भी तोड़ दी गई। फिर अभी हाल में भूमिधरी दिया और कहा कि दस गुना जमा कर दो, खूब बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा हुआ और कहा कि ४० वर्ष तक आधा लगान तुमको देना पड़ेगा। वहाँ भी आप चूक गये और किसानों को धोखा मिला। तो आज जो कहते हैं कि ८ एकड़ तक छूट देंगे उसका हमें तो विश्वास नहीं होता क्योंकि देहातों में एक कहावत है कि सारंगी का एक तार जब बजा तो पता चल जाता है कि गीत किस ढंग का आयेगा। तो जितने भी वादे आपने किये भूतकाल में, उन सब वादों से आप विचलित हो गये। इसलिये हमारा यकीन, हमारा विश्वास अब बहुत कम है।

मान्यवर, एक मोटी बात मैं और सरकार से कहना चाहता हूं, अंग्रेजी की एक कहावत है—History repeats itself.

(इस समय ४ बजकर ३० मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इतिहास अपने को सदा दोहराता रहता है। जो राजा है, जो सरकार है, वह अगर न्यायी है, न्याय पसन्द है तो वह सरकार ज्यादा दिन तक टिकाऊ होती है। जो सरकार न्यायी नहीं है, न्याय पसन्द नहीं है, बहुत जल्दी उसका खात्मा हो जाता है। विश्व का इतिहास इसका साक्षी है। हम हिन्दुस्तान के मोहमडन पीरिअड को पहले लेंगे। देखिये, बाबर हुआ, वह बेचारा लड़ाई झगड़े में फंसा रहा। अन्यायी नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि उसका वंश चला। हुमायूं हुआ। उसके बाद अकबर हुआ। Akabar is Considered to be great in the Indian history. अकबर 'भारत के इतिहास में महान कहा जाता है। उसके बाद जहाँगीर हुआ, फिर शाहजहाँ हुआ। शाहजहाँ का युग स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन शाहजहाँ के बाद औरंगजेब ने क्या किया। उसने शाहजहाँ को गिरफ्तार कर लिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि मुगल एम्पायर खत्म हो गया। Aurangzeb is the last Moghal Emperor in the Indian history. तो अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलता। अंग्रेजों का ही देख लीजिये। एक बात और कहूं। मगर एक बहुत विषैला जानवर पानी का होता है। उसके मुंह में जब रक्त लग जाता है तो वह क्या तलाशता है ? शिकार। वह नहीं चाहता कि उसके मुंह का रक्त सूख जाय। वह तो चाहता है कि हमेशा यह रक्त हराभरा बना रहे। यही कोशिश वह हमेशा करता है। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि वह सदा, सर्वदा के लिये अपनी हुकूमत यहाँ बनाये रखें। हमारे माननीय सूचना मंत्री जी ने बताया गांधी जी के शब्दों में—What is impossible can be possible, that I will show. "अंग्रेजों ने कभी यह सोचा ही नहीं था कि उनके राज्य का कभी खात्मा होगा। उनके मुंह में रक्त लगा था। लेकिन गांधी जी ने उन्हें भगा दिया। चर्चिल ने गांधी जी को कहा था कि He is a naked faqir. किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि गांधी जी स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़कर भारत को आजाद करेंगे। लेकिन उन्होंने भारत को आजाद किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। हम अपनी कांग्रेस सरकार से भी वही प्रार्थना करते हैं कि जरा ठंडे दिमाग से सोचिये। आज आप यह न सोचिये कि यह गद्दी, जो आपको मिली है, यह सदा, सर्वदा बनी रहेगी। अगर गाँधी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में क्रांति हो सकती है और वह अहिन्सा संबंधी क्रांति कही जाती है और अंग्रेजों को भगाया जा सकता है तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश और हमारा देश भारत, जो किसानों का देश कहा जाता है यह देश खेतिहर देश है, यहाँ का किसान दुखी है, गरीब है उसको आप सताइये नहीं। "मुई खाल की साँस से लोह भस्म हो जाय"।

आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये रुपये की आवश्यकता है। आपके पास दूसरे भी सोर्सेज हैं। वहाँ से आप ले सकते हैं लेकिन आप उन सोर्सेज को टैप नहीं करना चाहते हैं। बल्कि शोषित वर्ग का ही और शोषण करना चाहते हैं। इसी संबंध में मुझे एक कहानी याद

[श्री श्यामलाल]

आ गई । यह बड़ी रुचिकर कहानी है इसको मैं सुनाना चाहता हूं । उस पर हंसने की आप लोग कृपा न करें । जब कभी मैं बोलना शुरू करता हूं तो उधर से हमारे माननीय सदस्य हंस देते हैं तो मैं अनुत्साहित हो जाता हूं । वह कहानी यह है कि एक बाघ था । बड़ा बूढ़ा हो गया था । एक बार वह एक दल-दल में फंस गया । उसको भूख लगी तो वह खाना कहाँ से पाये यह उसको फिक्र थी । उस वक्त उसने एक सोने का कंकन अपने हाथ में लिया और सोचा कि इससे किसी को फंसाया जाय । उधर से एक ब्राह्मण देवता निकल पड़े और उस बाघ ने उस ब्राह्मण देवता को यह बेंगिल दिखाया कि लो यह सोने का है । ब्राह्मण देवता थोड़ा लालची थे तो लालच में आ गये मगर उस दलदल में जायें कैसे । उन्होंने कहा कि भाई यह भूखा है अगर इसके पास जायेंगे तो यह खा जायगा । यह देखकर उस बाघ ने कहा कि घबराते क्यों हो । मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे अब ताकत नहीं रह गई है । वह बेंगिल मैं तुमको दान करना चाहता हूं और तुम जैसा महापुरुष हमको कहाँ मिलेगा । तुम इसको ले लो । उस ब्राह्मण देवता को पता नहीं था कि उसके दाँत और पंजे बहुत तेज हैं । वह लालच में आकर दलदल में उसके पास गया और वह बाघ उसको उसी दलदल में मारकर खा गया । यह सरकार काँग्रेस की है और काँग्रेस संस्था ८० वर्ष बूढ़ी हो चुकी है लेकिन वह आज दलदल में फंसी हुई है । इसके पास एक सोने का बेंगिल है पंचवर्षीय योजना, जो दो तो समाप्त हो गई और तीसरी अब चल रही है और चौथी, पांचवी, छठी और न मालूम कितनी पंचवर्षीय योजनायें आ रही हैं । यह सरकार ब्राह्मण देवता रूपी किसानों की क्लास को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही है । पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह किसान बुद्धू बना और अब तीसरी में वह बनने वाला नहीं है । मान्यवर, आप के माध्यम से सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि अब्राहिम लिंकन दि एक्स प्रेसीडेन्ट आफ यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका सेड वन टाइम---...

"One man can befool one individual for all the time, one man can befool the whole of the society for some time, but one man cannot befool the whole of the society for all the times."

श्री अध्यक्ष---श्यामलाल जी क्या आपने कहा एक्स-एब्राहीम लिंकन ?

श्री श्यामलाल---आई एम सारी । लेट एब्राहीम लिंकम का वाक्य है कि एक व्यक्ति सदा सर्वदा के लिये किसी मनुष्य को बुद्धु बना सकता है, एक मनुष्य सारे समाज को कुछ दिन के लिये बुद्धु बना सकता है, लेकिन एक मनुष्य सारे समाज को सदा सर्वदा के लिये बुद्धु नहीं बना सकता । उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय कही जाने वाली वर्तमान कांग्रेस सरकार, समझ ले, पेजेन्टरी क्लाज आर अवेक । उत्तर प्रदेश का किसान वर्ग जाग चुका है । आज का किसान वर्ग १९४७ का किसानवर्ग नहीं है । वह अब बहुत आगे बढ़ चुका है । मान्यवर, इस सरकार में बड़ी विशेषता है । माननीय सूचना मंत्री जी ने बतलाया कि हम जीतते हैं और आप लोग अलग-अलग हैं । हम क्या करें । आपने भी वही सिद्धांत अख्तियार किया अपने भाइयों की गर्दन काटने के लिये जो कि अंग्रेजों ने अख्तियार किया था-डिवाइड ऐन्ड रूल । बांटो और राज राज करो, इसी सिद्धांत को आपने भी अख्तियार कर लिया । फिर फर्क क्या रहा ? मान्यवर, अंग्रेज तो विदेशी था । वह डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी अख्तियार किये रहा और यहां २५० साल तक राज करता रहा । दैट वाज टेरिबिल सर, लेकिन यह हमारी ही सरकार, अपनी देशी सरकार, अपने ही भाइयों के साथ इस तरह चीट करे, धोखा करे, डिवाइट ऐंड रूल की पालिसी अख्तियार करे, यह क्या है ? यह जो स्वतंत्र पार्टी के एम० एल० एज० आये हैं यह रिएक्शनरीज हैं इसका मुझे पता नहीं था । यहां आ कर ही पता चला । मैं कहता हूं कि यह लोग इसलिये आ गये कि आप अपने हित में इतने व्यस्त हो गये कि आप राष्ट्र का, प्रदेश का, देश का हित भूल गये और उस भुलावे के कारण इतने लोग असेम्बली में आ गये.....

श्री अध्यक्ष---यह नोकांफीडेंस मोशन नहीं है, अब आप बिल पर आ जाइये ।

श्री श्यामलाल---श्रीमन्, मैं उसी पर आ रहा हूं । मान्यवर, संस्कृत में एक श्लोक है---विनाश काले, वितपरीत बुद्धिः । यह सरकार पर हुबहू लागू हैं । किसान की वजह से ही

सरकार जीती है और आज वह किसान का गला काटने में ही संलग्न है । मैं बहुत बड़ा किसान नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि सरकार की जो नीति है वह अगर सफल हो गयी तो क्या स्थिति होगी । हमारे जैसे नवयुवकों के हाथ पैर बांधे जायेंगे । मैं भविष्य वक्ता तो नहीं, बड़ा ज्योतिषी भी नहीं हूं, लेकिन जितना ज्ञान है उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पहले दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था स्लेवरी । गुलाम संस्थायें थीं जिनमें गुलाम बेंचे जाते थे, उनकी खरीद फरोख्त हुआ करती थी । यह वर्तमान सरकार एक दूसरे किस्म की गुलामी की संस्था है, स्लेवरी का इन्सटीट्यूशन है । यह बिल कोई उचित बिल नहीं कहा जा सकता है । कभी-कभी यह सरकार यह नारा लगाया करती है कि हम तो क्लास लेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं । इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि सोसाइटी की स्थापना दो प्रकार की होती है, एक निगेटिव और दूसरी पाजिटिव क्लास लेस सोसाइटी । सरकार की जो नीति है वह पाजिटिव क्लास लेस सोसाइटी की स्थापना करना नहीं है । पाजिटिव क्लास लेस सोसाइटी वह है जिसमें प्रदेश में जितने भी लोग हों सब खुशहाल हों और कोई भेद-भाव न हो । सब मनुष्य बराबर हों । यह तो हुई पाजिटिव क्लास लेस सोसाइटी । निगेटिव क्लास लेस सोसाइटी वह है जिसमें प्रदेश में जितने भी लोग हों सब बराबर हों, चाहे सब दुखी हों और गरीब हों परन्तु सब बराबर हों । जिस प्रदेश में ९० फीसदी लोग गरीब हों और दुखी हों तो अपने आप वहां निगेटिव क्लास लेस सोसाइटी हो गई । हमारे एक पी० एस० पी० के माननीय सदस्य, श्री कल्पनार्थसिंह ने एक उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया था कि हमारे देवरिया में एक परिवार का परिवार आम की गुठली सड़ी हुई खाकर मर गया । उसको बहुत दिनों से खाने को नहीं मिला था । इस तरह से वह पूरी फैमिली की फैमिली मर गई । इस तरह की बातों से कितना दुख होता है वह आप स्वयं सोच सकते हैं ।

एक बात और कि सरकार की तरफ से अक्सर यह कहा जाता है कि हमारा किसान बहुत बड़ा खुशहाल है और बड़ा सुखी है । तो मैं यही कहने को बाध्य हो जाता हूं कि "गवर्नमेंट इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज" । पता नहीं कि सरकार कैसे कहती है कि किसान बड़ा सुखी है । परन्तु हमारा किसान वर्ग इतना दुखी है कि उसको दोनों वक्त भर पेट खाना तक नहीं मिलता है और तरह-तरह की बीमारियों से वह पीड़ित है । यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप स्वयं किसी दिन वेश-भूषा बदल कर अस्पतालों में जाकर देख लें और इसकी जानकारी प्राप्त करें तो आपको कथन की सत्यता पर विश्वास हो जायगा । आप देखें कि टी० बी० के मर्ज में उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हो गई है । यह मर्ज तो विशेष कर गरीबी से ही होता है । अगर बढ़िया नरिशमेंट मिले तो यह रोग कभी न हो । गरीबी खुद ही एक बहुत बड़ा मर्ज है । यह सरकार गलत कहती है कि गरीबी मिट रही है । आपकी कई पंचवर्षीय योजनायें बन गईं परन्तु जनता आज भी गरीबी से, भुखमरी से पीड़ित है और आप प्रदेश से गरीबी मिटाने में सफल नहीं हुये हैं । इसका मतलब तो यही है कि गद्दी पर हमको बैठा रहने दो और पंचवर्षीय योजनाओं को चलने दो ।

एक बात मैं आपको और बताऊं कि आपने यह जो ब्लाक्स खुलवायें हैं, जो पंचायतें हैं, जो बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि हम तो पुरानी भारतीय पद्धति को लाना चाहते हैं और प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनः चालू करना चाहते हैं, तो वह एक बहुत बड़ा उपहास है । आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कि फलाने प्रधान की हत्या हो गई वह मारा गया, क्योंकि वह करप्ट प्रैक्टिस अख्तियार करता था । हमें सोचना है कि आज प्रधान इतना पैसा नाजायज तरीकें से कमा ले रहा है जितना एक डिप्टी कलेक्टर जायज तरीके से महीने में पाता है । गांवों में कितना परेशान कर रखा है प्रधानों ने किसानों को ? बाप रे बाप ! मैं बस्ती जिले का हूं, वहां आपकी कंसालिडेशन स्कीम चल रही है । मैं जब जाता हूं "There is a long queue of applicants who have been suppressed and repressed by the consolidation officer."

[श्री श्यामलाल]

लम्बी क्यू बनती है और अगस्त के महीने में ८० कम्पलेन्ट्स हमने सेंट्रल कंसालिडेशन आफिसर्स को दी है। कितनी परेशानी है, मेरा हृदय जानता है। मुमकिन है कि मंत्री लोगों को न मालूम हो, वह तो कार पर दौड़ते हैं, हवाई जहाज पर बैठकर हवा में उड़ते हैं, जीप में हवा खाते हैं....

श्री अध्यक्ष—जरा बिल पर भी बोलिये। टैक्सेशन पर भी हम कुछ सुनें।

श्री श्यामलाल—उसी से मतलब है हमारा।

श्री अध्यक्ष—५ बजे समय समाप्त हो जायगा तो दिक्कत होगी।

श्री श्यामलाल—क्या हमारे ही लिये कोई दूसरा कानून बन रहा है या बनेगा? अभी वह ढाई घंटे बोले हैं।

श्री अध्यक्ष—उनके ४० मेम्बर हैं, आपके ८ हैं। ८ के हिसाब से....

श्री श्यामलाल—हमारा व्याख्यान पसन्द न हो तो आपके आदेश से बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—५ बजे तक खत्म कर लीजिये।

श्री श्यामलाल—सरकार रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही है, कहती है कि टैक्स वसूल करते हैं! अब हम पटवारी नहीं रखेंगे, प्रदेश में लेखपाल रखेंगे। "What is the difference between Lekhpal and patwari." रेवन्यू और टैक्स में फर्क क्या है? सरकार मेरे दृष्टिकोण में बहुत बड़ा मैजिशियन और जादूगर है, उसके पास जादू का डंडा है, अलाउद्दीन का लैम्प है कि मन में जो आया वह कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन का लैम्प तो "was for construction, but yours is for destruction." आप तो पूरे प्रदेश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं और एक डिक्टेटोरियल रोल प्ले करने जा रहे हैं और हम सब को गुलामी की जंजीरों में बांधने जा रहे हैं, जिस तरह कि हम सोवियट रशा में और दूसरे योरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज में पाते हैं। इस सदन में कम्युनिस्टों की और इस सरकार की विचारधारा कुछ मिलती जुलती है। डेमोक्रेसी का यह सरकार बहुत नारा लगाती है। डेमोक्रेसी की सरकार वह सरकार होती है कि जो जनता की, जनता के लिये और जनता द्वारा चलाई जाती है। हमारे प्रदेश में जो डेमोक्रेसी है वह कुछ चुने हुये लोगों की, चुने हुये लोगों के लिये और चुने हुये लोगों द्वारा चलाई जा रही है। यह एक व्यापारी वर्ग का शासन है और उसीकी सरकार है। यह मैं इसलिये कहता हूं कि आज किसानों के हितों पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। उनकी जमीन आज छीनी जा रही है उद्योगपतियों के लिये, और उसका उन्हें मुआवजा न देने के बराबर दिया जा रहा है। एक बात और है। सरकार की यह भी नीति है कि उद्योग के लिये जो भी जमीन लो वह लो जो बहुत उपजाऊ हो। उसी के करीब जो दूसरी कम उपजाऊ जमीन होती है उसे यह सरकार नहीं छीनती। सरकार जानबूझ कर ऐसी जमीन ले रही है जो फर्टाइल होती है। उसका मुआवजा बहुत ही कम दे रही है।

श्रीमन्, देहातों में हमारे किसान गाय, भैंस आदि पालते हैं। सरकार इस नाम पर कि हम खेतों में अन्न पैदा करेंगे, चरागाह तक अपने कब्जे में कर लिये हैं। चरागाह यह सरकार खत्म कर रही है अब वहां लोगों के पास गाय, भैंस चराने के लिये चरागाह तक नहीं रह गये हैं। सरकार घी-दूध का भी बन्दोबस्त अपने हाथ में ले रही है। इसी का नतीजा यह है कि आज १० रुपये सेर में भी अच्छा घी नहीं मिल रहा है जो कि पहले २/३ रुपये सेर में मिलता था। आपने देश का रंग ही बदल दिया है। अब आप प्राइवेट लाइफ तक में हस्तक्षेप करने लगे हैं। सरकार का विजनेस क्या है? सरकार का विजनेस होता है खूबी के साथ शासन को चलाना।

सरकार ने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। मैं यह नहीं कहता कि वह बुरा किया। लेकिन सरकार उसको किसी दूसरे रूप में कर सकती थी। आज सरकार उसी काम को करे जिसे पहले जमींदार किया करते थे तो यह देख कर दुख होता है और यह मुझे पसन्द नहीं है। सरकार जमींदारी खत्म करके खुद जमींदार बनती जा रही है। छोटे छोटे व्यापारियों के व्यापार

को लेकर स्वयं व्यापारी बनती जा रही है। देहात की एक कहावत मुझे याद आ गई। हंसेंगे नहीं, आप लोग।

१०० मन मैंने आटा खाया, १०० मन मैंने खाया चावल,
१०० पुखरे का पानी पिया, ७ समन्दर मैंने पिये,
मगर कुछ नहीं खाया, मेरे रावल।

सरकार को करोड़ों रुपया दे दिया जाय तब भी उसका पेट खाली रहेगा। मैं चाहता हूं कि यह सरकार कुछ वर्ष और रहे। लेकिन किसानों की मान-मर्यादा को बनाये रखकर और सहानुभूति प्राप्त करके।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप लोग क्षमा करें। बलवानसिंह जी मुझसे खास तौर से कह गये हैं कि उन्हें बोलने दिया जाय। उन्हें जाना है।

***श्री बलवानसिंह**—श्रीमन्, यह अच्छा है कि इस वक्त चौधरी साहब भी हमारे सामने बैठे हैं क्योंकि जोत-कर विधेयक से किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा इसे वह भी अच्छी तरह जानते हैं। १९५२ में जब जमींदारी खत्म हुई तो बहुत बड़ा तूफान था यू० पी० में। सबसे बड़ी देन इस सरकार की यही है कि उसने जमींदारी खत्म की। उसका एक मकसद था। उसकी कुछ स्प्रिट थी। जिन्दगी थी यह कहने में कि हम किसान का सबसे बड़ा फायदा करने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से जमींदारी खत्म हुई। आज उसी उद्देश्य के ख्याल से किसानों पर टैक्स या मैं मालगुजारी कहूं, बढ़ाने की बात है। हालांकि बिल में अभी तक कुछ तय नहीं है। इसमें १ एकड़ की बात है लेकिन बाद में ८ एकड़ कहा गया है। तो मैं अपनी बात ८ एकड़ पर ही कहूंगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने पहले भी इसके खिलाफ आवाज उठाई कि अगर किसान के हक में आप यह कानून बनाने जा रहे हैं तो उसकी गरीबी पर, हड्डियों पर, मत बनाइये। उस समय हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने भी कहा था कि १२० करोड़ रुपया गांव के अन्दर नहीं है, जोकि यह सरकार जुटाना चाहती थी।

खैर, मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगा लेकिन यह साफ कहना चाहता हूं कि सन् ३५-३६ में ५ करोड़ रुपये रेवेन्यू थी हमारे सूबे की। आज १९६२ में २३ करोड़ और कुछ लाख हो गई। चौधरी साहब ने खुद अपनी अग्रेरियन रिवोल्यूशन में माना है। मेरे पास वह किताब इस वक्त है। उन्होंने कहा है कि जो मालगुजारी अंग्रेजी कोष में जाती थी उससे अब तीन गुनी मालगुजारी हो चुकी है। १९४७ में मेरा ऐसा ख्याल है कि ७ करोड़ रुपया मालगुजारी थी। अंग्रेजी जमाने में जमींदारों से सरकार को ७ करोड़ रुपया प्राप्त होता था और किसानों से जमींदार १८ करोड़ रुपया लेता था। यही एक दर्द इस कांग्रेस सरकार को था। उसी से सन् १९३१ में कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि किसानों पर लगान ज्यादा है और १९५२ में चौधरी साहब और पंत जी ने यह कहा कि किसानों को लूटा जा रहा है अतः सरकार जमींदारी के खात्मे का बिल ला रही है। हम लोगों को खुशी हुई और किसानों ने भी सोचा कि जो जमींदार हमें लूटते थे अब वह लूट नहीं रहेगी। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और मैं तो यह कहूंगा कि उनके साथ ब्रीच आफ ट्रस्ट हुआ। जमींदार जरूर खराब थे, वे जमीन पर कोई मेहनत नहीं करते थे और किसान धूप और जाड़े में मेहनत करता था और अगर वह अपनी मेहनत से खाद आदि डाल कर, इम्प्रूवमेन्ट करके पैदावार को बढ़ा लेता था तो उस पर लगान बढ़ा दिया जाता था। आज मैं चौधरी साहब से पूछ रहा हूं, वे शायद चले गये कि उन ७ करोड़ रुपयों को जो जमींदार देता था उसके बदले में १८ करोड़ रुपया वसूल करता था, ११ करोड़ बिना मेहनत किये उसकी जेब में जाता था। अब उस मालगुजारी के माने क्या हैं? लगान नहीं हैं, लगान के माने हैं रेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवान]

और मालगुजारी के माने हैं रेवेन्यू। रेंट के माने तो यह हैं कि कोई दूसरा आदमी उसका मालिक हो और कोई दूसरा उसका इस्तेमाल करता हो। यानी जमीन उस जमींदार की प्रापर्टी समझी जाती थी और क्योंकि किसान उसका इस्तेमाल करता था, इसलिये उसके एवज में पैसा देता था, इसलिये उसको रेंट कहते थे।

अब इन्होंने कहा कि अब इस रेंट शब्द की कोई जरूरत नहीं है। रेवेन्यू होगा और वह इनकमटैक्स की तरह से आमदनी का एक हिस्सा है। इन्हीं दो शब्दों के ऊपर यह जमींदारी एबोलिशन का बिल लाये थे जिसको आपने एग्रेरियिन रिफार्म कहा। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि काश्तकार मालिक है इसलिये वह अब रेंट नहीं रेवेन्यू देगा।

श्रीमन्, उस समय ७ करोड़ रुपया रेवेन्यू का आता था लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उस रेंट को ही रेवेन्यू कर दिया। कितना बड़ा धोखा आपने किसान को दिया। बनारसीदास जी यहां बैठे हुये थे मैंने कहा कि कांग्रेस बेंचों की तरफ से कोई इस बात का जवाब दे कि क्या उस रेंट को रेवेन्यू में तब्दील करने वाले आप नहीं थे। इस पर भी आप कहते हैं कि किसानों के बड़े भक्त हैं, खैरख्वाह हैं। मैं पूछता हूं आपने किसानों के हक में क्या किया। आपने सन् २५ में अपने वायदे को तोड़ा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या कोई दुनिया में ऐसा पेशा है जिस पेशे पर टैक्स लगता हो लेकिन श्रीमन्, ऐग्रीकल्चर पेशा एक ऐसा पेशा है जिस पर टैक्स लगता है। मिल मालिक जापान या अमेरिका से मशीन मंगाता है। लेकिन उस मशीन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। मशीन को जब वह इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद जब वह उससे साढ़े तीन हजार से ज्यादा आमदनी करता है, तब उस पर टैक्स लगाया जाता है। हिन्दुस्तान के तमाम व्यवसाय, तमाम प्रोफेसन फ्री हैं यहां तक की अगर दर्जी अपनी मशीन का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है लेकिन अगर काश्तकारा एक बीघा जमीन भी जोतता है तो उसके ऊपर मालगुजारी या लगान आ जाता है। तो मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि सन् ३१ में जो आपकी भावना थी मुझे उम्मीद थी और कल कांग्रेस बेंच की तरफ से केवल एक माननीय विकल जी किसानों की भाषा में बोले। उनका भाषण बहुत अच्छा था और उन्होंने किसानों की जिन्दगी का एक नक्शा खींचा था। उनकी स्पीच को सुन कर मुझे ऐसा अहसास हुआ कि शायद ३१ और ४२ की कांग्रेस का कोई आदमी बोल रहा है। लेकिन जब मैंने अपने सूचना मंत्री माननीय बनारसी दास को सुना तो उनकी भाषा तो दूसरी ही थी। उन्होंने सुकरात, ईसामसीह और मोहम्मद साहब यहां तक की गांधी जी का नाम लेते हुये कहा कि कांग्रेस का जो काम है वह इतने पुन्य का है जो कि सुकरात और ईसा मसीह अ वि का था लेकिन ईसामसीह को तो उस वक्त सूली पर चढ़ना पड़ा था। क्या हमारे कांग्रेस बेंचेज के मिनिस्टर हमारे सामने इस बात को कहने के लिये तैयार हैं कि हम जो लैन्ड टैक्स बिल लाये हैं वह इतना बड़ा पुन्य का काम होगा कि आने वाले जमाने में कांग्रेस सरकार को इस तरह की उपाधियां मिलेंगी जैसी कि मोहम्मद साहब को दी गयी थीं। कितना बड़ा धोखा है ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—ईसामसीह की तरह पहले सूली पर तो चढ़ना होगा ?

श्री बलवानसिंह,—यह तो डेमोक्रेसी है, इसमें यह कैसे कहा जा सकता है कि सूली पर चढ़ने की बात आयेगी। यह तो जमाना ही बतलायेगा। मैं भी एक कहावत कह दूं क्योंकि विकल जी और बनारसीदास जी ने भी कहा था, इस देशों में ऐसा है कि एक सांप होता है जिसको साल भर तक लोग गाली देते हैं अगर रात में उनके कमरे में आ जाय तो वह उस कमरे से निकल भागते हैं, लेकिन जिस दिन नागपंचमी होती है, उस दिन हजारों और लाखों की संख्या में लोग उसी सांप को दूध का कटोरा लेकर पिलाते हैं। उसी तरह से इस देश की हालत है कि ५ साल तक लोग इस सरकार को गाली देते हैं, किसान भी गाली देते हैं, टैक्स आदि बढ़ गया है, तमाम बातें कहते हैं सुबह से शाम तक लोग रोजगार के दफ्तर में बैठे रहते हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती, अगर हमारी कान्सटीट्यून्सी से कोई बच्चा आ जाये और यह मालूम हो जाय कि बलवान-सिंह जी की इसमें सिफारिश है तो उसे कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। मिनिस्टर के आदमियों को ही नौकरी मिलती है। यहां गरीबी इतनी ज्यादा है कि ५ साल तक तो लोग गाली देते हैं,

लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो उस वक्त यही सब जाकर कहते हैं कि बोलो जवाहरलाल की जय। तो सारा वोट जवाहरलाल खींच ले जाते हैं। अब तक गांधी जी के नाम पर वोट लिया जाता था, पता नहीं हम कब तक उस जगह पर आयेंगे, शायद आ भी न सकें, अगर जवाहरलाल गद्दी से हट जायें, तब शायद इस तरह की बात सोच सकते हैं, लेकिन उनके रहते हुये हम आने वाले हैं नहीं। एक वक्त था जबकि वोट की कोई जरूरत नहीं थी, उस समय डेमोक्रेसी के बजाय सामन्तशाही थी, राजा का लड़का राजा होता था, रानी के पेट का लड़का राजा होता था, लेकिन आज वह युग नहीं रहा। आज जो राजा निकलता है, वह बक्से के पेट से निकलता है। बक्से में वोट इकट्ठा हुआ करता है, उसमें जो जीत गया वही राजा बनता है। बक्से के पेट से निकले हुये ही राजा लोग बैठे हुये हैं। हमारा भी वक्त आयेगा और वह वक्त आ रहा है कुछ लोगों को बुरा लगता है लेकिन .....

श्री अध्यक्ष—(कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों के बोलने पर) आप लोग तो उनके सपना देखने पर भी नाराज होते हैं।

श्री बलवानसिंह—मैं यह कहने जा रहा था कि माननीय बनारसीदास जी ने बड़े त्याग और तपस्या का नक्शा खींचा और आंसू का नक्शा दिखाया और उन्होंने स्टैलिन की भी मिसाल दी कि स्टैलिन ने कहा था कि अगर रूस को आगे बढ़ाना है तो मुल्क को दस साल आगे की लड़ाई के लिये तैयार होना है, उस का मुकाबिला करना है और पेट को कस कर आधा पेट खाकर आगे बढ़ना है। ठीक बात है लेकिन क्या आप हमें यह विश्वास देंगे कि यह टैक्स जो आप ले रहे है वह जनता पर खर्च होगा? एक मैं छोटी सी बात आप के सामने कह दूं, उन्हीं के एक केन्द्र के मंत्री कृष्णमाचारी जी हैं उन्होंने इसी विषय में कहा कि अभी तक टैक्सेशन के पैसे का क्या फल हुआ है और कैसे उस का प्रयोग हुआ है, उन्होंने कहा है कि "इन सेठों की तिजोरियों के लिये सरकार ने सारे देश को निचोड़ लिया है।" क्या मैं श्री बनारसीदास जी से पूछ सकता हूं कि क्या उन की यही पैरिटी आफ इन्कम है? क्या आप के यहां भी गरीब गरीब नहीं हुआ है और अमीर अमीर नहीं हुआ है? आप आज भी कानपुर की सड़कों पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, सुशीला जी बैठी हैं वह जानती होंगी मूलगंज के चौराहे पर वहां हजारों लोग भूखे जाकर सवेरे बैठ जाते हैं और १ रुपये पर सारे दिन के लिये अपना शरीर बेचने पर तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ वहां के एक सेठ सिंहानिया हैं जिन की १ लाख रुपया रोज की आय है। क्या इसी के लिये आप टैक्स गरीबों पर लगाना चाहते है? आप ने १८ करोड़ लगान को मालगुजारी में तब्दील कर दिया। क्या उधर से कोई कह सकता है कि लगान को मालगुजारी करने वाले आप कौन थे? या तो आपने सन् ४६ में ही यह कहा होता कि हम ऐसा करेंगे लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सन् ४६ में ही यह कांग्रेस सरकार कहती कि जितनी लूट जमींदार करते हैं उतनी ही लूट कांग्रेस सरकार भी करेगी तो यह कांग्रेस वाले इन बेंचों पर जीत कर न आते लेकिन आज आप धोखे से यह टैक्स उन पर लगाने के लिये तैयार हैं। ७ करोड़ से आपने लगान २३ करोड़ कर दिया यह १६ करोड़ अधिक हो गया लेकिन उस से भी अभी उन को सन्तोष नहीं है, अब भी उन का पेट भूखा है। अब भी वह ३ करोड़ और लगाना चाहते हैं। मैं उन से पूछता हूं लेकिन हो सकता है कि वह कह दें कि तुम जेल नहीं गये, ४२ में मैं कालेज में था जेल जाने की सोचता था लेकिन नहीं जा सकता था। माननीय अलगू राय जी कह रहे हैं कि गये होते तो टूट कर इधर आ जाते लेकिन मेरा ऐसा स्वप्न था।

सन् ४७ में उन का जो नक्शा था वह उल्टा है और यह मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूं कि जो नेकराम जी ने कहा है, विकल जी ने भी कहा है और कुंवर श्रीपालसिंह जी ने भी कहा है, चैलेंज किया है कि अब भी एक्सपेरीमेंट करने को क्या तैयार हैं जब आप आज देख रहे हैं कि सन् ५२ में यहां इधर ३६ सदस्य थे, सन् ५७ में और अधिक हो गये और आज सन् ६२ में १८६ हैं, केवल २९ की हमें जरूरत है। माननीय हरीसिंह जी अगर हम मिनिस्टर हो गये तो

[श्री बलवान सिंह]

शायद इधर चले जायं तो कोई आश्चर्य न होगा। कहेंगे इधर आ जाइये। २९ एम० एल० एज की जरूरत है। इतना निकम्मा, गिरा हुआ और जलील बिल लाने के बाद ६७ में उधर बैठ नहीं सकते। हिम्मत है किसी में तो मैं अपनी कांस्टीट्युएंसी से इस्तीफा देने को तैयार हूं अकबरपुर तहसील से और टैक्स लैन्ड बिल ठीक है या नहीं, बस इसपर चुनाव लड़ लीजिये और अगर आप जीत जायं तो इस बिल को लाइये (व्यवधान) नागपंचमी हर बार चलेगी नहीं। एक ही पार्टी है हमारी जिसने पंडित जवाहर लाल नेहरू की कांस्टीट्युएंसी में ५ सीट्स में से दो सीटें छीनी और लालबहादुर जी की कांस्टीट्युएंसी में ५ में से ३ सीट्स लीं और एक मंत्री मंगलाप्रसाद जी को हराया। मैं कहूंगा कि गुप्ता जी ने काफी होशियारी की थी। इलाहाबाद जिले के अन्दर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी गुट की थी तो हमारे गुप्ता जी की थी, अलगूराय शास्त्री की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को डरा दिया गया होगा अगर गुप्ता जी मिनिस्टर नहीं होंगे तो ६२ में आपके लिये मुश्किल हो जायगी। तो इसी डर की वजह से आपके राष्ट्रीय नेता जीत कर आते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से डाक्टर राममनोहर लोहिया लड़े थे। वह गये नहीं थे वहां पर...

श्री अध्यक्ष—बहुत दूर चले जा रहे हैं आप।

श्री बलवानसिंह—कांटेक्स्ट पर आ रहा हूं। अगर आप हम लोगों की स्पीचेज के लिये ज्यादा टाईम देंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों को माकूल बात लग जाय और अक्लमन्दी आ जाय।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये आपको बुलाया, इधर से नहीं बुलाया।

श्री बलवानसिंह—बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे थे कि पंडित जवाहर लाल नेहरू को ५,५ वोट मिले और डाक्टर राम मनोहर लोहिया को २००,२५० वोट मिले। अब भी आप कुछ टेस्टिंग चाहते हैं। २९ एम० एल० एज की डिफेंस पर आप टिके हुये हैं। यहां पर बहुत से नाम गिनवा दिये गये और कहा गया कि गेंदासिंह हजार वोट से जीत कर आये। क्या कहूं मैं? कांग्रेस का ८५ साल का इतिहास आपके पास है, करोड़ों रुपये की दौलत आपके पास है, कौमियत के नाम पर कांग्रेस पार्टी अच्छे सा अच्छा कन्डीडेट लाती है और विरोधी पार्टियां २०,२५ टुकड़ों में बट कर इकट्ठा हो जाती हैं तब भी २४९ ही आप जीत कर आये हैं। फिर भी गेंदा सिंह जी ५२,५७ और ६२ में बराबर जीते और मैं भी ५२ में कुछ वोटों से हारा लेकिन ५७ में २० हजार के फर्क से जीता था। इसलिये मैं कहता हूं कि जो परसेंटेज की बात हमसे कही गयी तो मैं दावे से कहता हूं कि आपका परसेंटेज गिर रहा है। (व्यवधान) २४–२५ के चुनाव में तो पंडित जवाहरलाल जी भी हार गये थे। हम लोग तो ४० साल वैसे भी उम्र में कम हैं। (व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह—गुप्ता जी से पूछिये जो लखनऊ छोड़ कर पहाड़ भाग गये।

श्री बलवानसिंह—जो परसेंटेज आफ वोट कांग्रेस का है वह गिरा है, एम० एल० एज की तादाद कम हुई है। आंकड़ों से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप लोग खुद भी इस बात को मानते हैं और वह भी किस किस तरह से आप लोग जीत कर आते हैं, कितने सब्ज बाग दिखलाकर, किसी को नौकरी दिलाकर, किसी को परमिट, किसी को लाइसेंस दिलाकर, किसी को पिस्तौल और रिवाल्वर दिलाकर और कोई मिनिस्टर के नजदीक होने के नाते बहुत से फायदे उठाकर और लोगों को दिलाकर आ जाते हैं।

श्री हरीसिंह—यह गलत है।

श्री बलवानसिंह—मुझे तो हरीसिंह जी आप और रामप्यारे जी जैसे दोस्तों की बातें सुनने में मजा आता है और मुझे इन दोस्तों की सूरत भी बहुत अच्छी लगती है।

मैं बताया था कि ऐग्रीकल्चर पेशे पर टैक्स है। दुनिया का कोई पेशा ऐसा नहीं है जिसपर टैक्स लगता हो लेकिन खेती ही एक ऐसा पेशा है। एक बीघा, आधा बीघा भी छूटा नहीं है।

तीसरी बात इससे भी आगे यह है कि दुनिया का कोई ऐसा वर्ग नहीं है यहां तक खोमचे-वाला भी और सब्जी बेचनेवाला भी जब वह अपना माल चौराहे पर लेकर आता है, कोई फाउन्टेनपेन बनानेवाला, कागज, बनानेवाला, दियासलाई बनानेवाला, कोई भी हो मजदूर हर पेशे वाला अपनी चीज का दाम जो चाहता, लेता है लेकिन काश्तकार ऐसा वर्ग है कि अभी तक उसके सामने इस सरकार ने, जो यह दुहाई देती है कि वह काश्तकारों की सरकार है, कोई तरीका नहीं बनाया कि उसको अपने अनाज की कीमत पूरी मिले। जब वह अनाज लेकर बाजार में आता है तो एक वर्ग के लोग जो व्यापारी हैं उसके अनाज का लाभ स्वयं लेते हैं। हिन्दुस्तान के दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान का पैसा, उसका ज्यादातर मुनाफा उन्हीं लोगों की जेब में चला जाता है जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई पैदावार नहीं करते। करोड़ों, २ सौ करोड़ रुपयों की लूट साल में किसान के अनाज पर होती है। नवलकिशोर जी ने कहा कि कोई माकूल सुझाव आये तो मैं उनसे कहने के लिये तैयार हूं कि फूडग्रेन्स की स्टेट ट्रेडिंग अपने हाथ में ले लें तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि १५, २० करोड़ रुपये की बचत सरकार को होगी और किसान को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। किन्तु आपमें हिम्मत नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार किसानों की सरकार नहीं है। अगर वह उनकी होती तो सब से पहला बिल जो आता वह यही होता। क्यों आप १५ साल के अन्दर कोई माकूल पैमाना नहीं बना सके जिससे किसान को उसके अनाज की कीमत मुनासिब मिल सके। श्रीमन्, आप कानपुर ले लीजिये, इलाहाबाद को ले लीजिये, सैकड़ों ऐसी कम्पनियां हैं जो सिर्फ इधर से माल लेती हैं और उधर दे देती हैं, बीच के कमीशन से उनसे मतलब है और करोड़ों रुपये उनकी जेब में आ जाते हैं। अगर आप का पैटर्न सोशलिस्टक होता जो सम्भवतः सन् ५७ से पहले का है तो क्या यह होता। पता नहीं कि कांग्रेसवालों को, वह शब्द तो मैं प्रयोग नहीं करता ,अगर करूंगा तो आप शायद अन-पार्लियामेंटेरियन डिक्लेयर कर दें, लेकिन यह कहता हूं कि शायद उनके अन्दर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर होती तो वह इस बात को कहते कि आप कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन मुझे तो शर्म आती है,मैं भी एक सोशलिस्ट हूं। आपका सर नीचे झुक जाना चाहिये सोशलिस्ट कहलाने में, जब आपकी यह सरकार है और यह बिड़ला, टाटा की सरकार हो। अगर आप सोशलिस्ट होते तो एक्सप्लायटेड क्लास के लिये सब से पहले बिल लाते।

बनारसीदास जी कहते हैं कि मुझे खुशी होती है कि गेंदासिंहजी जैसे लोग वहां पर हैं। मैं यह कहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्लानिंग में यकीन करती है, डेमोक्रेसी में यकीन करती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारा नारा है। हो सकता है कि हिन्दुस्तान की जनता दस साल बाद समझे लेकिन प्लानिंग के लिये हम हमेशा तैयार रहेंगे लेकिन जिस किस्म की आपकी प्लानिंग है कि कैपिटलिस्ट क्लास के लिये, चन्द आदमियों के लिये हिन्दुस्तान को निचोड़ कर के प्लान चलायी जाय उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आपका साथ देने के लिये तैयार नहीं है। आखिर किस के लिये यह प्लानिंग हो रही है। आपकी दो पांच साला योजनायें खत्म हो गयीं। इन दोनों योजनाओं से किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। काश्तकार की खेती की पैदावार गिरी है। हमारे साथी त्रिलोकीसिंहजी का स्टेटमेंट आपने अखबारों में पढ़ा होगा। १९०१ में गेहूं की औसत पैदावार १० मन फी एकड़ थी। १९४७ में वह ९ मन रह गयी और पैदावार आज १९६२ में वह ७ और ८ मन के बीच में है। माननीय बनारसीदास जी मुझसे एक सुझाव सुन लें। ७६ लाख एकड़ कल्चरेबिल जमीन इस प्रदेश में पड़ी हुई है और १० करोड़ एकड़ जमीन हिन्दुस्तान में पड़ी हुई है....

श्री अध्यक्ष—समय हो गया। अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१७ अक्तूबर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर]

परिवार नियोजन केन्द्रों की सूची

विवरण	काशी विद्यापीठ	बड़ा गांव	औराई	पिण्डारा	चन्दौली	चिरईगांव	आराजी लाइन
१	२	३	४	५	६	७	८
१-१-६२ से ३१-७-६२ तक की प्रगति							
१—उन व्यक्तियों की संख्या जिनसे सम्पर्क स्थापित किया।	९१८	९०९३	२२७६	२०८७	३०	६८	१६४२
२—उन व्यक्तियों की संख्या जिन को सलाह दी या गर्भ-निरोधक उपकरण दिया।	९३१	१०१	५१५	३५४	१००	७२	८३
३—उन व्यक्तियों की संख्या जो परिवार नियोजन नियमों का पालन करते हैं।	६२५	८०	४२०	२१८	३	८०	७७
४—केन्द्र की उपस्थिति ..	७७०	६००	७४२	..	..	६७	१२०
५—घर पर देखे गये व्यक्तियों की संख्या—							
(१) नये सम्पर्क ..	७१५	५००	७५४	२२६	..	७०	४२५
(२) देख भाल ..	६०५	२५	६६०	१०४	४	३३	४२५
६—केन्द्र द्वारा वितरित गर्भ-निरोधक उपकारणों का मूल्य (रुपयों में)	..	..	३४५.११ (फ़ी)	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७—ऑपरेशन के लिये भेजे गये व्यक्ति--							
पुरुष	४	..	..	२	७	..	..
स्त्री	१८	..	..	..	..	..	१२
८—दी हुई सलाह का विवरण--							
(१) ड्राइफ्राम और जैली	..	..	..	९	..	..	१२
(२) जैली	११	१४	..	३	२१	९	..
(३) शीथ	९२०	५	१४४	१९९	४३	७	..
(४) फोम तथा टैब	..	..	३५९	१४३	..	५	७१
(५) कण्डोम तथा फोम टैब	..	७८	..	..	२५	५१	..
(६) कण्डोम और जैली	..	४	..	..	११	..	..
(७) फ्री एपलीकेटर संहित प्रेसीप्टीन	..	..	१२	..	..	..	..
विभिन्नः—							
सभायें:--							
सभाओं की संख्या	५८	१०	१६३	११०	१	३७	४
उपस्थिति की संख्या	९६१	१३००	३१३४	३८४५	३०	६८६	३००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर]

आजमगढ़ जिला सहकारी संघ में २९-९-६० को १,७३,०३७ रु० ७६ नये पैसे के पकड़े गये गबन के मामले में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणाम का विवरण

कार्यवाही	परिणाम
१—सहायक निबन्धक, आजमगढ़ ने ३०-९-६० को भवन की रिपोर्ट पुलिस में कर दी थी।	१—पुलिस जांच के बाद यह मामला पहले अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) आजमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन था। बाद में यह मामला जुडिशियल आफिसर फूलपर के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया जहां मामले की सुनवाई चल रही है।
२—फेडरेशन के सदर गोदाम इन्चार्ज श्री रामधारी त्रिपाठी को जिलाधीश आजमगढ़ ने २९-९-६० को ही मुअत्तल कर दिया था। पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।	२—गोदाम इन्चार्ज फेडरेशन की नौकरी से अब भी मुअत्तल है। पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।
३—रजिस्ट्रार ने उप निबन्धक गोरखपुर द्वारा मामले की प्रारम्भिक जांच कराई और उनकी रिपोर्टों को शासन के सूचनार्थ ७-१०-६० को भेजा।	३—सरकार ने इन रिपोर्टों के आधार पर तथा रजिस्ट्रार के सुझाव पर मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई।
४—रीजनल आडिट आफिसर, वाराणसी के चार्ज में एक आडिट पार्टी ने फेडरेशन के हिसाब की जांच की।	४—स्पेशल आडिट रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न मदों में कुल ३,२२,९९२ रु० १३ नये पैसे का गबन निकला।
५—श्री मूलचन्द उपाध्याय, सहकारी इन्सपेक्टर, वाराणसी को जो आजमगढ़ फेडरेशन के अप्रैल, १९५४ से ९ अगस्त, १९६० तक सेक्रेटरी थे और जिनके समय के स्टाक में कमी पाई गई थी, मुअत्तल कर दिया गया और उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने के लिये उप निबन्धक गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त और ३ सहकारी निरीक्षकों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही उप निबन्धक गोरखपुर द्वारा की जा रही है।	५—श्री मूलचन्द उपाध्याय अब भी मुअत्तल हैं उप निबन्धक, गोरखपुर ने अपनी जांच की रिपोर्ट दे दी है और वह अब विभाग की जांच में है। शेष तीन अनुशासन के मामलों में उप निबन्धक गोरखपुर की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
६—राज्य सरकार के आदेशानुसार आजमगढ़ के ४ सहायक निबन्धकों से भी जवाब तलब किया गया है।	६—दो सहायक निबन्धकों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और विभाग की जांच में हैं। शेष दो सहायक निबन्धकों के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। सी० आई० डी० पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि जब तक मुकदमें का निर्णय न हो जाय तब तक विभागीय कार्यवाही स्थगित रहे।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर]

वाराणसी जिले के विभिन्न विकास केन्द्रों में महिला कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले शासकीय कार्यकर्ताओं की संख्या निम्नलिखित है:—

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	ग्राम सेविकाओं की संख्या	ग्राम लक्ष्मियों की संख्या
१	२	३	४
१	ओराई	५	९
२	पिन्डरा	२	८
३	आराजीलाइन्स	५	१५
४	नियामताबाद	२	६
५	ज्ञानपुर	२	१०
६	चन्दौली	२	१०
७	चकिया	१	१०
८	चिरईगांव	२	१०
९	चहनिया	२	९
१०	काशी विद्यापीठ	१	९
	योग ..	२४	९६

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिला मंगल योजना के अन्तर्गत मिडवाइफों की नियुक्ति नहीं होती। अतः उनकी संख्या नहीं दी गयी है।

ग्रामलक्ष्मियां अवैतनिक कार्यकर्ता हैं।

२—उपरोक्त के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कार्य-क्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या इस प्रकार है :—

ग्राम सेविका	७
क्राफ्ट टीचर	५
मिड वाइफ	१
अवैतनिक कार्यकर्ता	३
योग	१६

अ.वि.ग्रन्थ.सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

झांसी जिले में मलेरिया विभाग के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों की संख्या एवं उनक कार्य का विवरण

क्रम-संख्या	पद	संख्या	कार्य का विवरण
१	२	३	४
१	एन्टी मलेरिया आफीसर ..	१	मलेरिया उन्मूलन योजना के यूनिट का मुख्य अधिकारी ।
२	असिस्टेन्ट यूनिट आफीसर	१	मलेरिया उन्मूलन योजना के यूनिट का सहायक अधिकारी जिसका मुख्य कार्य यूनिट में आई हुई दवाइयों और अन्य सामग्रियों के वितरण आदि की देखरेख करना है। टैक्निकल रिपोर्ट बनाना तथा मलेरिया अधिकारी को अन्य कामों में सहायता करना ।
३	सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर	४	सब यूनिट के लगभग २५०,००० जनसंख्या वाले क्षेत्र में छिड़काव व सर्वेक्षण कार्य का देखरेख करता है तथा वह उसका उत्तरदायी है ।
४	मलेरिया इन्सपेक्टर	४	यह सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर के अधीनता में रह कर छिड़काव तथा सर्वेक्षण कार्य को देखता है ।
५	सर्वलेन्स इन्सपेक्टर	२५	यह अपने अधीन ४ हाउस बिजिटरों के सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण करता है इसे करीब करीब ४०,००० जनसंख्या वाला क्षेत्र दिया गया है इसकी जिम्मेदारी मलेरिया के रोगी को दवा देना भी है ।
६	हाउस बिजिटर	१००	ये अपने क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या लगभग १०,००० होती है उसमें प्रत्येक घर पर महीने में दो बार जाकर ज्वर का पता लगाता है और बुखार वाले रोगी के खून का स्लाइड बनाकर उसे दवा देता है और स्लाइड को यूनिट हेड क्वाटर पर भेजता है ।
७	लेबोरेट्री टेक्निशियन	४	प्रत्येक लेबोरेट्री टेक्निशियन डेढ़ हजार स्लाइडो का परीक्षण प्रतिमास करता है।

क्रम-संख्या	पद	संख्या	कार्य का विवरण
१	२	३	४
८	क्लर्क ..	४	इनका कार्य मलेरिया कार्यालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन का बिल, टी० ए० बिल, फुटकर बिल, सेवा पुस्तक बनाना, फाइलों को रखना, दफतर के पत्रों को टाइप करना एवं अन्य कार्यों को करना है ।
९	मैकेनिक ..	१	पम्प तथा अन्य छिड़काव के सामानों को उचित ढंग से रखना तथा उसकी मरम्मत करना ।
१०	मोटर ड्राइवर ..	५	मलेरिया की गाड़ी को चलाना ।
११	क्लीनर ..	४	मलेरिया की गाड़ी को साफ़ रखना ।
१२	आर्डरली प्यून ..	१	एन्टी मलेरिया अधिकारी के साथ रहता है ।
१३	आफिस प्यून ..	१	यह कार्यालय के समस्त लोकल पत्रों को बांटता है और कार्यालय की सफाई करता है ।
१४	स्टोर और लेब० प्यन ..	२	यह मलेरिया यूनिट के विस्तृत स्टोर को व्यवस्थित रूप से रखने तथा परीक्षित स्लाइडो को धोने आदि का कार्य करता है ।
१५	चौकीदार ..	१	यह यूनिट के आफिस और प्रयोगशाला भवन की रक्षा करता है ।
१६	मेहतर	१	यह आफिस और प्रयोगशाला की सफ़ाई करता है ।
१७	सुपीरियर फील्ड वर्कर १२ मास के लिये ।	४	लैब टेक्निशियन को परीक्षण कार्य में सहायता करते है ।
१८ क	फील्ड वर्कर १२ माह के लिये	८	ये सब यूनिट हेड क्वार्टर पर रखवाली तथा अन्य कार्य करते हैं ।
१८ ख	फील्ड वर्कर १२ माह के लिये	२	ये यूनिट हेड क्वार्टर पर प्रयोगशाला में कार्य करते हैं ।
१९	सुपीरियर फील्ड वर्कर ५ माह के लिये ।	३२	ये सम्पूर्ण यूनिट में जिसके अन्तर्गत आबादी लगभग १० लाख है छिड़काव के कार्य की देखरेख करते हैं ।
२०	फील्ड वर्कर ५ माह के लिये	१७०	ये यूनिट के छिड़काव का कार्य करते हैं जिसके अन्तर्गत जनसंख्या लगभग १० लाख होती है ।

टिप्पणियां

शासन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हरिजनों के पीने के पानी के कूप निर्माण एवं भवन निर्माण हेतु राज्य एवं केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित धन स्वीकृत किया गया था।

वर्ष	कूप निर्माण	भवन निर्माण
१	२	३
	रु०	रु०
१९५६–५७	६,०००	..
१९५७–५८	६,०००	४,५००
१९५८–५९	६,०००	३,२००
१९५९–६०	६,८५०	१०,५००
१९६०–६१	१९,५००	९०,३००
योग ..	४४,३५०	१,०८,५००

इसके अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना काल का बिना उपयोग किया शेष धन निम्न प्रकार है:

कूप के लिये	भवन के लिये
रु०	रु०
२३,८३९	८,७९५

उपरोक्त स्वीकृत धन से जो कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पूर्ण हुये हैं या अपूर्ण हैं और उन पर जो व्यय किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

कार्य जिसके लिये धन दिया गया	पूर्ण कार्य	अपूर्ण का	व्यय किया गया धन
१	२	३	४
			रु० न० प०
कूप निर्माण	५८	१०२	६८,१८८.००
भवन निर्माण	६४	१५५	९६,०८६.००

कूप निर्माण—

कूप निर्माण में १०२ अधूरे कूपों के अतिरिक्त १९ अधूरे कूपों-प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के भी हैं। इस प्रकार कुल १२१ कूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अधूरे पड़े हुये हैं जिनको पूरा कराने के लिये अतिरिक्त धन की मांग की गई है। क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अवशेष धन को जोड़कर कुल ६८,१८९ रु० जिले में उपलब्ध था जिसमें से उस काल में ६८,१८८ रु० व्यय किये गये हैं और १२१ अभी अधूरे कार्य पड़े हुये हैं जिनको पूर्ण करने के लिये कुल २८,४६८ रु० की आवश्यकता है। धन का अभाव प्रायः इस कारण हो जाता है कि जिला स्तर पर बहुत से कार्य उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त भी स्वीकृत कर दिये जाते हैं।

जिलों में स्वीकृत धन से अधिक के कार्य प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि ये अधूरे कार्यों को आगामी वर्षों के प्राप्त धन से पूर्ण किया जायेगा। परन्तु यह सुविधा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक ही उपलब्ध थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल से अनुदान भुगतान के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के स्वीकृत धन को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अधूरे कार्यों पर व्यय नहीं किया जायेगा। इससे नये कूप निर्माण ही किये जायेंगे। ऐसा करने से एक कठिनाई यह आ गई कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अधूरे कार्य जिलों में धन उपलब्ध न होने के कारण अधूरे ही रह गये। और जिलों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अतिरिक्त धन की मांग आई।

भवन निर्माण ने द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अवशेष धन को मिलाकर कुल १,१७,०९५ रु० उपलब्ध था जिसमें से जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों पर ९६,०८६.०० रु० व्यय किया गया था और भवन निर्माण के मद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक २१,२०९ रु० शेष था। परन्तु अधूरे कार्य १५५ थे और २१,२०९ रु० व्यय करने के पश्चात् भी २,३६२ रु० की और आवश्यकता अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिये थी। इनके लिये भी वही कठिनाई थी जो कूप निर्माण के लिये थी।

अब जिलों को यह निर्देश दिये गये हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के अधूरे कार्यों को तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल के स्वीकृत धन से पूर्ण कराया जाय। अब ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो कठिनाई आज तक जिलों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने में थी वह हल हो जायेगी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के सभी अधूरे कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेंगे।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१० एल० ए०—१९६३—८३० (प्रो०)